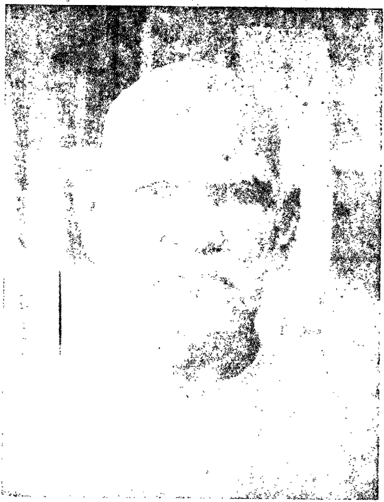
# विषय-सूची

| | |
|---|---|
| १—वैदिक प्रार्थना | ४२९ |
| २—सम्पादकीय | ४३० |
| ३—क्या अपने राज्य में सत्याग्रह नहीं होना चाहिये (आचार्य नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ज्वालापुर) | ४३७ |
| ४—पंजाब पर हिन्दी का अधिकार (श्री सन्तराम बी० ए०) | ४३९ |
| ५—संसद के १५० माननीय सदस्यों की अपील | ४४० |
| ६—कैरों साहिब का नया दृष्टिकोण | ४४३ |
| ७—ट्रिब्यून (अम्बाला) का परामर्श (७-९-५७) | ४४५ |
| ८—विविध वक्तव्य | ४४६ |
| ९—पंजाब की भाषा समस्या में बम्बई सरकार द्वारा मार्ग प्रदर्शन | ४५५ |
| १०—पंजाब की भाषा समस्या पर एक दृष्टि (प्रो० शेरसिंह, भूतपूर्व मन्त्री, पंजाब) | ४५६ |
| ११ - हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन की प्रगति | ४५८ |
| १२—फिरोजपुर जेल में बर्बरता का भीषण नंगा नृत्य ( श्री अलगूराय जी शास्त्री की रिपोर्ट ) | ४८० |
| १३—पंजाब की भाषा समस्या और आर्य समाज ( श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त ) | ४८२ |

---

## पंजाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सूत्रधार



आर्य जगत् के वयोवृद्ध सर्वमान्य संन्यासी

**पूज्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज**

# पूज्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज सत्याग्रह करेंगे
## प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र

।। ओ३म् ।।

वैदिक साधना आश्रम,
यमुनानगर (अम्बाला)
दिनांक २५-९-५७

प्रिय प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल जी,

सप्रेम नमस्ते।

सब वातावरण को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मेरे स्वास्थ्य के शिथिल होते हुए भी मुझे अब सत्याग्रह करना चाहिये। मुझे आशा थी कि आर्य समाज ने जो बलिदान दिये हैं उससे शासन के हृदय में परिवर्तन हुआ होगा और हमारी न्याय-युक्त मांगें स्वीकार कर ली जावेंगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और निकट भविष्य में होने की सम्भावना भी नहीं दीखती। उलटा हमारे आन्दोलन पर ही तरह २ के कटाक्ष किये जाते हैं और बिना समझे बूझे उसकी अनुचित निन्दा भी की जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे ऊपर जुल्मों पर जुल्म ढाहे जा रहे हैं जिनका आपको पता है या कि होना चाहिये। मुझे इसका अत्यन्त आश्चर्य है कि उन जुल्मों की निन्दा करने में किसी की आवाज बुलन्द नहीं है। भारत में नैतिकता का स्तर इतना नीचा हो जाय कि अत्याचारी की निन्दा न होकर उनकी निन्दा की जावे कि जो अत्याचार के शिकार हैं, इसका मुझे अत्यन्त दुःख है। साम्प्रदायिकता और अन्याय की जड़ को खोदने वाले पर ही साम्प्रदायिकता और अन्याय का दोष लगाया जावे इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या हो सकती है?

अतः मैंने निश्चय किया है कि सत्य की रक्षा के हेतु मैं भी सत्याग्रह करूं। मेरा सत्याग्रह का स्थान चण्डीगढ़ होगा। सत्याग्रह करने के लिये मेरे साथ केवल एक प्रिय गणेश जो मेरा विद्यार्थी है वहां रहेगा क्योंकि वह मुझे इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके इस आग्रह को मैं टाल नहीं सकता। इसके सिवाय मेरे साथ ५ सत्याग्रही और होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस पवित्र भूमि भारत में सत्य न्याय और धर्म का साम्राज्य स्थापित करें। निश्चित तिथि की सूचना मैं आपको तार द्वारा दूंगा।

सेवा में—
श्री पं० जवाहरलाल नेहरू,
प्रधान मन्त्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

शुभेच्छु
आत्मानन्द सरस्वती
प्रधान
हिन्दी रक्षा समिति पंजाब,

॥ ओ३म् ॥


# सार्वदेशिक

(सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र)

वर्ष ३२ | अक्टूबर १९५७. आश्विन २०१४ वि०, दयानन्दाब्द १३३ | अङ्क ८


## वैदिक प्रार्थना

मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते।
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु॥

ऋ० १।८।५।२॥

व्याख्यान—हे दुष्टों को रुलानेहारे रुद्रेश्वर! हमको 'मृड" सुखी कर, तथा "मयस्कृधि" हमको मय अर्थात् अत्यन्त सुख का सम्पादक कर 'क्षयद्वीराय, नमसा, विधेम, ते" शत्रुओं के वीरों का क्षय करने वाले अत्यन्त नमस्कारादि से आपकी परिचर्या करने वाले हम लोगों को रक्षण यथावत् कर। "यच्छम्" हे रुद्र! आप हमारे पिता (पालक) हो, हमारी सब प्रजा को सुखी कर, "योश्च" प्रजा के रोगों का भी नाश कर। जैसे "मनु" मान्यकारक पिता "आयेजे" स्वप्रजा को संगत और अनेकविध लाडन करता है वैसे आप हमारा पालन करो। हे रुद्र भगवन्! "तव, प्रणीतिषु" आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात् उत्तम न्याययुक्त नीतियों में प्रवृत्त होके "तदश्याम" वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके अनुग्रह से प्राप्त हों॥

# सम्पादकीय

## हिन्दी आन्दोलन का लक्ष्य एक मौलिक भूल का सुधार है

हिन्दी रक्षा सत्याग्रह को चलते हुए आज चार मास व्यतीत हो चुके हैं और अब यह पांचवें महीने में प्रविष्ट हो रहा है। इसकी सफलता के लिए सर्वत्र प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। आन्दोलन ज्यों २ लम्बा खिंच रहा है त्यों २ लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। सरकारी दमन (लाठी प्रहार, अश्रु गैस का प्रयोग, अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां जेल यातनाएं, मार पीट, धमकियाँ, गालियां, निन्दा, अपमान और आतंक) को खुली छुट्टी दे देने पर भी सत्याग्रह की प्रबल गति में कोई बाधा नहीं आई है। आर्यसमाज का यह आन्दोलन पञ्जाब राज्य की भाषा विषयक नीति के सुधार के लिए चलाया जा रहा है। जो लोग सत्य पर आधारित इस आन्दोलन को खतरा कह कर इसकी निन्दा करते हैं वे इतिहास की उपेक्षा करते हैं। पञ्जाब सरकार का दावा है कि यह आन्दोलन अपनी मौत मर रहा है। पञ्जाब सरकार इस पर आत्म सन्तोष अनुभव करे तो करे परन्तु वह अन्यों को आश्वास्त नहीं कर सकती जिसके प्रमाण में टाइम्स आफ इण्डिया के चण्डीगढ़ स्थित संवाददाता की रिपोर्ट का निम्न लिखित अवतरण देना पर्याप्त है :—

"५००० से अधिक लोग सत्याग्रह करके जेलों में आ चुके हैं। जेलों में जितने कैदियों को रखने का स्थान है उसमें से आधे से अधिक में तो सत्याग्रही ही हैं। बहुत सी जेलों में सत्याग्रहियों को खुले में सोना पड़ रहा है। बैरिकें ठसाठस भरी हुई हैं और सफाई की यह दशा है कि पूछो मत। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी आर्यसमाज के आन्दोलन के शिथिल होने का कोई लक्षण नहीं। प्रतिदिन औसतन ७५ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा रहे हैं। पंजाब से बाहर हैदराबाद, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बम्बई आदि सुदूर क्षेत्रों के लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं।"

जिन लोगों की यह धारणा थी कि आर्यसमाज की मांगों के पीछे शक्ति नहीं है वे भी अमित शक्ति का अनुभव करके अपनी धारणाओं को बदलने के लिए विवश हो गये हैं।

इस आन्दोलन को सफल बनाने में आर्य और हिन्दी प्रेमी जन जो योग दे रहे हैं तथा जो इसका सफल संचालन कर रहे हैं वे अपने को उचित रीति से बधाई का पात्र समझ सकते हैं विशेषतः वे जो भयंकर मुसीबतों और उत्तेजनाओं से अविचलित रह कर शान्त और अहिंसात्मक बने रहते हैं। इसी में सत्याग्रह का गौरव है और इसी में उसकी शक्ति निहित है। जो भाई सत्याग्रह करके जेल में जाते हैं और जो बाहर रहकर सत्याग्रह के लिए काम करते हैं इतिहास में उन दोनों को ही सम्मानित स्थान प्राप्त होगा।

हमारे इस आन्दोलन के निन्दकों का कहना है कि इस आन्दोलन के पीछे साम्प्रदायिक हिन्दू और असन्तुष्ट राजनीतिज्ञ हैं। आर्यसमाज ने एक से अधिक बार यह स्पष्ट किया और घोषणा की है कि आर्यसमाज के इस आन्दोलन के पीछे न तो कोई सम्प्रदायिक भावना है और नाही कोई राजनैतिक स्वार्थ है। यदि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक वा राजनीतिक होता तो इसे हिन्दुओं के राजनीतिक वा अराजनीतिक सभी प्रकार के वर्गों का समर्थन प्राप्त न हुआ होता। इस आन्दोलन के सांस्कृतिक होने के कारण ही यह सब वर्गों की सहायता प्राप्त कर रहा है जिसमें अधिकांश संख्या कांग्रेस जनों की है। इस पर भी इस आन्दोलन के निन्दक विशेषतः कांग्रेस शासन एवं कांग्रेस दल यह रट लगाये जा रहे हैं कि यह आन्दोलन जनसंघ का आन्दोलन है। उनका मुँह बन्द करने

के लिए टाइम्स आव इण्डिया की निम्न स्थापना प्रस्तुत की जाती है :—

"कांग्रेस टिकट पर सफल होने वाले अधिकांश हिन्दू विधान सभाइयों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की चिन्ता न करते हुए भी हिन्दी आन्दोलन का समर्थन किया है और ओ३म् के झंडे के नीचे संगठित मोर्चा लगाने में योग दान किया है।"

इस प्रकार के भ्रम पूर्ण प्रचार का पञ्जाब की हिन्दू जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अवश्य पंजाब के बाहर के लोग जिन्हें पंजाब की स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं है बहकाये जा रहे हैं और लोगों को यह आशंका होरही है कि कहीं गैर-पंजाबी लोग यह न समझने लग जांय कि हिन्दी आन्दोलन अहिन्दी भाषा भाषियों पर हिन्दी को बलात् लादने का यत्न है। आर्यसमाज का संगठन देशव्यापी है। आर्यसमाज के सदस्य और हिन्दी प्रेमी लोग इस गलत प्रचार के निराकरण में संलग्न हैं। अतः इस प्रकार की आशंका के बद्धमूल होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी यदि स्वार्थी जन जान बूझ कर इस आशंका से लाभ उठाने लगें तो इसकी उत्तरदायिता राज्य पर होगी। उसे इस प्रकार के प्रचार से हाथ खींचना चाहिये इसी में हिन्दी और देश का भला है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। आर्यसमाज पञ्जाब में इसके अध्ययन और प्रयोग की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। वह जिस प्रकार गुरुमुखी के बलात् अध्ययन और प्रयोग के विरुद्ध है, उसी प्रकार अनिच्छुक लोगों पर हिन्दी के बलात् अध्ययन और प्रयोग के भी विरुद्ध है, वास्तविक स्थिति यही है। राष्ट्र भाषा हिन्दी को पञ्जाब में सम्मानित स्थान दिलाना राष्ट्रद्रोह नहीं अपितु देशसेवा है। जो लोग हमारे आन्दोलन को राष्ट्र विरोधी कहते हैं वे जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। क्या राष्ट्रभाषा की रक्षा राजद्रोह है ?

कुछ लोगों की आशंका है कि सच्चर फार्मूला जो इस समस्त संघर्ष का मूल है गत आठ वर्ष से विद्यमान है फिर आर्यसमाज ने इसके विरुद्ध इस समय पग क्यों उठाया है ? सचाई यह है कि जब यह फार्मूला बना था तब भी आर्यसमाज ने इसका विरोध किया था और वह तब से अब तक विरोध करता चला आ रहा है। वैध विरोध के असफल हो जाने, अनुनय विनय पर ध्यान न दिये जाने और विधिवत् इसके प्रयोग का समय उपस्थित हो जाने पर ही आर्यसमाज को सीधी कार्यवाही करने के लिए विवश हो जाना पड़ा है।

कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि इस आन्दोलन से साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़क रही हैं और यह देश की शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पंजाब की रीजनल योजना का भाषा विषयक अङ्ग ही आर्यसमाज के विरोध का लक्ष्य है। उसके राजनीतिक अङ्ग से आर्यसमाज का कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अकालियों की साम्प्रदायिकता को सन्तुष्ट करने के लिए ही इस समस्त योजना को स्वीकार किया और पेप्सू तथा सच्चर फार्मूलों को जिनकी वैधानिक और कानूनी स्थिति कोई नहीं है और जिन्हें पंजाब की हिन्दू जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं है, इस योजना का अङ्ग बना दिया। इस प्रकार राज्य ने साम्प्रदायिकता के आगे घुटने टेक कर अनन्त अशान्ति का बीज बो दिया। यदि आर्यसमाज अशान्ति के इस बीज को मिटा देने पर सन्नद्ध है तो वह क्योंकर साम्प्रदायिक कहा जा सकता है ? जिस सन्तुष्टिकरण की नीति का कुफल आज पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने है कांग्रेस उसी नीति का अवलम्बन कर रही है। अतः पंजाब की जनता सशंक और सावधान है और वह उस नीति का पुनः अपने को न केवल शिकार ही बनने देना नहीं चाहती अपितु उसका डट कर मुकाबला कर रही है।

आर्य समाज की सात मांगों में से दो मांगें ऐसी हैं जिनकी स्पष्ट स्वीकृति के लिए ही आर्य-समाज का आन्दोलन अब तक जारी है। एक यह है कि किसी स्तर पर भी हिन्दी या गुरुमुखी की पढ़ाई में बाध्यता न हो और दूसरी यह कि जिला स्तर तथा उसके नीचे प्रशासनिक कार्य में हिन्दी बहिष्कृत न हो अर्थात् सरकारी कर्मचारियों को उसके व्यवहार की छूट हो। सरकारी प्रवक्ताओं ने प्रकारान्तर से इन्हें स्वीकार तो किया परन्तु इनकी स्वीकृति को वैध रूप नहीं दिया गया। हरियाना के हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में गुरुमुखी के पठन पाठन की अनिवार्यता का अनौचित्य कम्युनिस्ट दल के नेताओं तक ने स्वीकार किया है। उन्होंने यह कहा कि भाषा के मुक्त पठन पाठन और व्यवहार से ही भाषाओं की उन्नति हुआ करती है जोर-जबरदस्ती से नहीं। उन्होंने मद्रास का उदाहरण देकर बतलाया कि उस प्रान्त में हिन्दी ऐच्छिक विषय है फिर भी वहां ८० प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते हैं। उधर बम्बई में गुजराती और मराठी दो भाषाएं हैं। वहां अनिवार्यता का कोई झगड़ा नहीं है। पंजाब राज्य भाषा समस्या का उचित हल करने के लिए इन प्रदेशों से प्रकाश ग्रहण क्यों नहीं करता? एक ओर समझौते के प्रयास होते हैं और दूसरी ओर दमन चक्र और हठ को प्रबलता दी जाती है। इस सब से इस आशंका की पुष्टि होती है कि इस समस्या के हल में सैद्धान्तिक अड़चन इतनी बाधक नहीं है जितनी राजनैतिक अड़ंगेबाजी और जोड़ तोड़ बाधक बन रहे हैं। आर्यसमाज एक मौलिक साँस्कृतिक भूल का सुधार कराना चाहता है इससे अधिक कुछ नहीं।

हमारे राजनैतिक कर्णधारों को इस प्रश्न को इसी रूप में लेकर और तत्काल भूल का सुधार करके हिन्दी भाषा तथा पंजाब के ७० प्रतिशत हिन्दी भाषा भाषियों के प्रति न्याय करना चाहिए।

३०-९-५७ —रघुनाथ प्रसाद पाठक

## गांधी जी की दुबारा हत्या

भारत के नव-निर्माण में केवल भौतिक विकास और पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप समाज-परिवर्तन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। सरकारी कृषि-मन्त्रालय की ओर से 'अधिक मांस खाओ' आंदोलन चलाया जा रहा है। सामूहिक विकास सचिव श्री दे महोदय भारतीय जनता को मांसाहारी बनने की सलाह देते फिरते हैं। इस पर 'अन्तर्राष्ट्रीय साँस्कृतिक संघ' की 'यूनाइटेड कांग्रेस' की मन्त्रिणी मिस वाकर लिखती हैं—"भारत 'देवताओं की भूमि' कहा जाता है। उसके आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत संयम से विश्व प्रभावित है और उसे आदर की दृष्टि से देखता है। 'अधिक मांस खाओ' आन्दोलन से केवल भारत की जनता को ही नहीं, हम कई पाश्चात्यों को भी, जो भारत की आध्यात्मिक महत्ता अपनाने के प्रयत्न में हैं, बहुत आघात पहुंचता है। हम में से कुछ को तो ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्वर्गीय नेता महात्मा गांधी की दुबारा हत्या हुई है।' भारत का अस्तित्व सदा से मानवता के लिए रहा, न कि अपने लिए और अबभी उसे अपने लिए नहीं, मानवता के लिए ही महानता प्राप्त करना है।"

एक विदेशी महिला की इन बातों की ओर क्या सरकारी अधिकारियों का भी ध्यान जायगा? केवल इसी क्षेत्र में ही नहीं, अर्थनीति, विदेशनीति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, मद्यनिषेध सभी क्षेत्रों में गांधी-सिद्धान्तों की हत्या होती रहती है। नेहरूजी गांधीजी के 'राजनीतिक उत्तराधिकारी' माने जाते हैं। पर क्या वे गांधी जी के सिद्धान्तों पर चल रहे हैं? जो कुछ हो रहा है, गाँधी जी ने अपने जीवन काल में ही उसका अनुभव किया था। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले पटना में 'बुनियादी शिक्षा' सम्बन्धी सरकारी नीति पर अपनी निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने कृपलानी जी से कहा बताते थे कि "इस तरह इञ्च-इञ्च मरने से यह कहीं अच्छा कि मेरा अन्त हो जाय।" एक ओर नेहरू जी की योजनाओं से विश्व में भारतीय प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दूसरी ओर पश्चिम के विचारशील लोगों में वह गिरती जा रही है।

# सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र

**सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपाल जी ने हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय गृह मन्त्री श्रीयुत माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त को २२-४-५७ को एक विशेष पत्र भेजकर उन्हें प्रेरणा की थी कि वे अपने प्रभाव को काम में लाकर हिन्दी रक्षा समिति की मांगों को स्वीकार कराएँ जिससे सत्याग्रह का उग्र पग उठाने की आर्य्य समाज को आवश्यकता न हो। पत्र अविकल रूप में नीचे दिया जाता है।**

**—सम्पादक सार्वदेशिक**

सेवा में, श्रीयुत माननीय गृह मन्त्री जी,
भारत सरकार, नई देहली।

श्रीयुत माननीय महोदय, सादर नमस्ते।

पंजाब में सरकारी रीजनल भाषा योजना के बलात् लादे जाने से देवनागरी हिन्दी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में अपने बच्चों की शिक्षा देने वा दिलाने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों, हिन्दी में राजकीय कार्य करने के अभ्यस्त वा सुगमता अनुभव करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों के प्रति जो अन्याय हुआ है और इस अन्याय के विरुद्ध जो रोष व्यक्त हो रहा है उससे आप भली भांति परिचित होंगे।

इस अन्याय के प्रतिकार के लिये पंजाब की आर्य समाजों और आर्य प्रतिनिधि सभाओं में प्रारम्भ से ही आन्दोलन हो रहा है। उन्होंने न्याय प्राप्ति के लिये वैध उपायों का अवलम्बन किया और कोई भी वैध उपाय आजमाये बिना दूसरा मार्ग ग्रहण करने का विचार तक नहीं किया। इससे आप पर सहज ही स्पष्ट हो जायगा कि आर्य समाज राज्य की कठिनाई को बढ़ाये बिना शान्तिपूर्णहलकराने केलिये कितनी दूरतक जासकता है।

खेद है कि सरकार की ओर से आर्य समाज के इस उचित रुख का समुचित आदर नहीं किया गया और कटुता, रोष, तथा विरोध के वातावरण को बनाये रखने की दुर्भाग्यपूर्ण नीति अपनाई गई। सरकारी उपेक्षा और हठ के कारण आज यह स्थिति विस्फोटक बन गई है। आर्य समाज का जनमत इस अन्याय पर अत्यन्त क्षुब्ध है और उसके प्रतिकार के लिये कृत संकल्प है।

आर्य समाज के संगठन में सर्वोच्च स्थान रखनेवाली यह सभा इस स्थिति को अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण समझती है विशेषतया ऐसे समय में जब कि देश भर में मुख्यतया सीमावर्त्तीय पंजाब प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था की इन दिनों सर्वोपरि आवश्यकता है। परन्तु शासन इस बात को गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता प्रतीत नहीं होता। ऐसी अवस्था में आर्य समाज धर्मपरीक्षण में से गुजरनेकेलिये अपनेको विवश अनुभव कररहा है।

पंजाब के आर्य समाज के संगठन में उच्च स्थान रखनेवाली प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं का आग्रह है कि यह सभा आर्य जनता को परीक्षण में से गुजरने की अनुमति देदे। यह सभा ऐसा करने से पूर्व यह आवश्यक समझती है कि आपको समय रहते वस्तुस्थिति से अवगत कराके अन्याय के निराकरण के लिये एक बार पुनः इस सभा की ओर से आपसे निवेदन किया जाय।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि आर्य समाज हिन्दी के प्रश्न को विशुद्ध सांस्कृतिक हित की दृष्टि से देखता है। आन्दोलन के लिये आन्दोलन करना उसकी प्रवृत्ति एवं परम्परा के विरुद्ध है। यह देश के हित को उच्च से उच्च स्थान देता है परन्तु यदि सांस्कृतिक हित के दमन से देश का अहित होता हो तो यह बड़े से बड़े बलिदान पर भी उसकी रक्षा करेगा।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप जैसे गम्भीर, विचारशील, तथा आर्य समाज की गतिविधि, भावनाओं और परम्पराओं से विज्ञ महानुभाव इस विषय पर अपना निजी ध्यान देकर अविलम्ब स्थिति को ठीक करायेंगे और आर्य समाज को परीक्षणमें से गुजरनेका अवसर उपस्थित न होनेदेंगे।

# श्रीयुत मास्टर तारासिंह के वक्तव्य

( लेखक—श्रीयुत प्रिंसिपल सूरज भान जी जालंधर )

मैंने श्री मास्टर तारासिंह जी के ८ और १२ सितम्बर के वक्तव्यों को बड़े ध्यान से पढ़ा। दोनों वक्तव्य 'हिन्दुओं का ऊधम' 'हिन्दी रक्षा गुंडा-गर्दी' और 'समिति का बेहूदा आँदोलन' जैसे उत्तेजनात्मक और अनर्गल वाक्यों से भरे हुए हैं। मास्टर जी जिस उत्तेजनात्मक और निंदात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग पंजाब का अन्य कोईनेता नहीं करता। इसप्रकार उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग करना श्री मास्टर जी का अपना विशेषाधिकार है और उनके इस अधिकार पर मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। फिर भी उनके वक्तव्य गलत हैं और उनकी दलीलें निस्सार हैं। पञ्जाब के सार्वजनिक जीवन में मास्टर जी का स्थान महत्त्व पूर्ण हैं अत: उनसे यह उचित रीति से आशा की जा सकती है कि वे जो कुछ कहें ज़िम्मेवारी की भावना से कहें परन्तु यह हिन्दुओं और सिक्खों का दुर्भाग्य है कि (जिनमें से बहुत से भाषा विवाद को उसी क्षेत्र में सीमित रखने की बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं जिस तक वह सीमित रहना चाहिए और इस प्रकार वे शान्ति पूर्वक प्रेम और सौहार्द से रहते चले आ रहे हैं ) जब भी मास्टर जी बोलते हैं तब वे चिढ़ाने, पुराने भरे और भूले हुए घावों को हरा करने या नए घावों को पैदा करके विरोध के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए ही बोलते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो सलाह दी है वह निराशा की सलाह है शांतिपूर्वक विचार की सलाह नहीं है जिसकी कि आशा की जानी चाहिए। इसका फल यह है कि जब २ वे बोलते या वक्तव्य देते हैं तो उनके वक्तव्यों से खराब हुई स्थिति और भी खराब हो जाती है जो सम्भवत: अपने अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ही दिए जाते प्रतीत होते हैं।

## वही पुरानी रट

मास्टर जी ने अपना १२-९-५७ का वक्तव्य इस पुरानी रट के साथ आरम्भ किया है कि "पंथ खतरे में है।" राजनैतिक नेता के रूप में मास्टर जी के स्टाक में सदैव एक मात्र यही रट रहती प्रतीत होती है। उनका कहना है कि 'इस बेहूदा, हिंसात्मक और सिख विरोधी आँदोलन' का उद्देश्य सिखों को नीचा दिखाना और सिख धर्म को समाप्त करना है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि माता पिताओं को अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम चुनने तथा सरकारी अफसरों को फायलों पर हिन्दी में नोट लिखने की स्वतन्त्रता दे देने से सिख धर्म क्योंकर समाप्त हो जायगा? सच्चर फार्मूले की आयु तो केवल ८ वर्ष की है। हम मास्टर जी से पूछते हैं कि यदि सच्चर फार्मूले से पहले ४५० वर्ष तक सिख धर्म जिन्दा रह सका तो उस फार्मूले में मामूली सुधारों के हो जाने से वह अब कैसे समाप्त हो सकता है? मास्टर जी जानते हैं कि वे साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को भी कायल नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्हें इस रट के उगाने में झिझक न हुई।

## तनाव किसने उत्पन्न किया ?

मास्टर जी का दूसरा आक्षेप यह है कि 'आर्य समाज के जन्म से पूर्व हिन्दुओं और सिखों में कोई झगड़ा न था। आर्य समाज की स्थापना के

होते ही झगड़ा प्रारम्भ हो गया।" परन्तु प्रश्न यह है कि इस झगड़े का कारण क्या था ? और इसकी जिम्मेवारी किस पर थी ? आर्य समाज पर इसकी जिम्मेवारी न थी। सत्य यह है कि अंग्रेजों की 'लड़ाने और शासन करने की' कुटिल नीति ने ही वैमनस्य का बीज बोया और सिक्खों के २० वीं शती के राजनैतिक गुरु उसी नीति पर चलकर उसे दृढ़ कर रहे और इस प्रकार अपने १० आध्यात्मिक गुरुओं के कार्य को नष्ट भ्रष्ट करने का कारण बन रहे हैं। आर्य समाज और सिख धर्म्म हिन्दू धर्म्म के २ प्रगति शील सुधारक अंग हैं। प्रारम्भ में बहुत से सिक्ख भाई आर्य समाज के सदस्य रहे। बाद में सत्ता हस्तगत करने के लिए राजनैतिक अड़ंगे बाजी और ब्रिटिश नीति ने पृथकत्व की भावनाओं को बढ़ावा दिया जिसके फल स्वरूप हिन्दुओं तथा सिक्खों के मध्य खाई चौड़ी हो गई। आर्य समाज के जन्म से पूर्व अपनी मर्जी या विवशता से ईसाई या मुसलमान बना हुआ दलित कहा जाने वाला भाई पुनः हिन्दू धर्म्म में वापस न जा सकता था अवश्य सिक्ख बन जाने पर वापस चला जाता था। परन्तु आर्य समाज ने शुद्धि आन्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म्म का दरवाजा खोल दिया जिस का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 'अमरत पर चार' के कार्य को धक्का लग गया। शुद्धि के जिस क्षेत्र में अर्से तक सिखों का एकाधिकार रहा उसमें आर्यसमाज के हिस्सेदार बन जाने से वह प्रतिद्वंदी समझा जाने लगा। इस प्रकार आर्य समाज संकुचित मन वाले सिक्खों के क्रोध और आक्रमणात्मक योजनाओं का लक्ष्य बन गया।

श्री मास्टर जी ने अपने वक्तव्य में तीसरी आपत्ति यह की है कि हिन्दू महासभा पर से उनका विश्वास उठ गया है। सत्य यह प्रतीत होता है कि मास्टर जी का प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि अपने पर से भी विश्वास उठ गया है। अन्यथा वे इतने परेशान न हुए होते। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उन्हें ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ और मैं यह नहीं मानता कि वे जान बूझकर पञ्जाब में अशान्ति फैला रहे हैं।

आर्य समाज ने पञ्जाब राज्य सरकार से मांग की है कि वह आर्य समाज चण्डीगढ़ को भ्रष्ट करने की दुर्घटना की अदालती जांच कराए, मास्टर जी ने इस मांग की चर्चा उसी घृणास्पद ढंग में की है जिस ढंग से वे प्रायः अन्य धर्म्मों की चर्चा करने के अभ्यस्त हैं। उनकी दृष्टि में आर्य समाज मन्दिर ऐतिहासिक धर्म्म स्थान नहीं अपितु साधारण स्थान है। उनकी दृष्टि में सिक्ख मन्दिर ही असाधारण मन्दिर हैं और वे ही एक मात्र पवित्र स्थान हैं। वे आर्य समाज मन्दिर चण्डीगढ़ की भ्रष्टता को तथा कथित और अपने मन्दिरों की तथा कथित भ्रष्टता को निश्चित मानते हैं। आर्यसमाज मंदिर ऐतिहासिक मन्दिर नहीं है उनके इस कथन का अभिप्राय यह है कि केवल ऐतिहासिक धर्म्म स्थान पवित्र हैं अन्य नहीं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ६-८-५७ को आर्य समाज मन्दिर चंडीगढ़ में घटित जैसी घटनाओं से ही स्थान को ऐतिहासिक रूप प्राप्त हुआ करता है। पञ्जाब के हिन्दू भविष्य में चंडीगढ़ को ऐतिहासिक स्थान ही मानेंगे।

## मास्टर जी की देशभक्ति ?

मास्टर जी ने अपने ८-९-५७ के वक्तव्य में पञ्जाब की भाषा समस्या के समाधान के लिए आयोजित होने वाली प्रस्तावित गोल मेज कान्फ्रेंस में भाग लेने से इन्कार किया था। उन्होंने अपने १२-९-५७ के वक्तव्य के अन्त में निषेध के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालने का यत्न किया है। उन्होंने जो कारण बताएँ उनसे जिस अहंकार और क्षुद्रता का परिचय मिलता है वे एक बड़े नेता के अनुरूप नहीं हैं। मास्टर जी कहते हैं 'जब हमने मोर्चा लगाया था तो न तो कांग्रेस ने और न कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने समझौते की चिन्ता व्यक्त की थी, यह कहकर वे पूछते हैं 'कांग्रेस के अनेक नेताओं तथा

अन्यान्य प्रमुख व्यक्तियों की इस बेहूदा आन्दोलन के प्रति सहानुभूति क्यों जागृत हो गई है ?" ८-९-५७ के वक्तव्य में मास्टर जी ने गुंडागर्दी को कुचल देने की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने पञ्जाब सरकार और पञ्जाब की पुलीस के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि वे समिति के स्वयं सेवकों के प्रति नर्मी का व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर जी की दृष्टि में लाठी प्रहार और अश्रु गैस काफी नहीं हैं। वे शायद यह पसन्द करें कि समिति के सत्याग्रहियों को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाय। लगभग ३ हजार निहंगे और अन्य सिक्ख देहात से आकर दिन दहाड़े अम्बाला में एकत्र हुए उन्होंने नगर में प्रदर्शन किया, बाजारों और गलियों में लोगों को आतंकित किया और सनातन धर्म्म के मन्दिर को भ्रष्ट किया। मास्टर जी ने इसके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। फीरोजपुर की जेल में सत्याग्रहियों पर हुए घोर अत्याचारों के सम्बन्ध में श्री मास्टर जी उपेक्षा धारण किए हुए हैं।

उसी वक्तव्य में उन्होंने पञ्जाब के राज्यपाल और श्रीयुत डा० भार्गव को झाड़ पिलाई है कि इन दोनों ने राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिए समझौता समिति की नियुक्ति क्यों की और गोल मेज सम्मेलन बुलाने की आयोजना क्यों बनाई ?मास्टर जी बार २ हिन्दू सिख एकता की दुहाई देते हैं। उनके उपयुक्त रवैए से उनकी इस दुहाई की कलई खुल जाती है। मास्टर जी ने स्वीकार किया है कि उनकी दृष्टि में हिन्दू सिक्ख ऐक्य ध्येय नहीं अपितु साधन है, वे कहते हैं "मैं हिन्दू सिक्ख एकता इसलिए चाहता हूं ताकि हमारे धर्म्म की रक्षा के लिए देश शक्तिशाली बने।" उनके वक्तव्य के अन्तिम छः शब्द ही उनके वक्तव्य की मुख्यतम प्रेरणा हैं और "हमारा धर्म्म" का अभिप्राय सिक्ख धर्म्म है, क्योंकि मास्टर जी ने सदैव यह माना है और अब भी मानते हैं कि सिक्ख धर्म्म हिन्दू धर्म्म से पृथक् है। जहां तक मास्टर जी के देश प्रेम का सम्बंध है उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि 'हम सिक्खों से यह आशा न रखनी चाहिए कि हम देश को बचाने के लिए अपने धर्म्म का बलिदान कर देंगे।' मास्टरजीके वक्तव्य के इस भाग पर किसी और आलोचना की आवश्यकता नहीं है।

मास्टर जी अपने वक्तव्य को इस घोषणा के साथ समाप्त करते हैं "क्या वे लोग दोषी है जो समझौते पर जमे हुए हैं या वे जो समझौते को भंग कराना चाहते हैं ... ?" मैं मास्टर जी को याद दिलाऊंगा कि भाषा के प्रश्न पर आर्य समाजियों और सिक्खों में अथवा हिन्दुओं और सिक्खों में कोई समझौता न हुआ था और मास्टर जी जिस समझौते की चर्चा करते हैं वह भी भारत सरकार और अकालियों के मध्य हुआ है और आर्य समाजियों तथा हिन्दुओं से परामर्श किए बिना चुपचाप बंद कमरे में हुआ था। अतः आर्य समाजी तथा हिन्दू इस समझौते से बँधे हुए नहीं है और जब तक इस समझौते के अत्यन्त आपत्तिजनक अंशों में सुधार न होगा तब तक राज्य के विभिन्न वर्गों में शान्ति और सद्भावना का वातावरण व्याप्त न होगा। आर्य समाज का सम्बंध उस समझौते के केवल भाषा सम्बन्धी भाग से ही है। अपनी संस्कृति, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को बचाने का विषय आर्य समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है और आर्य समाज धमकियों या गालियों से दबेगा नहीं। यदि हिन्दू धर्म्म की निन्दा करने से ही सिक्ख धर्म्म फल फूल सकता है, और यदि मास्टर तारासिंह की आत्मा की मुक्ति आर्य समाज को नष्ट कर देने से ही संभव हो सकती है जो उनकी दृष्टि में हिन्दू सिक्ख एकता के मार्ग में बाधक बना हुआ है तो निश्चय ही हम इस स्थिति में नहीं है कि अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक अधिकारों के बलिदान पर मास्टर जी की आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें स्वकृत कर सकें।

# * नयी सूझ *

## क्या अपने राज्य में सत्याग्रह नहीं होना चाहिए ?
## क्या केवल समझौते से काम चल जायगा ?

( श्री आचार्य नरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ ज्वालापुर )

यह अब सर्व विदित है कि हमारी भारतीय शासन प्रणाली पाश्चात्य प्रजातन्त्र पद्धति पर आश्रित है। हमने संविधान में बहुसम्मति से क्या प्रायः सर्वसम्मति से इस पाश्चात्य प्रजातन्त्र पद्धति को स्वीकार किया था तदनुसार यह धर्म-निरपेक्ष-शासन प्रणाली है।

इस प्रणाली में सभी वयस्क नर-नारी को मतदान का अधिकार है, इस नयी पद्धति के अनुसार १९५२ तथा अबकी वार अर्थात् १९५७ में देशव्यापी चुनाव हुए हैं।

इन चुनावों में दोनों बार कांग्रेस का ही बहुमत रहा, इसलिये शासन की बागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ही हाथों में रही और है।

इसी प्रथा के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में विधान सभाएं, विधान परिषदें, लोकसभा, तथा राज्य-परिषद् बनती हैं और वहां बहुमत से सब बातों का निर्णय होता है, लोक सभा तथा राज्य परिषद् सर्वतोपरि हैं। प्रान्तीय विधान सभाओं के अधिकार विशेष रहते हैं। लोक सभा के भी विभाग बटे रहते हैं, काम बटे रहते हैं।

जबसे कांग्रेस के हाथों में बागडोर आयी है और जबसे शासन की समालोचनाएं प्रारम्भ हो गई हैं और कहीं २ असन्तुष्ट जनता की ओर से जब सत्याग्रह चल पड़ते हैं तब हमारे अपने ही वर्तमान शासक कहने लगते हैं कि,

अब तो अपना राज है।

अब सत्याग्रह की क्या आवश्यकता है। समझौते से, बातचीत से काम लेना चाहिए। सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, विरोध में नारे नहीं लगाने चाहिए। विरोध में जलसे जलूस आदि नहीं होने चाहिए, परस्पर शांति और सौमनस्य से काम लेना चाहिए।

हम यह पहिले ही कह चुके हैं कि विधान सभा तथा लोकसभा में जो भी निर्णय होते हैं बहुमत से होते हैं। हाथ उठाकर, आवाज से, अथवा आवश्यकता पड़ने पर वोट लिखाकर।

स्वीकृत प्रणाली के अनुसार सब काम बहुमत के आधार पर होते हैं, चाहे किसी को रुचे या न रुचे।

यह सब कुछ है पर हम यह कदापि मानने को तैयार नहीं है कि बहुमत सदा सत्य पर ही आरूढ़ रहता है। पार्टी की नीति को स्थिर रखने के लिए कभी २ बहुमत उलटी ओर भी जाता है, जा सकता है। अल्पमत वाला दल, बात ठीक भी करता हो तो नहीं मानी जाती। अल्पमत वाला दल सदा असत्य पर ही आरूढ़ रहता है यह बात मानी नहीं जा सकेगी। वह बहुत सी बातें ठीक कहता है पर बहुमत के जोर पर उसको नहीं मान कर तिरस्कार कर दिया जाता है।

जब तक यह प्रणाली रहेगी तब तक ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता रहेगा। बहुमत से भी अन्याय होते रहेंगे क्योंकि सत्य असत्य का निर्णय

हाथों की संख्या पर नहीं है मत देने वालों की इच्छा पर भी नहीं। तुम चाहो या न चाहो वोट देनी पड़ेगी उधर ही जिधर दल के नेता चाहते हैं– इसलिए इस प्रकार के शासन में सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन आदि की आवश्यकता पड़ती ही है जनता को अपनी ओर करने के लिए प्रचार जलूस, विरोध करने ही पड़ते हैं। समझौता का मार्ग अच्छा है पर जिसके पास बहुमत है, बहुमत का मद है, वह कभी २ ऐसा अड़ जाता है कि जनता की सुनता नहीं जनता के बहुमत को मानता नहीं जैसे बम्बई के प्रश्न पर महाराष्ट्र में हुआ, जैसे पंजाब में हिन्दुओं का बहुमत है, तो भी अल्पमत वाले सिक्खों की गुरुमुखी की बात बहुमतधारी हिन्दुओं पर लादी गई है।

इसी अन्याय के प्रतीकारार्थ हिन्दी रक्षा समिति खड़ी हुई है। सिक्खों और हिन्दुओं में 'धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे' हो रहा है।

इसलिए यह सूझ कि जब स्वराज्य हो, अपना राज्य हो तब सत्याग्रह वगैरह की आवश्यकता नहीं है इस बात को हम मान नहीं सकते।

जब अपने ही प्रतिनिधि अन्याय करने लगें, अपना ही शासन अन्याय पर उतरे तो प्रजा के हाथ में और कौनसा अस्त्र-शस्त्र है जिससे वह अन्याय, अत्याचार का प्रतिकार करे।

राज्य चाहे अपना हो अथवा विदेशी हो उसके अन्याय का प्रतिरोध होना चाहिये।

प्राचीन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि अपने ही राज्य में लोगों ने अन्यायों का प्रतिकार किया। जब कर भार असह्य हो जाय, और कोई न सुने तो क्या हो। चुप रहते हैं तो शासन कहता है कि कोई असन्तोष नहीं है। यदि असन्तोष प्रकट करते हैं तो कहते हैं अब अपना राज्य है, विरोध क्यों करते हो, जलसे क्यों करते हो, अड़ते क्यों हो देखो केन्द्र में अथवा विधान सभा में बहुमत से पास हुआ है। आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही बहुसम्मति से पास किया है।

हम पूछते हैं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में विरोधी दल भी तो एक आवश्यक दल होता है। यह माना जाता है प्रजातन्त्र को चलाने के लिये, अच्छी तरह चलाने के लिए तगड़े विरोधी दल की आवश्यकता रहती है तब फिर शासन चक्र ठीक चले इसलिए जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है! समय पड़ने पर अन्याय अत्याचार के प्रतिरोध के लिए जनता को खड़ा होना चाहिए।

यदि यह बात मान ली जाय कि एक बार चुनाव हो जाने के पश्चात् फिर जनता का कुछ भी काम नहीं, वह चुपचाप देखती जाय क्या होता है। हम इस बात को कदापि नहीं मान सकते जिसके हाथ में प्रतिनिधियों के भेजने का अधिकार है वह यदि देखे कि अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है तो, उसका प्रतिकार भी करे।

प्रतिनिधियों को चाहिये कि एक बार चुने जाने पर प्रजा की ओर से सर्वथा निश्चिन्त होकर न बैठे रहें।

इस प्रजातन्त्र पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि जनता मतदान द्वारा किसी को चुनकर ऊपर सभाओं में भेज तो सकती है पर यदि चुना हुआ व्यक्ति विपरीत आचरण करे तो उसको वापस बुला नहीं सकती। चुना हुआ व्यक्ति ऊपर जाकर पार्टी का पाबन्द तो हो जाता है पर जनता का पाबन्द नहीं रहता। चुना हुआ व्यक्ति पाँचवर्ष के लिये सर्वथा निश्चिन्त हो जाता है। वह अपनी बात पार्टी मीटिंग में कह सकता है पर उसको वोट पार्टी के साथ ही देनी पड़ेगी।

# पंजाब पर हिन्दी का अधिकार

[ श्री सन्तराम बी० ए० ]

पंजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन हमारे वर्तमान सत्ताधारी दल के अज्ञान तथा अनुभवहीनता का ही परिणाम मात्र है। विदेशी होते हुए भी अंगरेजों को इस देश के इतिहास तथा परम्परा का जितना अच्छा ज्ञान था उसका चतुर्थांश भी स्वदेशी शासकों को नहीं अन्यथा पञ्जाब में भाषा की कोई समस्या खड़ी ही न होती। मैं आगे इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया से एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। पाठक और कांग्रेसी सरकार इसे ध्यान से पढ़ें ? उसमें लिखा है :—

"सिख राजत्वकाल में व्यवसाय के रूप में पढ़ाने का काम प्रायः पूरी तरह मुसलमानों के हाथ में था। वे मसजिदों में कुरान की शिक्षा देने के अतिरिक्त, फारसी भाषा भी पढ़ाते थे। इन्हीं स्कूलों पर अंगरेजी सरकार के प्रारंभिक स्कूलों का पैबन्द लगाया गया था। विशुद्ध हिन्दू स्कूल विरल थे। हिन्दू स्कूल या तो ऐसे विद्यालय थे जहां ब्राह्मण लड़के संस्कृत सीखते और अर्द्ध-धार्मिक तथा अर्द्ध-व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, या फिर प्रारंभिक पाठशालाएं थीं जिनमें हिन्दू दुकानदारों को हिसाब-किताब रखना और व्यापारिक लिपि (लण्डे टांको) में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। गुरुमुखी स्कूल इने-गिने ही थे और वे भी साम्प्रदायिक थे।...पञ्जाब के अंगरेजी अधिकार में आ जाने के बाद ईसाई मिशनों ने कई स्कूल खोले, लाहौर का स्कूल सन् १८४९ में खोला गया। सरकार ने शीघ्र ही उनके उदाहरण का अनुकरण किया। (पृष्ठ १३३—१३४)

सन् १८५४ में शिक्षा-विभाग संगठित किया गया था।" फारसी लिपि, जो पहले ही पश्चिमी पञ्जाब और पूर्वी पञ्जाब के दो तिहाई देसी स्कूलों में प्रचलित थी निःसंकोचभाव से मापदण्ड के रूप में स्वीकार कर ली गई; परन्तु भाषा कौनसी हो, इस प्रश्न ने अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत कर दीं।" पञ्जाबी कोई साहित्यक भाषा नहीं, और उर्दू, यद्यपि लोकप्रिय न थी, तो भी इसका उपयोग, विशेषतः अदालतों में, इतना अधिक होता था कि इसे विवश होकर लेना पड़ा। परन्तु जहां लोगों की मांग होती थी, वहां गुरुमुखी और हिन्दी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाता था। (पृष्ठ १३४)

"परन्तु हिन्दुस्तानी, जो कि पश्चिमी हिन्दी की एक प्रमुख बोली है, केवल स्थानीय बोली ही नहीं, वरन् भारतीय महाद्वीप के सारे उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में एक दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है। जो भी व्यक्ति थोड़ासा भी शिक्षित कहलाने का अधिकारी है वह क्या बाजार और क्या अदालत में इसी का प्रयोग करता है।"... फारसी भेस (लिपि) में हिन्दुस्तानी उर्दू कहलाती है—इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया (नया संस्करण) खन्ड १ (डस्क्रपशन), १९०९ पृष्ठ ३६५

फारसी लिपि एक विदेशी लिपि है। इसका प्रचार भी सीमित है। उसके स्थान में यदि हिन्दुस्तानी को नागरी लिपि में लिख दिया जाय तो वह हिन्दी ही है। चाहिए यह था कि पंजाब में नागरी अक्षरों में हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी न्यायालय की भाषा बना दी जाती। इसमें कुछ भी कठिनाई न होती, क्योंकि इसका प्रचार पहले से ही इस प्रान्त में था। पंजाब के सत्तर प्रतिशत से भी अधिक लोग इसके पक्ष में थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन भी इसका समर्थन करता था। आयोग की सिफारिशों को यदि ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता तो कुछ भी गड़बड़ न होती, क्योंकि आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा निष्पक्षता पर किसी को भी संदेह करने का साहस न हो सकता था। परन्तु हमारे प्रधान मन्त्री आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। आयोग के प्रतिवेदन के निकलते ही वे बोल उठे, 'मुझे इसे देखकर आश्चर्य हुआ है।' बस उनके मुख से इन शब्दों

# संसद के १५० माननीय सदस्यों की अपील
## आर्य समाज तथा समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया

**आर्य समाज**

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त ने संसत्सदस्यों के संयुक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रेस वक्तव्य दिया है :—

"मैंने कल १५-६-५७ के समाचार पत्रों में संसत्सदस्यों की हिन्दी रक्षा समिति के नाम अपील पढ़ी जिसमें पंजाब में चल रहे भाषा आन्दोलन को बन्द करने की प्रेरणा की गई है। अपील की प्रति अभी तक न तो मुझे प्राप्त हुई है और न सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को। यह भी संदिग्ध है कि वह स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को प्राप्त हुई होगी। फिर भी यत: वह देश की प्रमुख सम्पन्न लोक सभा के सदस्यों की ओर से प्रचारित हुई है अत: मैं अनुभव करता हूं कि मुझे उस पर उचित ध्यान देना चाहिये।

मैं इस बात के लिये कृतज्ञ हूं कि आर्यसमाज के आन्दोलन ने लोक सभा के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया है और वे अनुभव करते हैं कि इस समस्या के समुचित समाधान का मार्ग निकाला जाना चाहिये। परन्तु मुझे यह कहना चाहिये कि उन्हें अभी तक हमारे आन्दोलन का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं हो सका है और इसका कारण पर्याप्त जानकारी का प्राप्त न होना ही हो सकता है। जब पिछले दिनों उन्होंने सरदार प्रतापसिंह कैरों का भाषण सुना तो उन्हें केवल एक पक्ष की ही बातें ज्ञात हुई होंगी। लोक सभा का सत्र अभी समाप्त हुआ है और लोक सभा के बहुत से सदस्य देहली से चले गये होंगे और बहुत से मेरे इस वक्तव्य के प्रकाशित होने से पूर्व ही देहली छोड़ कर चले जायेंगे। अत: मुझे सन्देह है कि यह वक्तव्य उन तक पहुंच सकेगा या नहीं। कम से कम अपील पर हस्ताक्षर करने वालों का एकत्र होना और मुझे बोलने का अवसर दिया जाना असम्भव ही है जिससे कि वे ठीक स्थिति जान लेते और समस्या के ठीक समाधान का मार्ग निकालने में उन्हें सुविधा हो जाती।

यह विषय बड़ा सरल है। परन्तु इस विषय को जानने वालों ने जानबूझ कर और न जानने वालों ने अज्ञानवश जटिल बना दिया है। न जानने वाले संसत्सदस्यों के वक्तव्य को ही सच्चा मान बैठे हैं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि आर्य समाज का आन्दोलन हमारे सिख भाइयों के विरुद्ध जरा भी नहीं है। यह तो सरकार की भाषा नीति के सम्बन्ध में उसी के विरुद्ध है। एक शब्द में हमारी आपत्ति हिन्दी या पंजाबी को अनिच्छुक लोगों के गले उतारने की सरकारी नीति पर है।

यदि आन्दोलन को वापस लेने का परामर्श देने वाले हमारे माननीय सदस्यों पर इस आन्दो-

---

का निकलना था कि सिखों ने सुअवसर देख शोर मचाना आरम्भ कर दिया और केन्द्रीय सरकार के पांव हिल गये।

सोचने की बात है कि अंगरेजों ने अपने राजत्वकाल में बंगाल में बंगला को महाराष्ट्र में मराठी को और मद्रास में मद्रासी को वहाँ की अदालती भाषा बनाया था। पंजाब में उन्होंने पंजाबी को छोड़ कर उर्दू को क्यों राज्य की भाषा बनाया ? क्या पंजाबी के साथ उनको भी कोई वैर था ? अंगरेज आर्य समाजी तो नहीं थे। कारण यह कि पंजाब में पंजाबी कभी भी राज्य-भाषा नहीं रही; रणजीतसिंह के शासन काल में भी नहीं। यहाँ सदा हिन्दी, जिसका दूसरा नाम हिन्दुस्तानी है सदा राजकाज की भाषा रही है। उसी को फिर से प्रतिष्ठित कर देना ही पंजाब की भाषा समस्या का सच्चा समाधान है।

उन का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता तो निश्चय ही उनके परामर्श का रूप ही भिन्न हुआ होता।

उन्होंने हमें कहा है कि हम यह मामला श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी के हाथों में सौंपदें और उनके निर्णय को मान्यता दें। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीयुत पण्डित जी संसार की एक बड़ी हस्ती हैं। देश का बच्चा बच्चा उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। आर्य समाज के सदस्य भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने में किसी से पीछे नहीं हैं परन्तु इस झगड़े में फैसला देने के लिये उनसे प्रार्थना करना न तो श्री पण्डित जी के प्रति न्याय होगा और न आर्य समाज के प्रति ही क्योंकि वे सरकार के प्रमुख हैं जो इस झगड़े में एक पक्ष है और इस मामले में उनके विचार बड़े उग्र हैं जिसका प्रकाश वे जनता के समक्ष कई बार कर चुके हैं।

यदि माननीय सदस्यों को इस झगड़े का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होता तो सम्भवतः वे गवर्नमेंट को यह परामर्श देते कि आर्य समाज की साधारण मांगे स्वीकार कर लेनी चाहिये और यदि वे पंच फैसले से इस समस्या का हल कराना ही चाहते तो वे गवर्नमेंट को यह परामर्श देते कि दोनों पक्ष यह मामला फैसले लिये किसी उच्च न्यायाधीश को सुपुर्द करने के लिये राजी हो जायें जिन पर दोनों पक्षों का विश्वास हो।

अन्त में मैं इस बात पर बल देना चाहता हू कि आर्य समाज भारत की सुरक्षा और एकता तथा विभिन्न वर्गों में मुख्यतः सिखों और हिन्दुओं में सद्भावना उत्पन्न करनेमें कोई बात उठा न रखेगा। किन्तु हिन्दुओं और सिखों के सम्बन्धों के बिगड़ने का मूल कारण भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में बाध्यता की सरकारी नीति ही है क्योंकि बाध्यता से तो केवल वैमनस्य की ही उत्पत्ति होती है। इसी बाध्यता के कारण आर्य समाज के सत्याग्रह के आरम्भ होने से पहले भी ये सम्बन्ध बिगड़े हुये थे और सत्याग्रहियों के प्रति अमानुषिक व्यवहार से तो वे सम्बन्ध और भी खराब हो गये।

---

समाचार पत्र

## संसद सदस्यों की अपील

पिछले कुछ दिनों से अनेक अपीलें निकल रही हैं जिनमें हिन्दी रक्षा आन्दोलन के संचालकों को आन्दोलन बंद करने की प्रेरणा की जा रही है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अपील लोक सभा के १५० सदस्यों की है जो विभिन्न राजनैतिक दलों और प्रान्तों के हैं। अपील में सुझाव दिया गया हैं कि यह मामला शान्तिपूर्ण हल के लिये श्रीयुत पं० जवाहरलाल नेहरु के सुपुर्द कर दिया जाए। लोक सभा तथा विधान सभाओं के अनेक सदस्यों ने नई दिल्ली में बैठकर इसी प्रकार की अपीलें प्रचारित की थीं। लगभग ३६ हिंदी साहित्यिकों की अपील भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ दिन हुए हम भी इसी स्वर में बोले थे। पंजाब और देश के प्रत्येक शुभचिन्तक का कर्त्तव्य है कि वह तनाव को कम करने और सामान्य स्थिति लाने में जो योग दे सकता है अवश्य देवे।

विधान सभायी सदस्यों, साहित्यिकों तथा अन्यान्य ने इस विषय में जो रुचि दिखाई है वह स्वागत योग्य है किन्तु कुछ व्यक्तियों का केन्द्रीय राजधानी में किसी मनोरम स्थान पर एक साथ बैठ जाना और सद्भावनापूर्ण वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अपीलों का विशेषतः दूर बैठकर की गई उन अपीलों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता जिनसे हस्ताक्षर करने वालों की वस्तु स्थिति की अज्ञानता का परिचय मिलता हो।

पं० जवाहरलाल नेहरु ने कांग्रेस पार्लिया-

मेन्टरी दल की बैठक में हिन्दी आन्दोलन की भरपेट निंदा की परन्तु उन्होंने फिरोजपुर और रोहतक की घटनाओं को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने इन घटनाओं को 'जघन्य कांडो' की संज्ञा दी। हमारे पास विविध साक्षियोंमें से श्री सरदार बहादुर सी० एम० पी० और पेप्सू के भूतपूर्व मन्त्री श्री अतर सिंह जी की साक्षियां भी हैं जिनसे सिद्ध है कि उन दिनों हरियाना के कुछ भागों में आतंक का राज्य व्याप्तथा।(हमारी सूचना है कि वहां अबभी आंतक का राज्य व्याप्त है--संपादक सार्वदेशिक) हमने १५० संसत्सदस्यों की अपील में यह देखने का प्रयास किया कि उसमें लोगों को आतंकित करने केलिये प्रयुक्त निमम बल प्रयोग की निन्दा या रोहतक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई या नहीं परन्तु हमें उसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं देख पड़ी।

संसत्सदस्यों की अपील के उद्देश्य के साथ हमारी सहानुभूति है परन्तु क्या ये संसत्सदस्य यह अनुभव नहीं करते कि जनता द्वारा उनकी अपील के स्वीकार होने की संभावना तभी बढ़ सकती है जबकि जनता को उससे वस्तु स्थिति के ठीक २ अध्ययन का संकेत मिले। हम संसत्सदस्यों तथा उन जैसा विचार रखने वाले लोगों को यह परामर्श देंगे कि वे अपनी व्यास गद्दियों को छोड़कर पंजाब में घूमकर स्वयं स्थिति का अध्ययन करें और स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने प्रभाव को कार्य में लाएँ। जब तक उनकी अपील का समर्थन उनके कार्य से नहीं होता तब तक यदि उनकी बातें आराम कुर्सियों पर पड़े हुए राजनीतिज्ञों के समान प्रभाव हीन समझी जांय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

ट्रिब्यून १८-९-५७

## गुप्त जी का उत्तर

पं० नेहरु एक महान व्यक्ति हैं और किसी पेचीदा प्रश्न पर उनकी निर्णायक शक्ति में अवि-श्वास का भी कोई कारण नहीं है, परन्तु फिर भी संसद-सदस्यों ने पंजाब के हिन्दी-आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्न का निर्णय पं० नेहरु पर छोड़ने की जो अपील की थी उसके उत्तर में श्री सार्वदेशिक भाषा स्वातंत्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्यामसिंह के उत्तर को हम एकदम युक्तिसंगत समझते हैं। पं० नेहरु में वे सब गुण विद्यमान हैं जो जनता की श्रद्धा और आदर का भाजन बनने के लिए अपेक्षित है, परन्तु किसी व्यक्ति का श्रद्धापात्र होना और बात है और निष्पक्ष निर्णायक होना और। पं० नेहरू में सत्यता ईमानदारी कितनी ही अधिक हो, परन्तु जिस प्रकार शरीर रहते हुए हम अशरीरी की एकदम यथार्थ कल्पना नहीं कर सकते उसी प्रकार पंडित जी के लिए भी यह असम्भव है कि उन्होंने उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में जो धारणा बना ली है उससे पृथक होकर उस पर विचार कर सकें। यह काम तो वही व्यक्ति कर सकता है जो इस प्रश्न को धर्म अथवा राजनीति से न जोड़कर उसके अपने मूल्य की दृष्टि से विचार कर सके। किसी उच्च न्यायाधीश को ऐसा ही समझा जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि यह प्रश्न उसे सौंपा जाय।

नवभारत टाइम्स १७-९-५७

# कैरों साहब का नया दृष्टिकोण

सम्वाददाताओं से बातचीत करते हुए दिल्ली में सरदार प्रतापसिंह कैरों ने फरमाया कि भाषा के झगड़े को निपटाने के लिए जो भी योजना बनाई जाएगी वह निश्चित रूप से क्षेत्रीय योजना के अन्दर तक ही सीमित होनी चाहिए। आगे चल कर आपने कहा कि यदि क्षेत्रीय योजना के मौलिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन किया जाना है तो यह निश्चित रूप से सम्बंधित दलों की सहमति से होना चाहिए। इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण करते हुए आपने कहा—"निःसन्देह अनौपचारिक रूप से —'वर्तमान प्रबन्ध कोई स्थाई थोड़े हैं। यह तो केवल सुविधा और आसानी के लिए है। जब सरकार के पास पर्याप्त साधन होंगे-विशेषतया धन और प्रशिक्षित शिक्षक तो किसी बच्चे को हिन्दी अथवा पंजाबी भाषा में, जिसमें वह चाहें, शिक्षा देने में कोई कष्ट न होगा।"

यह कह कर आपने उन सब इधर उधर की बातों का उल्लेख किया जो एक शासक करता है जब उसे जनता पर सख्ती को उचित सिद्ध करना पड़े। आपने फरमाया कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक है और कुछ शरारत प्रिय लोग इसको चला रहे हैं। आपने यह भी कहा कि आन्दोलन अब तो कुछ ही दिनों का महमान है। स्पष्ट हो कि आज से चार मास पूर्व भी आपने कहा था कि यह बच्चों का खेल है और इसका कुछ ही दिनों में दमन करके रख दिया जायेगा, आदि २! खैर! इस समय मैं सरदार साहब के वक्तव्य के इन अर्थहीन तथा व्यर्थ बातों की ओर नहीं जाना चाहता, मैं तो इस घोषणा पर विचार करना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध वास्तविक समस्या से है। आपने कहा कि क्षेत्रीय योजना में परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर दोहराता हूं कि जहां तक वर्तमान आन्दोलन का सम्बन्ध है, हिन्दी रक्षा समिति को क्षेत्रीय योजना में कोई रुचि नहीं। वह तो केवल भाषा के प्रश्न से ही सम्बन्धित है। सरदार साहब के वक्तव्य से एक बात स्पष्ट हो गई है कि आप परिवर्तन के लिए तो तैयार हैं परन्तु शर्त यह है कि वह क्षेत्रीय योजना के अन्दर तक ही समित हो। हर्ष की बात है कि आपने यह तो अनुभव कर लिया कि परिवर्तन की आवश्यकता है। आपकी दमनकारी नीति ने न लोगोंके जोशको ठण्डाकिया है न उनकी प्रति शोध की भावना को। इसलिए आपको भी स्वीकार करना पड़ा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपके एक सहयोगी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह भी स्वीकार कर लिया है कि क्षेत्रीय योजना के अन्दर रहकर भी हिन्दी रक्षा समिति की मांगों को स्वीकार किया जा सकता है और वह इस तरह कि पञ्जाबी की शिक्षा तो अनिवार्य कर दी जाये परन्तु उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक न हो अथवा यह कि सात विषय में से किन्हीं पांच में पास होना अनिवार्य हो। मैं समझता हूँ कि यह हल ऐसा है जिससे क्षेत्रीय योजना की प्रतिष्ठा बनी रहती है और हिन्दी रक्षा समिति वालों की आपत्ति भी पूरी हो सकती है। कई दिन से इस हल की चर्चा है। कोई कहता है कि श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने इसे पेश किया और कोई किसी और का नाम लेता है। पञ्जाब के शिक्षामंत्री अमरनाथ विद्यालंकार ने भी सरकारी रूप से इसका उल्लेख किया है। ऐसी हालत में कोई कारण नहीं कि इस हल का अनुकरण करने का प्रयास न किया जाये। इसका व्यावहारिक परिणाम क्या होगा—प्रत्येक व्यक्ति पञ्जाबी पढ़ जायेगा-और पञ्जाबी पढ़ने के विरुद्ध कोई भी नहीं, समिति वाले तो केवल बलात के तत्व के विरुद्ध हैं। यदि आज क्षेत्रीय योजना को हटाया नहीं जा सकता तो यह सुगमतम उपाय है इस कठिनता को पार करने का।

दूसरी समस्या है 'नोटिंग' की। ज्ञानी करतारसिंह जी महाराज ने राज्यपाल द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पञ्जाबी क्षेत्र में जिलास्तर से नीचे सारा काम केवल पञ्जाबी में हुआ करेगा। इस पर आपसे कहा गया कि आपका दृष्टिकोण पण्डित

नेहरू के दृष्टिकोण के विपरीत है। अतः आपने उत्तर दे दिया कि ऐसी हालत में पण्डित जी के साथ विचार परामर्श करना आवश्यक है, सो कर लिया जाये। पण्डित नेहरू के हृदय में अकालियों के दृष्टिकोण के लिए कितनी ही सहानुभूति क्यों न हो परन्तु फिर भी वह इतना साहस नहीं कर सकते कि भारत की राष्ट्रभाषा को-सारे पञ्जाब की ७० प्रतिशत जनसंख्या की भाषा को-पञ्जाबी क्षेत्र की ४५ प्रतिशत जनसंख्या की भाषा को इस बात की अनुमति न दें कि उसे पञ्जाबी क्षेत्र में जिला स्तर से नीचे भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ज्ञानी जी पण्डित जी से मिल कर संतुष्ट हो जाये। मुझे विश्वास है कि पण्डित जी कभी इस गलत सुझाव को स्वीकार न करेंगे कि पञ्जाबी क्षेत्र में जिला स्तर से नीचे हिन्दी के लिए कोई स्थान न हो।

इसलिए वास्तविकता यह-है कि जहां तक सरकार और हिन्दी रक्षा समिति वालों का सम्बन्ध है, उसके मतभेद लगभग समाप्त हो चुके हैं। हां मास्टर तारासिंह को मनाना शेष है और या यदि अभी कोई कसर है तो वह सरदार प्रताप कैरों की प्रतिशोध भावना की पूर्ति है। सरदार साहब चाहे कुछ कहते फिरें संसार ने देख लिया कि हिंदी रक्षा आन्दोलन आपके नियन्त्रण से बाहर था। इसे दबाने के लिए डा० गोपीचन्द भार्गव को लाना पड़ा। यदि आप स्वयं लाये तो यह समझ कर कि यह रोग आपके बस का नहीं और यदि उच्चसत्ता ने उल्टे आप पर ठोंसा तो इसलिए कि उसने अनुभव किया कि परिस्थितियां दिन प्रति-दिन नियन्त्रण से बाहर होती जा रही हैं और आप इसे नियन्त्रित करने के योग्य नहीं। ऐसी हालत में हंसी आती है जब सरदार प्रताप सिंह कैरों घोषणा करते हैं कि आन्दोलन खत्म हो रहा है। आन्दोलन खत्म हो रहा है अथवा नहीं इसका अनुमान लगाना है तो प्रधान मन्त्री से जाकर पूछो कि वह क्या निर्देश दे रहे हैं। सरदार साहब निःसन्देह न समझें परन्तु संसार समझ सकता है कि आन्दोलन चलाने वाले भी भारतीय हैं। उनके हृदय में भी पण्डित नेहरू, भारत के प्रधान मंत्री के लिए श्रद्धा है। सार्वजनिकरूप से कोई कुछ कहता रहे, पण्डित नेहरू के कट्टर से कट्टर विरोधी को भी आपकी इच्छा और निर्देश का आदर करना पड़ता है। इसलिए यदि पण्डित जी की इच्छा यह हो कि अराजकता बढ़ने न पाये और अब जब कि बातचीत हो रही है कोई ऐसी बात न की जाये जिससे समझौते का वातावरण कटु हो तो कोई व्यक्ति तो इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता जो सरदार साहब कर रहे हैं। सरदार साहब ने बड़े जोश में आकर कहा कि श्री बलराम दास जी टण्डन मफरूर क्यों हैं? वह कहां हैं-मैं उनको बता दूंगा परन्तु यदि सरदार साहब अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं तो आन्दोलन के नेताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते। श्री घनश्याम सिंह गुप्त को मफरूर नहीं स्वामी आत्मानन्द जी कहीं गायब नहीं हुए और जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं सब मौजूद हैं उनको क्यों नहीं हाथ दिखाया जाता। इसलिए सरदार साहब से मैं कहूंगा कि अपने मस्तिष्क से यह विचार निकाल दीजिए कि आप इस आन्दोलन को दबा पाये हैं। आपका हाई कमान आप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह देख रहा है कि जितना जोश लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे कहीं अधिक उनके दिल व दिमाग पर प्रभाव कर रहा है और वह कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सर्वनाश करके रख रहा है। कोई आन्दोलन एक स्तर पर नहीं चला करता इसमें उतार चढ़ाव आते हैं परन्तु लोगों के हृदयों में उथल पुथल नहीं होती। आज बुद्धियुक्त एक-एक कांग्रेसी समझ रहा है और यह अनुभव कर सकता है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों पञ्जाब में कांग्रेस की कबर खोद रहे हैं। यदि इस सफलता पर सरदार साहब गर्व करना चाहते हैं तो उन्हें बधाई हो।

नरेन्द्र

(वीर अर्जुन)

# ट्रिब्यून (अम्बाला) का परामर्श

## ( ७-६-५७ )

पञ्जाब राज्य सरकार जिस ढंग से हिन्दी आंदोलन का सामना कर रही है उससे वह आन्दोलन को दबाने में सफल नहीं हो सकती। जब पञ्जाब के राज्यपाल के निमन्त्रण पर राज्य सरकार और हिन्दी रक्षा समिति के प्रतिनिधियों के मध्य समझौते की वार्त्ता आरम्भ हुई तब राज्य सरकार ने अप्रत्याशित और अनुचित रूप से समिति के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और नजरबन्दी की नीति का आश्रय ले लिया। यद्यपि तनाव की इस परिस्थिति में बातचीत कुछ समय तक जारी रही तथापि उन गिरफ्तारियों के परिणाम स्वरूप उस समय राज्य का वातावरण बहुत खराब हो चुका था। पञ्जाब राज्य सरकार की यह बहुत बड़ी भूल थी। समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चिन्तित और परेशान होना स्वाभाविक था और उन्होंने राज्याधिकारियों के चैलेन्ज को स्वीकार कर लिया। वार्त्तालाप के समाप्त होते ही जो निष्फल हो गई थी राज्य सरकार ने अपना जाल विशाल रूप से फैलाया और उन सबकी सामूहिक गिरफ्तारियां कर डालीं जो उसकी दृष्टि में हिन्दी रक्षा आन्दोलन के साथ सहानुभूति रखते थे, जिन पर ऐसा करने का उसका संदेह था, वा जिन्होंने राज्य सरकार की हिन्दी आन्दोलन विषयक नीति की आलोचना करने का साहस किया था। इस जाल से कांग्रेस के प्रमुख २ एम० एल० ए० भी न बच सके। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति भी थे जो आन्दोलन को संयत रखने पर प्रभाव डाल रहे थे और सरकार के साथ कोई न कोई समझौता करने के लिए उत्सुक थे। अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों की इस नीति से जिसका अवलम्बन इस समय भी किया जा रहा है उन क्षेत्रों में भी रोष व्याप्त हो गया है जो इस आन्दोलन को पसन्द न करते थे।

सौभाग्य से डा० गोपीचन्द भार्गव के पञ्जाब मन्त्री मण्डल में सम्मिलित हो जाने से जो आन्दोलन के प्रति सरकारी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का द्योतक है—सरकारी नीति को ढीला करके समस्या के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। निःसन्देह इस समय तक सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं देख पड़ा है परन्तु पद ग्रहण करने के समय से अब तक डा० भार्गव ने जो वक्तव्य दिए हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि सरकारी नीति में महत्वपूर्ण सुधार की आशा की जा सकती है। डा० भार्गव भी विवाद की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। वे श्रीयुत घनश्याम सिंह गुप्त से समझौता के विषय में वार्तालाप कर चुके हैं। डा० भार्गव ने गुप्त जी को तथा समिति के अन्य नेताओं को यह सुझाव दिया है कि वे सत्याग्रह को स्थगित कर दें जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रस्तावित वार्तालाप के समय राज्य सरकार गिरफ्तारियां बंद कर देगी। डा० भार्गव ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्त्तालाप करते समय यह भी कहा कि आवश्यक होने पर वे समिति के नेताओं को जेल से छुड़ा देंगे जिससे वे लोग सामूहिक रूप से अपना मन्तव्य बनाने में समर्थ हो सकें। यदि पञ्जाब सरकार पहले ही समझौता और सहानुभूति का वह रुख अपनाती जो अब श्री डा० भार्गव ने अपना रखा है तो समझौते तक पहुंचने में कठिनाई न होती और स्थिति ऐसी खराब न होती जैसी कि अब है। परन्तु राज्य सरकार ने आन्दोलन की हत्या करने के यत्न में ऐसे कार्य कर डाले जिससे समिति के साथ संघर्ष बढ़ते २ सीमा को पहुंच गया।

—०—

# विविध वक्तव्य

## ( १ )
## जनसंघ और आर्य समाज

दिल्ली ११ सितम्बरः—भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्यवाहक प्रधान श्री पं० नरेन्द्र जी ने आज यहां पञ्जाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रताप सिंह कैरों के उस भाषण पर आश्चर्य प्रकट किया जो कि कल उन्होंने संसद्-सदस्यों की एक सभा में दिया। श्री पं० नरेन्द्र जी ने कहा कि सरदार कैरों हिन्दी आन्दोलन के बारे में गलत प्रचार करके जनता की आंखों में धूल झौंकना चाहते है। यह कहना नितान्त हास्यास्पद है कि चुनाव से पूर्व आर्य-समाज और जनसंघ में किसी प्रकार समझौता हुआ था। धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था होने के नाते आर्य समाज ने आज तक कभी भी किसी राजनीतिक संस्था से कोई समझौता नहीं किया। आर्य-समाज पर इस प्रकार का निराधार लांछन लगाकर श्री कैरों ने अपनी बुद्धि के दिवालिये पन का प्रमाण दिया है।

श्री नरेन्द्र जी ने आगे चलकर कहा कि सरदार कैरों की तरफ से प्रतिदिन हमारे आन्दोलन पर हिंसात्मक होने का आरोप लगाया जाता है। कैरों साहब की पुलिस के निर्मम अत्याचारों और अकालियों की तरफ से उत्तेजनात्मक परिस्थिति पैदा करने के बावजूद भी हमारे सत्याग्रही शान्त रहे हैं। हमारे आन्दोलन को हिंसात्मक कह कर बदनाम करना ठीक वैसा ही है जैसा कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस-सत्याग्रह को बदनाम करती थी।

आपने अन्त में कहा कि सरदार कैरों दिल्ली में आकर डींग मारते हैं कि आन्दोलन अन्तिम सांस ले रहा है। यदि यही बात है तो रोज हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत क्यों बन्दी बनाया जा रहा है? हमारी यह नीति है कि सत्याग्रह नियंत्रण में चले। जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जातीं तब तक सफलता पूर्वक सत्याग्रह को चालू रखने की क्षमता आर्य-समाज में है। पञ्जाब के ग्राम २ से सत्याग्रही हमारे आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। इसी से आन्दोलन की लोक प्रियता का अनुमान किया जा सकता है।

—o—

## ( २ )

पञ्जाब प्रदेश जनसंघ के प्रधान आचार्य रामदेव ने एक वक्तव्य में कहा है कि मुझे सरदार प्रताप सिंह कैरों द्वारा इस 'रहस्योद्घाटन' पर कि गत चुनाव से पहले जनसंघ ने आर्य समाज के साथ समझौता किया था कि आर्य समाज चुनाव में जनसंघ को सहयोग दे और जनसंघ आर्यसमाज के प्रस्तावित हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भाग लेगा, हंसी आती है। सब लोग जानते हैं कि जनसंघ एक राजनीतिक संस्था है जिसमें समाज के आर्य-समाज सहित सभी अंग सम्मिलित हैं। आर्य-समाज एक विशुद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। इसके कई सदस्य कांग्रेस तथा अन्य दलों में काम करते हैं। गत चुनाव में कुछ प्रमुख आर्य-समाजियों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। क्या इस का मतलब यह निकाला जाय कि कांग्रेस और आर्य समाज में कोई समझौता हुआ है।

वस्तुस्थिति यह है कि हिंदी रक्षा समिति की

मांगों का कोई युक्तियुक्त उत्तर पास न होने के कारण श्री कैरों और उनके साथी अनर्गल बातें करने पर उतर आये हैं। वे जनता का ध्यान वास्तविक समस्या से हटा कर इधर-उधर की बातों में लगाना चाहते हैं। परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जनता अब सारी बात को भली प्रकार समझ चुकी है।

—०—

( ३ )

## श्री पं० नेहरू का असंगत आरोप

"मेरा ध्यान यू० पी० आई० की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें प्रधान मन्त्री श्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू ने पंजाब के हिन्दी आँदोलन को अत्याधिक बेहूदा बतलाते हुये कहा है कि यह आन्दोलन राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया है। "इस रिपोर्ट से मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है और मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गलत हो। परन्तु मैं श्री नेहरू जी के इन विचारों के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं को इस आधार पर कि यू० पी० आई० की रिपोर्ट सत्य होगी विशेषतया जबकि उसका प्रतिवाद नहीं किया गया है, प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। एक संस्कृत की कहावत है "शेषम् कोपेन पूरयेत्" अर्थात् जब किसी के पास कोई युक्ति शेष नहीं रहती तो फिर वह केवल रोष तथा गालियों का ही आश्रय लेता है। यही बात श्री नेहरू जी के उपरोक्त कथन पर अक्षरशः चरितार्थ होती है। यह निःसन्देह अत्यधिक दुःख और आश्चर्य की बात है कि पण्डित नेहरू की नाक के नीचे बहुअकबरपुर तथा फीरोजपुर जेल में हुई घटनाओं के विषय में उन्हें खेद प्रकट करने के लिये एक शब्द भी उपलब्ध न हुआ अथवा कोई उपमा उपलब्ध न हो सकी, यद्यपि मुझे विश्वास है कि नेहरूजी को इन घटनाओं की कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी के मन्त्री श्री पण्डित अलगूराय जी शास्त्री जैसे महानुभावों से जो स्वयं घटना स्थलों पर जाकर जांच कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त हुई होगी। श्री नेहरू जी के हृदय में इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिये दया तथा सहानुभूति का स्थान नहीं प्रतीत होता। श्री नेहरू जी समझते हैं कि यह सब अत्याचार शिष्ट है जबकि हमारा सत्य और न्याय पर आश्रित अहिंसात्मक तथा शान्त आन्दोलन "बेहूदा" है। इस प्रकार के शब्द उस व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं देते जो महात्मा गाँधी का अनुकरण करने का दावा करता है और उच्च स्वर में "पंचशील" की घोषणा करने से नहीं थकता। इन शब्दों से उनके हृदय के घोर पक्षपात का आभास मिलता है और वह हमारे शान्त आन्दोलन के प्रति हिंसा के भावों से परिपूर्ण है।

श्रीयुत पण्डित नेहरू जी की गालियों और अपशब्दों की वर्षा के होते हुये भी हम अपनी न्यायोचित माँगों के लिये संघर्ष करते रहेंगे जो पंजाब में दोनों भाषाओं हिन्दी और पंजाबी की पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारा आन्दोलन राजनैतिक क्यों कर बताया जा रहा है जबकि आर्य समाज ने अपने लिये कभी भी राजनैतिक सुविधाओं की माँग नहीं की है। श्री पण्डित नेहरू हमारी न्यायपूर्ण माँगों को स्वीकार करलें फिर देखें कि मांगों के स्वीकार होते ही हमारा सत्याग्रह बन्द हो जायगा।

—०— आत्मानन्द सरस्वती

( ४ )

## श्रीयुत डा० गोपीचन्द भार्गव द्वारा भाषा समस्या का विश्लेषण

पंजाब की वास्तविक समस्या यह है कि आर्य समाज सच्चर फार्मूला बदलवाना चाहता है। निस्सन्देह तनाव और उसका कारण दूर होना चाहिए। मुझे अब भी मानवता में विश्वास है। मुझे अपने पर और पंजाब के नेताओं

पर भी भरोसा है।

आर्य समाज का सन्तोष किया जाना चाहिए। समस्या के हल के लिये समझौते की भावना रहनी चाहिये जिसका आर्य समाज के नेता जिक्र कर चुके हैं। मेरे सामने यह प्रश्न नहीं है कि समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाय। प्रश्न यह है इस समस्या का हल करना होगा। गवर्नमेन्ट के पास कोई हल नहीं है। दोनों पक्षों के परामर्श से एक ऐसा फार्मूला बनाना है जो दोनों को मान्य हो।

प्रकट रूप में यह झगड़ा हिन्दुओं और सिखों के मध्य है परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। भाषा के विवाद में धार्मिक वर्ग सम्बद्ध पक्ष नहीं हो सकते क्योंकि भाषा का सम्बन्ध धर्म से नहीं अपितु भौगोलिक अवस्थाओं के साथ हुआ करता है। पंजाब का झगड़ा वस्तुतः अपने २ क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दी और पंजाबी भाषा भाषियों के बीच है। हिन्दू और सिख का प्रश्न बन जाने से समस्या और भी जटिल हो जायगी।

सच्चर फार्मूले पर हस्ताक्षर करने वाले ४ सज्जन हिन्दुओं और सिखों के माने हुए नेता थे (इनमें से एक श्री डा० भार्गव जी भी थे—संपादक) निस्सन्देह यद्यपि इन चारों का साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन हुआ था। परन्तु ये साम्प्रदायिक न थे। सच्चर फार्मूला साम्प्रदायिक फार्मूला नहीं है। जब यह बनाया जा रहा था तब श्री दीवान बद्रीदास, गोकुलचन्द नारंग और बख्शी टेकचन्द जी जैसे आर्य समाज के नेताओं की भी सम्मति प्राप्त की गई थी। इसके बाद ही यह फार्मूला बन पाया था।

'यह कहना भी ग़लत है कि पंजाब की तत्कालीन असेम्बली के सदस्यों से सलाह नहीं की गई थी। वैयक्तिक रूप से तथा पंजाब कांग्रेस दल की एक सभा में इनकी संमति प्राप्त की गई थी। गवर्नमेंट के पास सदस्यों की लिखित सम्मति अवश्य होगी जिसमें से बहुत कम ने इस फार्मूले का विरोध किया था। इसके पश्चात् यह फार्मूला प्रधान मन्त्री पं० नेहरू और उपप्रधान मन्त्री स्व० सरदार पटेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और दोनों ने ही इसे स्वीकार किया था। उस समय की गवर्नमेन्ट के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह राज्य की विधान सभा की नियमित बैठक में इसे प्रस्तुत करती वा नियमित प्रस्ताव पास करती, उस समय देश का शासन १९३५ के गवर्नमेन्ट आव इण्डिया ऐक्ट के अनुसार हो रहा था और उस ऐक्ट के अनुसार गवर्नमेन्ट को राज्य के सर्वोत्तम हित में कोई भी फ़ार्मूला बनाने का अधिकार प्राप्त था। अतः इस फार्मूले को क्रियान्वित करने की राज्य के शिक्षा विभाग को आज्ञा दे दी गई थी।

आर्य समाज ने इस फार्मूले का उस समय भी विरोध किया था जैसा कि वह इस समय कर रहा है परन्तु आर्य समाज राज्य के हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इसमें सन्देह नहीं कि अब स्थिति बदल चुकी है और सुसम्मत फार्मूले के निर्माण की आवश्यकता है। इसी कारण से मैं ऐसे फार्मूले के निर्माण का प्रयत्न कर रहा हूं जहाँ तक इसके निर्माण के लिये मुझे जाना पड़ेगा। मैं हिन्दी रक्षा समिति और अकाली दल के नेताओं से भी मिलूंगा। आवश्यक होने पर मैं समिति के नेताओं से जेल में भी भेंट करूंगा और मुझे विश्वास है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर राज्य के मुख्य मन्त्री ऐसा करने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

फीरोजपुर जेल से २०० विचाराधीन कैदी कपूरथला नहीं ले जाये गये हैं। मैंने अनशन करने वाले एक सत्याग्रही कैदी को अम्बाला जेल भिजवा दिया है।

(जालंधर में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ भेंट का विवरण ट्रिब्यून ७-९-५७)

( ५ )

## भाषा आन्दोलन सिखों के विरुद्ध नहीं है

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त ने निम्नांकित अपील प्रचारित की है :—

"हो सकता है कि पंजाब में चल रहे आर्य समाज के हिन्दी सत्याग्रह के विषय में कुछ व्यक्तियों के मन में यह भ्रम व सन्देह हो कि यह आन्दोलन सिखों के विरुद्ध है। इस भ्रम वा सन्देह के निवारणार्थ में यह बिलकुल स्पष्ट किये देता हूं कि हमारा झगड़ा गवर्नमेंट और एक मात्र गवर्नमेंट के साथ है और यह भी उसकी पंजाब की भाषा विषयक नीति के सम्बन्ध में। सिखों के साथ तो हमारा लेश मात्र भी झगड़ा नहीं है।

मुझे निश्चय है कि हिन्दी रक्षा समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता और समर्थक पर यह बात स्पष्ट होगी और वे न तो कोई ऐसी कोई बात कहेंगे या करेंगे जिससे हमारे सिख भाइयों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगे या महान् सिख गुरुओं की शान के विरुद्ध हो जिन्होंने भारतीय इतिहास के अत्यन्त संकट के काल में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये बहुत बड़े बलिदान किये हैं और ये हमारे लिये तथा अन्य हिन्दुओं के लिये उतने ही पूज्य हैं जितने सिखों के लिये।

मैं समस्त वर्गों से अपील करूंगा कि वे अपनी सभाओं और जलूसों में एक दूसरे को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग न करने में विशेष सावधान रहेंगे।

७-९-५७

( ६ )

## जोर जबर्दस्ती की नीति का विरोध

आर्य समाज की भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने नागपुर में कहा कि यदि पंजाब सरकार जोर जबर्दस्ती की नीति में परिवर्तन कर ले तो राज्य सरकार की भाषा नीति के विरुद्ध सत्याग्रह वापिस ले लिया जायगा।

श्री गुप्त ने, जो भूतपूर्व विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, कहा कि पंजाब के भाषा विवाद के निपटारे के लिये मैं किसी भी सत्प्रयत्न का स्वागत करता हूँ, किन्तु निश्चित है कि जोर-जबरदस्ती पर आधारित फार्मूला विफल होकर रहेगा।

उन्होंने राज्यके भाषाविवाद के हल केलिये डा० गोपीचन्द भार्गवके प्रयत्नोंकी सराहनाकी और कहा कि भाषा आंदोलन का मूल कारण राज्य सरकार की नीति है, जिसके अनुसार उसे जबरन गले से नीचे उतारा जा रहा है। इस नीति से हिन्दुओं और सिखों के बीच भी वैमनस्य पैदा हो गया है। यदि जबर्दस्ती न हो, तो लोग अपनी मर्जी से हिन्दी और पँजाबी पढ़ेंगे।

श्री गुप्त ने इस बात से इन्कार किया कि सत्याग्रह सिखों या अकालियों के खिलाफ शुरू किया गया है। उन्होने कहा है कि मुझे विश्वास है कि अकालियों ने सरकार से गुप्त समझौता करके पंजाबी को उसे न चाहने वाले हिन्दुओं पर और हिन्दी को उसे न चाहने वाले सिखों पर थोपने के लिये सरकार को प्रेरित किया। हरियाना की ९६ प्रतिशत हिन्दू आबादी को पंजाबी पढ़ने पर बाधित करने का क्या अर्थ?

श्री गुप्त ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेसी नेता सरकारी पदों पर आसीन हैं, वे इस प्रश्न पर निष्पक्ष भाव से विचार करने में असमर्थ हैं।

सत्याग्रह के बारे में श्री गुप्त ने बताया कि अब तक ८००० के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन में कुछ अकाली भी शामिल हैं, और ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

उन्होंने दावा किया कि राजभाषा आयोग की रिपोर्ट ने पंजाब सत्याग्रह के आधार का पूर्णतया समर्थन किया है।

(७)

## समझौता वार्ता के लिए एक मात्र श्री घनश्यामसिंह गुप्त को अधिकार है

हिन्दी रक्षा समिति पँजाब के प्रधान श्रीयुत स्वामी आत्मानन्द जी और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीयुत स्वामी अभेदानन्द जी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा है:—

"समाचार पत्रों में छपा है कि पंजाब की भाषा समस्या के समाधान के लिए कुछ सज्जन वैयक्तिक रूप से सद्भावना पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों से भ्रान्ति फैलने की आशंका है अतः हम आर्य समाज द्वारा संचालित हिन्दी आन्दोलन के विषय में ठीक स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। हिन्दी रक्षा समिति पंजाब द्वारा प्रारम्भ किया हुआ हिन्दी भाषा आन्दोलन अब अखिल भारतीय आन्दोलन बना दिया गया है और इसका सम्पूर्ण सूत्र संचालन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के हाथ में आ गया है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और हिन्दी रक्षा समिति पंजाब की ओर से समझौता वार्त्ता करने का एक मात्र अधिकार समिति के प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त को ही है।

(८)

## पंजाब में हिन्दी आन्दोलन जोर पर

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी अभेदानन्द ने एक भेंट में बताया कि पञ्जाब सरकार और कुछ कांग्रेस नेताओं की तरफ से पंजाब के बाहर यह भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हिन्दी आन्दोलन हमारे अच्छे २ नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को पकड़ लेने के बाद दम तोड़ रहा है। हिन्दी आन्दोलन को कुछ छोकरों का खेल बताने वाले सरदार कैरों और उनके साथियों ने शुरू २ में भारत सरकार को इस विषय में धोखे में रखने की कोशिश की थी, परन्तु हमारे आन्दोलन ने पञ्जाब में दिन प्रतिदिन जो लोकप्रियता प्राप्त की है, आज उसको कांग्रेस उच्च सत्ता भी भलीभांति जानती है। हम नहीं चाहते कि पञ्जाब में दो से अधिक सत्याग्रह-केन्द्र खोलें, परन्तु धारा १४४ लगा कर और हमारे कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करके पञ्जाब सरकार ने पञ्जाब में असन्तोष की ज्वाला को और भी अधिक तेज कर दिया है। हरियाना में गांव के लोगों को प्रत्येक प्रकार के हथकण्डों से हिन्दी आन्दोलन में भाग लेनेसे रोका जारहा है। आतंक और दमनके प्रजा तन्त्र-विरोधी इस कुचक्र के बावजूद हमारे पास पहले से अधिक सत्याग्रही जत्थे तैयार हैं। करनाल, पानीपत, गुड़गांव, हिसार, चील, संगरूर आदि अनेक स्थानों की जनता ने यहां सत्याग्रह-केन्द्र खोलने की अनुमति हमसे बार २ मांगी है, परन्तु हमारी नीति सत्याग्रह-केन्द्र के प्रसार के पक्ष में नहीं है।

स्वामी जी ने आगे कहा कि जबतक सरकार हमारी मांगें स्वीकार करके हमसे समझौता नहीं करती, तब तक सफलता पूर्वक सत्याग्रह चलाने की क्षमता आर्यसमाज में है। आपने यह भी बताया कि आर्यसमाज का मास्टर तारासिंह के साथ बातचीत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारा झगड़ा तो सरकार के साथ है, अतः समझौते की वार्ता सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी दल अथवा व्यक्ति के साथ करने के लिए हम कदापि तैयार नहीं।

—०—

(९)

## हिन्दी रक्षा समिति की मांगें उचित और न्यायपूर्ण

चण्डीगढ़, १० सितम्बर। कांग्रेसी विधान सभाई और पञ्जाब प्रदेश कांग्रेस के भूतपूर्व महामंत्री कामरेड रामचन्द्र ने पत्र प्रतिनिधियों को

आज यहां बताया कि हिन्दी रक्षा समिति की मांगें न्यायपूर्ण और उचित हैं। वह अब तक इस विषय में दलीय अनुशासन के कारण मौन हैं।

आपने कहा—"वे मुख्यमंत्री श्री कैरों व अन्य नेताओं के इन वक्तव्यों से परेशान हैं और तंग आ चुके हैं कि हिन्दी रक्षा आन्दोलन साम्प्रदायिक हैं। जिस प्रकार भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में कम्युनिस्टों के शामिल हो जाने से वह कम्युनिस्ट आन्दोलन नहीं बन गया इस प्रकार हिन्दी आन्दोलन भी जनसंघ के शामिल हो जाने से साम्प्रदायिक नहीं हो सकता।

आपने आगे बताया कि श्री कैरों निश्चित रूप से भाषा के प्रश्न पर किसी भी प्रकार के समझौते के विरुद्ध हैं। उन्होंने हिन्दी क्षेत्र के कांग्रेस विधान सभाइयों की बैठक में इस विषय में वक्तव्य दिये हैं। कैरों और उनके साथी तथ्य व तर्क से काम न लेकर हिन्दी रक्षा समिति की उचित और न्यायपूर्ण मांग की हत्या कर देना चाहते हैं। इसके लिए मिथ्या, भ्रमात्मक और अर्थहीन प्रचार का उपयोग कर रहे हैं और सुविधाओं व शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं।

आपने आगे कहा कि इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को इस समस्या का उचित हल खोजना चाहिए और बहुसंख्यकों को नैतिक दृष्टि से गिराने का प्रयास छोड़ देना चाहिए।

ज्ञात हुआ है कि इसी प्रकार के अनेक वक्तव्य और अधिक कांग्रेस विधान सभाइयों की ओर से प्रकाशित होने वाले हैं।

—०—

( १० )

## सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्य-कर्ता प्रधान श्री पं० नरेन्द्र जी का वक्तव्य

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्यकर्ता प्रधान श्री नरेन्द्र जी ने जंगपुरा की दुर्घटना पर निम्नलिखित वक्तव्य प्रेस को दिया है:—

मैं आज प्रातः मौके पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए भोगल और जंगपुरा (दिल्ली) गया और जिन लोगों ने अपनी आंखों से घटना को देखा था उनसे मिला जिनमें कुछ सिख भी थे। मैंने दि० ८-९-५७ की सायं काल को हुई घटना के सम्बन्ध में तहकीकात की। मुझे विदित हुआ कि हिन्दी रक्षा समिति का जलूस राज्याधिकारियों की अनुमति से निकला था और इन्होंने ही जलूस का मार्ग भी नियत कर दिया था। जलूस के साथ पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट श्रीयुत टण्डन भी थे। जलूस वालों ने कोई भी साम्प्रदायिक और उत्तेजक नारा नहीं लगाया। जलूस बिल्कुल शांत था।

जब जलूस सेन्ट्रल रोड के चौक पर पहुंचा तो वहां एकत्र सैकड़ों अकालियों ने विरोधी नारे लगाने प्रारम्भ कर दिए और मार्ग रोक दिया। जलूस के नेता श्री अमीर चन्द मेहरा ने जो लाजपत नगर हिंदी रक्षा समिति के प्रधान हैं सुपरि० पुलिस और श्री सुरेन्द्रसिंह जी वेदी से जो जलूस के साथ थे प्रार्थना की कि अकालियों द्वारा जलूस में विघ्न न डालने दिया जाय। परन्तु मजिस्ट्रेट ने जलूस को गुजर जाने की आज्ञा देने के स्थान में उसे रुक जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं एकत्र हुए सिखों से बातचीत करने एक ओर चले गये। इसके तत्काल बाद अकाली सड़क पर आगए और उन्होंने जलूस का रास्ता रोक दिया। उसी समय पास के एक मकान से जलूस पर एक पत्थर फैंका गया। इसके बाद सड़क के दोनों ओर से जलूस पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से सत्याग्रही जिनमें सुपरि० पुलिस भी सम्मिलित हैं जख्मी हो गए। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को उपद्रवी अकालियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आज्ञा देने के स्थान में जलूस को पीछे हटने का आदेश दे दिया जो नितान्त शान्त था और जिसमें सैकड़ों देवियां भी सम्मिलित थीं। साथ ही

उस पर अश्रुगैस छोड़ना आरम्भ कर दिया गया। जब जलूस के नेताओं ने उनसे शिकायत की तो उसने उन्हीं की गिरफ्तारी की आज्ञा दे दी। उनकी गिरफ्तारी के लगभग आधा घंटा बाद उसने १४४ धारा लगाकर जलूस को तितर बितर होने का आदेश दिया। इतना ही नहीं उसे नियत मार्ग पर भी जाने नहीं दिया गया। इस पर ७ बजे सायंकाल को जलूस तितर बितर हो गया।

अपनी आंख से मुझे यह निश्चय हो गया है कि इस झगड़े का मूल कारण यह था कि मजिस्ट्रेट ने जलूस का यथोचित संरक्षण नहीं किया जिसके लिए नियमित आज्ञा ले ली गई थी।

शान्त जलूस को कानून का संरक्षण देने के बजाय उनके आचरण से अकालियों को कानून को हाथ में लेने उपद्रव करने और क्षेत्र की शान्ति भंग करने का साहस हुआ। अतः मेरी मांग है कि इस मामले की अदालती जांच की जाय और जबतक जांच के परिणाम ज्ञात न हो जाय तब तक के लिए श्री वेदी को सस्पेंड किया जाय जिनका पक्षपात पूर्ण व्यवहार ही इस घटना के लिए उत्तरदाता था। लोगों का उन पर से विश्वास पूर्णतया उठ गया है और उस क्षेत्र में शान्ति स्थापना के लिए उनका वहां से हटाया जाना आवश्यक है।

—०—

## (११)

## मास्टर जी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं

अम्बाला के प्रसिद्ध आर्य नेता दीवान अलखधारी जी ने मास्टर तारासिंह के अभी हाल के प्रेस वक्तव्य का उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया है जिसमें मास्टर जी ने पंजाब की भाषा समस्या के समाधान के लिए गोल मेज सम्मेलन के प्रस्ताव की निन्दा की है। दीवान जी ने मास्टर जी को प्रेरणा की है कि वे इस मामले के हल के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और पारस्परिक विचार विमर्श से समस्या का हल करें। दीवान जी के वक्तव्य का आवश्यक भाग इस प्रकार है।

"मेरा यह विश्वास है कि अकाली दल और और आर्य समाज के मध्य जो भेद है वे ऐसे नहीं हैं जिनका समाधान न हो सके:—

सद्भावना के साथ उन पर विचार होकर वे दूर किए जा सकते हैं। पंजाब के बहुत से लोगों की भी यही भावनाएं हैं जिनका प्रकाश श्री अलगूराय जी शास्त्री एम० पी० ने किया है अर्थात् पंजाब में ही यह विचित्र तमाशा दीख पड़ता है कि अल्प संख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर शासन कर रहा है और बहुसंख्यक वर्ग अपने विचारों को भली भांति प्रकट नहीं कर सकता। यह स्थिति अवाँछनीय और अस्वाभाविक है।

यदि मास्टर जी हृदय से हिन्दू सिख ऐक्य की अपनी योजना को चरितार्थ करना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि वे हृदय से अपनी योजना की सफलता चाहते हैं तो उन्हें यह कार्य अब आरम्भ कर देना चाहिए साथ ही उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि पंजाब के सभी वर्गों के लोगों को जीने और भय आतंक और बुराई से मुक्त वातावरण में काम करने और फलने फूलने का अधिकार है।

'हिन्दी रक्षा आन्दोलन ने न केवल पंजाब के ही अपितु अन्य राज्यों के हिंदुओं के भी ध्यान और सहानुभूति को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है चाहे वे कांग्रेसी हों या अन्य दलों या वर्गों से सम्बद्ध हों।

पंजाब की जनता अभी तक इस बात को नहीं भूली है कि गत राजनैतिक निर्वाचनों में कांग्रेस उम्मेदवारों का विरोध करने में मास्टर जी को अपनी और अपने अनुयायियों की शक्ति का किस

प्रकार ठीक परिचय प्राप्त हुआ था।

उनके अनेक सार्वजनिक वक्तव्यों मैनिफेस्टों तथा तूफानी दौरों के बावजूदभी कांग्रेस उम्मेदवारों के विरुद्ध खड़े किये गये उनके लगभग सभी उम्मेदवार हार गये थे।

हिन्दू सिक्ख ऐक्य की योजना को मूर्त्त रूप देने के लिये वे आर्य समाज, जन संघ और इन्डियन नेशनल कांग्रेस को उससे बहिष्कृत रखना चाहते हैं। जहां तक आर्यसमाज का सम्बन्ध है उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा बताते हैं कि जब तक पंजाब में समष्टि रूप से आर्य समाज का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता तबतक हिन्दू सिख ऐक्य नहीं होसकता। मैं उनकी याद को ताजा करने के लिए यह कहने का साहस करता हूँ कि पहले भी इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये अनेक प्रयत्न हो चुके हैं। परन्तु आर्य समाज न केवल अब तक जीवित ही है अपितु वह जोर के साथ ठोकर भी लगा रहा है।

'यदि एक क्षण के लिये यह मान लिया जाय कि आर्यसमाज की समाप्ति का मास्टर तारासिंह जी का स्वप्न कुछ सच्चा सिद्ध होता है तब भी पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों और विदेशों के करोड़ों आर्य जन कहां जायेंगे। जब तक देश में एक भी आर्य जीवित रहेगा तब तक आर्य समाज को समाप्त करने की कोई भी चर्चा चन्द्रमा को मांगने की चर्चा के समान व्यर्थ और मूर्खता पूर्ण सिद्ध होगी।

( ट्रिब्यून ९-९-५७ )

( १२ )

मास्टर तारासिंह ने पञ्जाब में चल रहे हिंदी रक्षा आंदोलन के विरुद्ध पिछले दिनों जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनके खन्डन में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व उप मन्त्री तथा आजीवन सदस्य श्री शिवचन्द्र ने नई दिल्ली में कहा है कि मास्टर तारासिंह कहते हैं कि हिन्दू सिख एकता के नाम पर कुछ लोग उन्हें अपील कर रहे हैं परन्तु वह अपने पथ ( मजहब ) को हिन्दू सिख ऐक्य प्राप्ति अथवा शान्ति के लिये बलिदान नहीं कर सकते और देश रक्षा के लिए भी किसी को उन्हें पंथ ( मजहब ) को बलिदान करने की आशा नहीं करनी चाहिये। वह प्रथम सिख हैं और बाद को भारतीय।

कोई भी निष्पक्ष तथा युक्तिवादी व्यक्ति यह बातस्वीकार नहीं करेगा कि पंजाबमें हिन्दीकी रक्षा होतेहुए सिख मजहब का बलिदान हो सकता है। पञ्जाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन तो हिन्दी तथा गुरुमुखी दोनों लिपियों को प्रयोग में लाने के लिये स्वतन्त्रता चाहता है जबकि मास्टर तारासिंह तथा पञ्जाब सरकार हिन्दी लिपि के प्रयोग की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। मास्टर तारासिंह के अनुसार सिख पन्थ का आधार भूत तथा एकमात्र सिद्धान्त हिन्दी लिपि के प्रयोग की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाना है।

मास्टर तारासिंह ने कहा है कि देश तक को सिख पन्थ पर बलिदान कर सकते हैं परन्तु एक आर्य तो न देश को बलिदान कर सकता है और न धर्मको। आर्य केलिये तो दोनों वस्तुएं ही प्रिय और पवित्र हैं। उसके लिये तो राष्ट्र-भक्ति भी अपने आर्य धर्म का एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य अंग है और इसीलिए आर्य लोगों ने देश के स्वतन्त्रता संग्राम तथा राष्ट्रोत्थान के प्रत्येक कार्य में सदैव भाग लिया है और कष्ट झेले हैं। मास्टर तारासिंह द्वारा हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल देना तथा देश में सन १९४७ को दोहराने की धमकी देना उनका राष्ट्रद्रोही होना सुस्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। परन्तु यह आश्चर्य तथा महान्

दुःख की बात है कि पण्डित नेहरू ने उनके द्वारा खुले आम राष्ट्रद्रोह का प्रचार करने के विरुद्ध एक शब्द भी निन्दा का अभी तक नहीं कहा।

मास्टर तारासिंह का यह कहना सर्वथा असत्य है कि पञ्जाब में हिन्दू सिख वैमनस्य का कारण आर्यसमाज है। मास्टरतारासिंह को स्मरण रखना चाहिये कि "गुरु के बाग मोर्चे" के समय जब सिख पन्थ पर घोर आपत्ति आई थी तो स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने एक आर्य होने के नाते ही उस समय सिख पन्थ की रक्षा के लिये "गुरू का बाग मोर्चे" पर सत्याग्रह कर जेल यात्रा की थी। पञ्जाब आर्य प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य प्रधान दीवान बहादुर बद्रीदास ने आर्य होने के नाते ही "शहीदगंज गुरुद्वारा" के प्रसिद्ध केस की पैरवी की थी। आर्यसमाज सिख गुरुओं के बलिदानों को जो उन्होंने आर्य (हिन्दू) धर्म की रक्षार्थ मुगल कालीन समय में किये सदैव आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। आर्य समाज सिख मत को विशाल आर्य धर्म की एक शाखा समझता है। हिन्दू तथा सिखों में वैमनस्य को वास्तव में मास्टर तारासिंह ने उस समय से उत्पन्न कराया है जब से उन्होंने सिखों का नेतृत्व कर सिखों को हिन्दुओं से पृथक् करने का प्रचार किया और सिखों के लिये विशेषतया अनुचित राजनैतिक अधिकार मांगते हुए हिन्दुओं के उचित अधिकारों को दबाते हुए पृथक् सिख सूबा बनाने की मांग की तथा उसकी प्राप्ति के लिये नाना प्रकार की धमकियां देना आरम्भ किया। लोगों को अभी तक स्मरण है कि देश को स्वतन्त्र हुए अभी कुछ ही मास बीते थे कि मास्टर तारासिंह ने पंजाब में सिक्खी सूबा की रट लगानी आरम्भ कर दी थी परन्तु उस समय भारत का लोह पुरुष सरदार पटेल जीवित थे जिन्होंने मास्टर तारासिंह को तुरन्त गिरफ्तार कर इस शरारत को दबा दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात् से ही मास्टर तारासिंह ने पुनः यह रट लगानी शुरु कर दी परन्तु पं.डत नेहरू उनके सन्मुख झुक गये और उन्हें नहीं दबा सके।

उपरोक्त सब कारणों के आधार पर पंजाब में समस्त अशांति का उत्तरदायित्व मास्टर तारासिंह तथा उनके अनुयायी अकालियों पर है और उससे भी अधिक उत्तरदायित्व पंडित नेहरू तथा उनकी सरकार पर है जिन्होंने राष्ट्र-विरोधी तथा साम्प्रदायिक मास्टर तारासिंह और उनकी अकाली पार्टी की हिंसात्मक धमकियों से भयभीत होकर उनकी अनुचित माँगों के सन्मुख अपना सिर झुका दिया और निरन्तर झुकाते चले जा रहे हैं। समय आ गया है कि अब दूरदर्शी राष्ट्र हितैषियों को गम्भीरता पूर्वक विचार कर इन राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ने से तुरन्त रोकने का उपाय करना चाहिए वरना देश का और अधिक अहित होगा।

# पंजाब की समस्या में बम्बई सरकार द्वारा मार्ग प्रदर्शन

## भाषा समस्या पर बम्बई सरकार का पत्र

### गुजराती क्षेत्र में मराठी और मराठी क्षेत्र में गुजराती अनिवार्य नहीं

पंजाब सरकार को बम्बई सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि उसने अपने द्विभाषी राज्य में भाषा की समस्या को कैसे सुलझाया है।

कहा जाता है कि इस पत्र से जिसका कि पंजाब के भाषा विवाद पर गहरा प्रभाव होने की सम्भावना है, पंजाब सरकार तथा अन्य लोगों की आंखें खुल जायेंगी।

पंजाब सरकार ने बम्बई सरकार से यह सूचना देने को कहा था कि उसने राष्ट्रभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में क्या कुछ किया है।

बम्बई सरकार ने सूचित किया है कि :—

(१) मराठी भाषा जिलों में मराठी भाषी छात्रों के लिये गुजराती का पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार गुजराती भाषा जिलों में गुजराती भाषी छात्रों के लिए मराठी का पढ़ना अनिवार्य नहीं। गुजराती क्षेत्र में स्कूलों में 'मराठी' के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को यह आवश्यक है कि तीसरी से सातवीं श्रेणी तक गुजराती पढ़ें और इसी प्रकार मराठी क्षेत्र के स्कूलों में गुजराती के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वालों को इन श्रेणियों में अवश्य ही गुजराती पढ़नी पड़ती है।

(२) बम्बई राज्य में अहिन्दी माध्यम वाले स्कूलों में पांचवीं से ११वीं कक्षा तक हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

(३) बम्बई राज्य में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी वा हिन्दी है।

(४) बम्बई राज्य के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम सामान्यतः छात्रों की मातृ-भाषा या विशिष्ट क्षेत्र (मराठी वा गुजराती) की क्षेत्रीय भाषा होती है। यहां ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें मांग के अनुसार अक्षेत्रीय भाषाएं उदाहरणतया तामिल, मलयालम, सिन्धी, उर्दू आदि भी पढ़ाई जाती है।

बम्बई सरकार के पत्र पर टीका टिप्पणी करते हुए चण्डीगढ़ के राजनैतिक प्रेक्षकों ने यह मत व्यक्त किया है कि पंजाब सरकार बम्बई सरकार की भाषा नीति के आधार पर अपनी नीति के बारे में पुनर्विचार करे तो सम्भवतः हिन्दुओं और सिखों के मध्य तनाव की वर्तमान स्थिति धीरे २ लुप्त हो जायगी।

इस बीच आर्यसमाज के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सच्चर फार्मूला और पेप्सु भाषा फार्मूला पंजाब की जनता को बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हैं क्योंकि यह गुरुमुखी लिपि में पंजाबी पढ़ाई को अनिवार्य बनाते हैं।

# पंजाब की भाषा समस्या पर एक दृष्टि

( प्रो० शेरसिंह, भूतपूर्व मन्त्री, पंजाब )

पंजाब में भाषा के सम्बन्ध में सच्चर फार्मूला क्षेत्रीय योजना और अकालियों की नीति को लेकर काफी गड़बड़ है। मंत्री और विधायक के रूप में मेरा राज्य की कई बातों से सम्बन्ध रहा है। अतः इस प्रसंग में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना महत्व-पूर्ण होगा।

## सच्चर फार्मूला

सच्चर फार्मूले के अनुसार पंजाब के हिन्दी क्षेत्रों में बसने वाले पैंसठ लाख हिन्दी भाषियों के लिए प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक गुरुमुखी लिपि में पठन-पाठन अनिवार्य कर दिया गया है। इस फार्मूले का जब विरोध किया जाता है तब विरोध करने वालों को यह कह कर चुप कर दिया जाता है कि सच्चर फार्मूले को पंजाब के विधायकों ने स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार इसे कानूनी बल मिल गया है। परन्तु यह कहना गलत है, क्योंकि इस फार्मूले को कानूनी बल प्राप्त नहीं। वास्तविकता यह रही कि जिन दिनों डा० भार्गव और श्री सच्चर, ज्ञानी करतारसिंह का समर्थन प्राप्त करने को उत्सुक थे, उन दिनों यह उन पर थोपा गया। डा० भार्गव और श्री सच्चर ने अपने-अपने समर्थकों से तीन चार पंक्तियों वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराये थे, ताकि वे ज्ञानी करतारसिंह के साथ सफलता पूर्वक समझौता कर सकें। इसके बाद एक 'फार्मूला' तैयार किया गया, जो सच्चर फार्मूले के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर श्री भीमसेन सच्चर, डा० गोपीचन्द भार्गव, ज्ञानी करतारसिंह और सरदार उज्ज्वलसिंह ने दस्तखत किये थे। पंजाब के बहुसंख्यक विधायकों को तब यह पता नहीं था कि इसका क्या फलितार्थ होगा।

## सरकारी नीति की अस्पष्टता

उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार ने भी यह कभी स्वीकार नहीं किया कि सच्चर फार्मूले को कोई कानूनी बल प्राप्त है। १९५० के प्रारम्भ में जब पंजाबी को थोपने पर हरियाना में विरोध हुआ था तब सरकार ने फार्मूले को लागू करना स्थगित कर देने का फैसला किया था। १९५५ के अगस्त मास तक सरकार को स्वयं यह पता नहीं था कि फार्मूले के प्रति उसका रुख क्या है। जालन्धर में जब पंजाब के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति पर एक बयान दिया था, तब उसका विरोध हुआ और तब तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री भीमसेन सच्चर ने २९ अगस्त को एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि भाषा सम्बन्धी फार्मूले को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त कर रही है। पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर विधान मण्डल में एक विधेयक रखा जायगा।" इस कथन से स्पष्ट है कि पंजाब सरकार स्वयं राज्य विधान सभा में भाषा के सम्बन्ध में एक विधेयक लाने वाली थी। इससे यह भी स्पष्ट है कि सच्चर फार्मूले को कभी कानूनी बल प्राप्त नहीं था।

## संसदीय पुष्टि की बात

क्षेत्रीय फार्मूले के बारे में एक दूसरी गड़बड़ यह है, और जैसा कहा जाता है कि उसे संसद ने स्वीकार कर लिया है, अतः अब उससे हटने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि गत ६ सितम्बर, १९५६ को लोकसभा में क्षेत्रीय

फार्मूले पर विचार हुआ था। पंजाब विधान मंडल के तेतीस सदस्यों ने पं० ठाकुरदास भार्गव के पास एक स्मरण पत्र भेज कर यह मांग की थी कि वह क्षेत्रीय फार्मूले से भाषा सम्बन्धी अनुच्छेद को हटा कर उसके स्थान पर एक नया फार्मूला उप-स्थित करें जिसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा की व्यवस्था हो। पं० ठाकुरदास भार्गव ने लोकसभा में इस आशय का फार्मूला पेश किया, जिस पर सरदार बहादुरसिंह ने एक संशोधन पेश किया। इन दोनों पर मत लिए गये और दोनों गिर गये। अतः क्षेत्रीय फार्मूले में राष्ट्रपति अब भी ऐसी फेर बदल करने को स्वतन्त्र हैं जिससे क्षेत्रीय समितियाँ विधिवत काम कर सकें।

## अकालियों का रुख

हमारे कुछ नेताओं को यह भय है कि क्षेत्रीय फार्मूले में यदि अब कोई परिवर्तन किया गया तो अकाली नया आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन, यह कहना होगा कि जनता को पूरी बातों की जान-कारी नहीं कराई जा रही है। ६ सितम्बर १९५६ को जब लोकसभा में क्षेत्रीय फार्मूले पर विचार हो रहा था तब शिरोमणि अकाली दल के भूतपूर्व अध्यक्ष और पंजाब के एक प्रमुख अकाली नेता सरदार हुकमसिंह ने श्री एन० सी० चटर्जी और पं० ठाकुरदास भार्गव के ऐतराजों का जवाब देते हुए कहा था :—"इस फार्मूले का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक हिन्दू हिन्दी भाषी और प्रत्येक सिख गुरुमुखी बोलने वाला है। पं० ठाकुरदास भार्गव का कहना है कि उन्हें पँजाबी पढ़ने को क्यों कहा जाय। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह पंजाबी पढ़ें, न चाहें तो न पढ़ें।" सरदार हुकमसिंह के इस कथन से स्पष्ट है कि यदि हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में पंजाबी का अनिवार्य पठन-पाठन समाप्त कर दिया जाय तो अकालियों को कोई आपत्ति न होगी।

## सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विभिन्न आयोगों और शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की रिपोर्ट के कुछ उद्ध-रण देना अप्रासंगिक न होगा। बोर्ड का मत है:—

"प्रादेशिक अथवा राज्यभाषा का पठन-पाठन, जहां वह मातृभाषा से भिन्न है तीसरी कक्षा से पूर्व और जूनियर बेसिक स्तर के बाद नहीं शुरू किया जाना चाहिए।" इन आयोगों और बोर्डों ने उन छात्रों को, जिनकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा एक ही हो, जबरन कोई अन्य भाषा पढ़ाने की बात नहीं कही।

राजभाषा आयोग के एक सदस्य सरदार बहा-दुर तेजासिंह का मत भी यही है कि हिन्दी क्षेत्रों में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पढ़ने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये, उसकी प्रेरणा दी जानी चाहिए, किन्तु छात्रों पर जबरन कोई चीज नहीं थोपी जानी चाहिए। हां, राजभाषा आयोग ने सब के लिए माध्यमिक स्तर पर हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर देने की बात अवश्य कही है।

उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत कर देने के बाद मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में पंजाबी का अध्ययन अनिवार्य क्यों किया जा रहा है?

# हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन की दैनिक प्रगति

## २१-८-५७ से २०-९-५७ तक

२१ अगस्त—आज प्रातः जालंधर में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन पञ्जाब के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री डा० जगत् नारायण लाल जी गिरफ्तार किए गए।

इसके अतिरिक्त लुधियाना में श्री लाजपत राय एम० एल० ए० आर्य समाज लुधियाना के प्रधान श्री दीवान राम शरण दास जी फिरोजपुर में फिरोज पुर जेल के सत्याग्रहियों के अभियोगों की पैरवी करने वाले सुप्रसिद्ध आर्य वकील श्री जसराज जग्गा भटिंडा में डा० भगवन्तराय जी नजरबंदी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

चण्डीगढ़ में ४० महिला तथा २० पुरुष सत्याग्रही और रोहतक में ३१२ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। रोहतक में ७४ सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए।

आज चण्डीगढ़ में हिन्दी रक्षा समिति तथा सरकारी प्रतिनिधियों के मध्य समझौता वार्त्ता भंग हुई।

पुलिस ने जालंधर के 'प्रभात' दैनिक के १, ६ और १८ अगस्त के अंक जब्त किए।

२२ अगस्त—आज रोहतक में ५२८ सत्याग्रहियों ने प्रातः ९ बजे से सायंकाल ४॥ बजे तक ०३ जत्थों में सत्याग्रह किया जिनमें से ६४ दफा १४३ के अधीन तथा ७ प्रताप और वीर अर्जुन की प्रतियां रखने के अपराधमें गिरफ्तार किए गए। चण्डीगढ़ में ५० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया और वे गिरफ्तार हुए। आज रात श्री प्रिंसिपल भगवान दास जी एम० ए० अम्बाला में गिरफ्तार किए गए। वे पंजाब में हिन्दी आन्दोलन के प्रमुख संचालक थे तथा समझौता वार्त्ता के एक सदस्य थे।

२३ अगस्त—अमृतसर में एक ३ वर्ष का बच्चा सन्तोखसर गुरुद्वारे के पास सिगरटों के खाली पैकटों से खेलता हुआ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बाद में वह छोड़ दिया गया और हेतु यह दिया गया कि बच्चा निर्दोष था और उसका इरादा उन्हें तालाब में डालने का न था।

महात्मा आनन्द स्वामी जी ने जालंधर में घोषणा की कि वे चण्डीगढ़ की घटना पर विरोध प्रकट करने के लिए २५ अगस्त से आर्य समाज मन्दिर चण्डीगढ़ में अनशन प्रारम्भ करेंगे। स्वामी जी ने कहा सरकार को तत्काल इस घटना की जांच का आदेश देना चाहिए।

आज रोहतक में १२ जत्थों के २७० हिन्दी सत्याग्रहियों ने विभिन्न दिशाओं से जिला अदालतों की ओर बढ़ कर सत्याग्रह किया जिनमें से १९७ गिरफ्तार किए गए।

बिहार हिन्दी रक्षा समिति द्वारा पटना में आयोजित एक सभा में अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी ने कहा कि सुमेर सिंह का बलिदान व्यर्थ न जायगा।

आज जालंधर में श्रीमती विमला कोहली निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार की गई।

चण्डीगढ़ में ५० सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। हिन्दू महा सभा के प्रधान श्री एन० सी० चटर्जी आर्य समाज मंदिर चण्डीगढ़ गए जहां समिति के कार्यकर्त्ताओं ने ६-८-५७ को पुलिस के आक्रमण का विवरण उनके समक्ष रखा।

पुलिस ने ब्र० बालक राम को जो १६-८-५७ से आर्य समाज मन्दिर में आमरण अनशन कर रहे थे गिरफ्तार किया तथा आर्य समाज चण्डीगढ़ की ओर जाते हुए महात्मा आनन्द स्वामी जी

को भी गिरफ्तार किया।

२४ अगस्त—आज फिरोजपुर सैन्ट्रल जेल में सत्याग्रह बंदियों पर भयङ्कर लाठी प्रहार हुआ जिसके फल स्वरूप ३१२ से अधिक जख्मी हुए श्री सुमेर सिंह ने वीर गति प्राप्त की, ५३ को गम्भीर चोट आई, १९ कैदियों की हड्डियां चकनाचूर हुईं।

आज चण्डीगढ़ में उत्तर प्रदेश का ४८ सत्याग्रहियों का एक जत्था गिरफ्तार हुआ। इस गिरफ्तारी के तत्काल बाद स्त्रियों का जलूस निकला और हिन्दी समर्थक नारे लगाता हुआ शहर की ओर गया।

रोहतक में २३७ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया जिनमें से २११ गिरफ्तार किए गए।

आज तक लगभग ११ हजार सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया।

२५ अगस्त—आज अमृतसर में श्री कैप्टन केशव चन्द्र जी तथा ज्ञानी पिंडी दास जी निरोधक नजरबंदी कानून की धारा ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

फिरोजपुर जेल कांड के विरोध में पञ्जाब भर में हड़ताल हुई। नया बांस (रोहतक) में हुतात्मा सुमेरसिंह का दाह संस्कार हुआ। पञ्जाब सरकार ने श्री ऐस. वी. कपूर न्यायाधीश को अदालती जांच का कार्य सुपुर्द किया। श्री प्रिंसिपल भगवान दास अम्बाला जेल से नाभा जेल में भेजे गए। पञ्जाब की जेलों के इन्सपेक्टर जनरल की विभागीय जांच के फल स्वरूप विचित्र सिंह सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट फीरोजपुर जेल, हेड वार्डर ईसरदास और हर गोपाल सिंह सस्पेंड किए गए और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल सरदार शेरसिंह १ मास की छुट्टी पर भेज दिया गया जिससे वह जांच पर कोई प्रभाव न डाल सके।

२६ अगस्त—आज रोहतक में श्री पं० श्री राम शर्मा एम० एल० ए० निरोधक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए। ये राज्य कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ता हैं। सच्चर मन्त्री मंडल में मन्त्री रह चुके हैं। पेप्सू के भूतपूर्व मन्त्री तथा हिन्दी आन्दोलन के समर्थक श्री राम सिंह संगरूर में गिरफ्तार किए गए।

चण्डीगढ़ में १०१ सत्याग्रहियों ने और रोहतक में १८० सत्याग्रहियों ने विविध जत्थों में सत्याग्रह किया। चण्डीगढ़ में ५१ सत्याग्रही तथा रोहतक में ८४ धारा १४३ के अधीन गिरफ्तार किए गए।

पटियाला में हिन्दी समर्थकों के एक जलूस पर पुलीस ने टीयर गैस छोड़ी तथा हिन्दी विरोधियों ने पत्थर फैंके, पुलिस ने ६ हिन्दी समर्थक नवयुवकों को गिरफ्तार किया।

२७ अगस्त—आज पटियाला में पुनः तनाव का वातावरण व्याप्त रहा। प्रदर्शनकारी कोतवाली पर धरना दिए बैठे रहे। २६ गिरफ्तारियां हुईं जिनमें अधिकांश कांग्रेसी या कांग्रेसी अकाली थे।

महाराजा पटियाला ने गैर सरकारी स्तर पर हिन्दी रक्षा समिति और पञ्जाब सरकार में मैत्री पूर्ण समझौता कराने का प्रयत्न आरम्भ किया।

श्री घनश्यामसिंह गुप्त प्रधान सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति फीरोजपुर जेल में पीड़ित सत्यागृही कैदियोंकी दशा देखने के लिये गये।

अम्बाला जेल के लगभग ६०० हिंदी सत्यागृहियों ने फीरोजपुर जेल के पीड़ितों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिये २४ घंटे का उपवास किया।

रोहतक में १३३ सत्यागृहियों ने तथा चंडीगढ़ में ६५ ने सत्यागृह किया। रोहतक में ४५ और चंडीगढ़ में ६५ सत्यागृही गिरफ्तार किये गये। चंडीगढ़ के सत्यागृहियोंमें २४ सत्यागहियों का एक जत्था बिहार का था।

आज दिल्ली में सम्राट प्रेस से सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के मंत्री श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार किये गये। उन्हें अम्बाला जेल ले जाया गया।

श्री शिवकुमार शास्त्री जी ने जिन्हें हिन्दी रक्षा

समिति ने जेल में हुए निर्मम लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए फीरोजपुर भेजा था एक सार्वजनिक सभा में अदालती जांच की आज्ञा पर सन्तोष प्रकट किया।

श्रीयुत वीरेन्द्र जी ने आज नई दिल्ली में पं० नेहरू तथा पन्त जी से भेंट करके समझौते के लिए एक नया फार्मूला हिन्दी रक्षा समिति की ओर से पेश किया और २१-८-५७ को चंडीगढ़ में हुई विफल वार्ता के कारण बताये।

२८ अगस्त—आज रोहतक में १४८ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया जिनमें से १०२ गिरफ्तार किये गये। चंडीगढ़ में ४८ गिरफ्तार किये।

आज श्री घनश्यामसिंह गुप्त; श्री अलगूराय शास्त्री तथा पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री ने फीरोजपुर जेल में पीड़ितों और आहतों से भेंट की।

करनाल में कैथल के श्री बाबूराम एम० एल० ए० गिरफ्तार हुए। वे १२५ सत्याग्रहियों का एक जत्था रोहतक ले जाने वाले थे। अम्बाला में अम्बाला जिला हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री रघुवीरशरण गिरफ्तार हुए।

आज पंजाब प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अन्तरंग ने हिन्दी आँदोलन से सहानुभूति रखने वा उसे प्रोत्साहन देने के तथा कथित अपराध में निम्न ५ कांग्रेस जनों को बहिष्कृत किया :—

(१) प्रो० शेरसिंह एम० एल० ए० (२) पं० श्रीराम शर्मा (३) पं० मुरारीलाल शास्त्री (४) सरदार आत्मासिंह एम० एल० ए० (५) श्री सरदार हरवंशसिंह एम० एल० ए०।

२९ अगस्त—आज 'दैनिक प्रताप' और 'वीर अर्जुन' के स्वामी० श्री महाशय कृष्ण और जलन्धर के 'प्रताप' तथा 'वीर अर्जुन' के सम्पादक श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० (सुपुत्र महाशय कृष्णजी) को उनके निवास स्थान ६ कीलिंग रोड नई दिल्ली में प्रातः ४ बजे नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार किया।

हिन्दी रक्षा समिति अम्बाला छावनी के प्रधान मन्त्री श्री एम० सी० जौली, को अम्बाला छावनी में तथा श्री कुन्दनलाल एडवोकेट (प्रधान हिन्दी रक्षा समिति पानीपत) तथा आर्यसमाज के नेता ला० धर्मसिंह प्लीडर को पानीपत में गिरफ्तार किया।

आज चंडीगढ़ में श्री ज्योतिप्रसाद आर्य के नेतृत्व में जाने वाले १०० सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। रोहतक में ६ जत्थों में १२९ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया।

फीरोजपुर, लुधियाना और गुरुदासपुर के जिलों में १४४ धारा लगाई गई।

३० अगस्त—आज पञ्जाब के १८ जिलों में से १० में धारा १४४ लगाई गई। अमृतसर और रोहतक जिले में समस्त स्थलों पर और अन्य जिलों में शहरों की म्यूनिसिपल सीमाओं पर लागू हुई। अम्बाला जिले में अम्बाला शहर, छावनी, यमुना नगर, जगाधरी और चण्डीगढ़ में जलूसों, प्रदर्शनों और सभाओं पर यह धारा लगी।

आज रोहतक में १२७ सत्याग्रहियों ने और चंडीगढ़ में ५८ ने सत्याग्रह किया। २७ सत्याग्रही रोहतक में और २७ चंडीगढ़ में गिरफ्तार किये गये।

आज अम्बाला नगर में हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री रामदत्त एडवोकेट तथा दिल्ली में आर्य कालेज अम्बाला के वाइस प्रिंसिपल श्रीयुत पं० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित (सदस्य सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति) गिरफ्तार किये गये। पानीपत में हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री कुन्दनलाल तथा धर्मसिंह जी गिरफ्तार हुए।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज ने एक वक्तव्य के द्वारा समस्त आर्यो को आदेश दिया कि वे १४४ धारा का उल्लंघन करके सत्याग्रह न करें। उधर अकाली नेता श्री मास्टर तारासिंह जी ने भी अकालियों को इसी प्रकार का आदेश दिया।

३१ अगस्त—आज अम्बाला में १६ कार्यकर्ता १४४ धारा का उल्लंघन करने पर धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार हुए।

आज चण्डीगढ़ में ५२ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। फीरोजपुर में श्री जस्टिस एस० बी० कपूर की अदालत में फीरोज़पुर कांड की जाँच प्रारम्भ हुई। हिंदी रक्षा समिति की ओर से श्री हर प्रकाश जी श्री ज्ञानचन्द शर्मा, श्री सेठ राम गुप्त, और श्री भगवानदास सोंधी पैरवी के लिये पेश हुए।

१ सितम्बर—म० रतनचन्द आज जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये। वे २२ सत्याग्रहियों का जत्था चंडीगढ़ ले जा रहे थे।

२—सितम्बर। आज ८६ सत्याग्रहियों ने ५ जत्थों में (रोहतक में) सत्याग्रह किया। पुलिस ने समस्त सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया चंडीगढ़ से ५७ सत्याग्रही गिरफ्तार हुये।

संगरूर में 'सत्याग्रहियों' को चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए बस स्टैंडों तथा रेलवे स्टेशनों पर पुलिस तैनात की गई।

तेजाए मन्त्री के नेतृत्व में जानेवाले जत्थे के ५ सत्याग्रही तेजाए मन्त्री जी के साथ गिरफ्तार कर लिये गये।

१४४ धारा तोड़ने के कथित अपराध में गिरफ्तार हुये १६ सत्याग्रहियों का पुलिस ने रिमांड लिया।

हवालात में बन्द सत्याग्रहियों को नैतिक अपराधियों से पृथक् करके नाभा जेल भेज दिया गया।

संगरूर में समिति के ८ कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। अम्बाला हिन्दी रक्षा समिति के प्रचार मन्त्री सोहनलाल घोटानी की निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी हुई।

आज श्रीयुत गोपीचन्द जी भार्गव ने फिरोजपुर जेल में लाठी चार्ज के शिकार हुये पीड़ित और घायल सत्याग्रहियों को जाकर देखा। इस भयंकर कांड के पश्चात जेल में जाकर स्थिति का निरीक्षण करने वाले डाक्टर भार्गव ही पहले मन्त्री थे। वे शीघ्र ही कांग्रेस हाई कमान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिससे सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई। पहले भी जेलों में दंगे हुये हैं परन्तु उनमें राजनैतिक बंदी कभी शामिल न थे। सत्याग्रहियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वैसा अपराधी बन्दियों के साथ भी नहीं किया जाना चाहिये। डाक्टर भार्गव ने सत्याग्रहियों की चिकित्सा तथा भोजनावस्था पर सन्तोष प्रकट किया उन्होंने कहा कि लाठी प्रहार से उत्पन्न क्षोभ के बावजूद सत्याग्रहियों ने मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार किया। डा० भार्गव को जेल के दौरे के समय खून से रंगे वस्त्र दिखलाये गये। डाक्टर भार्गव ने जेलों के इन्सपैक्टर जनरल को आदेश दिया कि सत्याग्रहियों की शिकायत दूर करने तथा उनके भय का निपटारा करने किये आवश्यक कार्यवाही की जाय। जांच आयोग के सामने पेश होने पर किसी बन्दी को तंग न किया जाय।

३—आज चंडीगढ़ में ५२ सत्याग्रहियों ने और रोहतक में ५५ सत्याग्रहियों ने १४४ धारा तोड़कर सत्याग्रह किया और वे सब गिरफ्तार कर लिये गये। चंडीगढ़ में सत्याग्रह से सहानुभूति रखने वाले नर नारियों की अपार भीड़ विद्यमान थी। चंडीगढ़ में जत्थे का नेतृत्व अमृतसर के स्वामी रामाचार्य ने किया।

पंजाब मन्त्री मन्डल के नये सचिव श्रीयुत गोपीचन्द भार्गव ने पंजाब की भाषा समस्या का समाधान करने की दिशा में पग उठाया है। पंजाब राज्य पाल की प्रेरणा पर हिन्दी रक्षा समिति और पंजाब राज्य के प्रतिनिधियों में समझौता वार्ता आरम्भ हुई थी जो २१ अगस्त को टूट गई थी।

डा० भार्गव ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ चन्डीगढ़ में हुई एक भेंट में आज बताया कि मध्य-प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष और हिन्दी रक्षा समिति के प्रवक्ता श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त के साथ देहली में अभी कुछ दिन हुये उनकी बातचीत हुई थी गुप्तजी ने उन्हें समिति का दृष्टि कोण और मांगें समझाई थीं। अब वे अकाली नेता मास्टर तारासिंह, सरदार हुक्मसिंह तथा ज्ञानी करतारसिंह से मिलेंगे तथा मामले को सुलझाने का यत्न करेंगे वे पुन: श्री गुप्त जी से उनके नागपुर से लौट आने पर • १५ सितम्बर को वा उसके आस पास मिलेंगे।

अम्बाला के डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने ३० अगस्त के आर्डर की मियाद बढ़ाई जिसके अनुसार १४४ धारा के आधीन अम्बाला कैन्ट, अम्बाला सीमाओं के भीतर जगाधरी तथा जमुनानगर के टाउन हाल एवं पुलीस स्टेशन के ५ मील के इर्द गिर्द सार्वजनिक सभाएँ जलूस और प्रदर्शन बर्जित कर दिये गये हैं।

प्रबोधचन्द्र एम० एल० ए० तथा भूतपूर्व पुनर्वास मन्त्री पंजाब राज्य ने अपने निवास स्थान गुरदासपुर में ७ सितम्बर से १ सप्ताह तक अनशन करने के फैसले की सूचना दी। यह अनशन फिरोजपुर जेल में सत्यागहियों पर हुये निर्मम लाठी प्रहार के प्रायश्चित रूप में किया जायगा। उन्होंने पंजाब के मुख्य मन्त्री को भेजे हुये आवेदन पत्र में लिखा है कि मैंने फिरोजपुर जेल में स्वयं जाकर परिस्थितियों का निरीक्षण करने तथा भावनाओं को शान्त करने के उद्देश्य से मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री से आज्ञा मांगी थी परन्तु दोनों ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने मुख्य मन्त्री को यह भी सूचित किया यदि पंजाब की स्थिति ठीक न हुई तो वे भविष्य में अनिश्चित काल तक उपवास करेंगे। पंजाब की स्थिति पर प्रकाश डालते हुये लिखा पंजाब की स्थिति निकृष्ट से निकृष्टतर होती गई और अब वह काबू से बाहर हो गई है। मैं आग्रह करता हूँ कि कुछ अधिक समझदारी और कौशल से काम लेने पर यह स्थिति बिगड़ने न पाती परन्तु दुर्भाग्य से फिरोजपुर जेल की दुःख जनक घटना से संकट सीमा पर पहुंच गया। कांग्रेस के सत्य गृहों में मैं अनेक बार जेल गया, ब्रिटिश शासन काल में जेलों की चार दिवारी के भीतर हुये लाठी प्रहारों को देखा है परन्तु उन दिनों शक्ति का प्रदर्शन बदले की भावना से होता था। इस समय हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। मेरी हिन्दी आन्दोलन से कोई सहानुभूति नहीं है और न ही आन्दोलन कारियों के लिये मेरे हृदय में कोई स्थान ही है। मैं समझता हूँ कि यह आन्दोलन गलत है परन्तु किसी आन्दोलन को समाप्त करने का यह अर्थ नहीं कि आन्दोलन कर्ताओं को चार दिवारी के भीतर भय दिया जाय। यह अहिंसा के सिद्धान्तों के विपरीत है। यदि ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ होता तो आप स्वयं इसका विरोध करते। हमारे निर्णय का माप दण्ड समान होना चाहिये। साधारण से साधारण व्यक्ति भी फिरोजपुर घटना को यह समझेगा कि शान्ति प्रिय कैदियों को रौंद डाला गया है।

४—आज सायंकाल चंडीगढ़ में १४४ धारा का उलंघन करते हुये ४३ सत्याग्रही गिरफ्तार हुये। सत्यागृहियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति गए थे जो मूसलाधार वर्षा में भी साथ रहे। दर्शकों का व्यवहार बड़ा शांन्त था। अत: उनमें से किसी की गिरफ्तारी न हुई। रात्रि के ८ बजे पुलिस हटाली गई।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री गुरुमुखसिंह मुसाफिर ने एक प्रेस प्रतिनिधि के साथ हुई भेंट में कहा कि मैं इस बात के लिये बड़ा उत्सुक हूं कि इस भाषा समस्या का समाधान

हो जाय। उन्होंने यह भी कहा कि वे शीघ्रातिशीघ्र ही समिति के नेता घनश्यामसिंह जी से मिलेंगे। फिरोजपुर जेल में लाठी प्रहार से उत्पन्न स्थिति का निरीक्षण करने के लिये वे फिरोजपुर जा रहे हैं।

पंजाब राज्य के सचिव श्रीयुत गोपीचन्द भार्गव ने चन्डीगढ़ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस हाई कमान राज्य में शान्ति और एकता की स्थिति के लिये बड़ा उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने समझौता करने के लिये कोई खास फार्मूला नहीं है। फिर भी मैं संबद्ध पार्टियों की सहायता और सहयोग से दोनों पक्षों को माननीय कोई हल निकालने का यत्न करता रहूंगा। यदि किसी समझौते पर पहुंचने की आशा हुई तो मैं 'दोनों दलों की गोल मेज कांफ्रेन्स भी बुला समिति के सदस्यों को जो बाहर है या जेल के भीतर है सामूहिक रूप में और स्वतन्त्र विचार का आयोजन करूंगा।

मुझे जेल में भी उनसे मिलने में संशय न होगा। डा० महोदय ने यह भी कहा कि मैंने समिति के नेताओं को कहा है कि वे आंदोलन को स्थगित करदें और सरकार गिरफ्तारियाँ बन्द कर देगी।' श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने भी अपनी सहायता का विश्वास दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मौलिक प्रश्न अकालियों और समिति के उच्च पारस्परिक समझौते का है जिसके लिये वे प्रयत्न करेंगे। उन्होंने अकाली नेताओं से भी समझौते के सहायक रुख अपनाने की प्रार्थना की। इससे पूर्व समझौते का जो यत्न हुआ था उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली है।

आज रोहतक में १४४ धारा तोड़ते हुये ४३ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। वे दो जत्थों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर जा रहे थे।

हिसार जिले की हिन्दी रक्षा समिति के मन्त्री तथा हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व मन्त्री श्री कोकचन्द्र शास्त्री आज प्रातः निवारक निरोध अधिनियम के अधीन रोहतक में गिरफ्तार कर लिए गए।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने एक वक्तव्य के द्वारा श्री पं० जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य का कड़े शब्दों में खंडन किया जो उन्होंने आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठकमें दिया था और जिसमें आर्य समाज के आन्दोलन को बेहूदा बताया था।

५ सितम्बर— सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त ने हिन्दी सत्याग्रह को स्थगित करने सम्बन्धी डा० भार्गव की अपील को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक डा० भार्गव द्वारा चलाई गई शान्ति वार्त्ता का कोई परिणाम सामने न आये हिन्दी सत्याग्रह स्थगित नहीं किया जा सकता। वे समझौता वार्त्ता के लिये तैयार है परन्तु सत्याग्रह स्थगित न होगा।

अमृतसर हिन्दी रक्षा समिति के मंत्री मास्टर मेहरचन्द और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बिहारीलाल सहित ६ नेता और हिन्दी रक्षा कार्यकर्त्ता ४ ता० के प्रातः गिरफ्तार किये गये। ये गिरफ्तारियां १४४ धारा का उल्लघन करके जलूस निकालने और प्रदर्शन करने के आरोप में हुई।

मथुरा का सत्याग्रही जत्था जो पलवल में गिरफ्तार किया गया था और गुड़गांवा जेल में डाल दिया गया था वह हिसार ले जाया गया है, हिसार ले जाते समय सत्याग्रहियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई थीं।

आज चंडीगढ़ में १४४ धारा तोड़ते हुए ४४ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। सत्याग्रही छोटे २ जत्थों में प्रातःकाल से सायंकाल तक जाते रहे। प्रमुख जत्थे का नेतृत्व हैदराबाद के आर्य नेता श्री मुन्नालाल मिश्र कर रहे थे।

आज रोहतक में ६४ सत्याग्रहियों ने २ जत्थों में सत्याग्रह किया। २० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। इस सत्याग्रह का निरीक्षण श्री पं० नरेन्द्र

जी (हैदराबाद) ने किया। जनता में बड़ा जोश था। आचार्य कृष्ण जी ने एक बड़ी सभा में भाषण दिया।

आज डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट रोहतक ने प्रेस को इस खबर का खंडन किया कि रोहतक में सभाओं और जलूसों पर प्रतिबन्ध है।

फीरोजपुर में श्री देवराज पुरी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के लिए गाड़ी में सवार होता हुआ ७ सत्याग्रहियों का जत्था रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुआ। यह मोगा का ५वां जत्था था।

फीरोजपुर जेल के १६ हिन्दी सत्याग्रहियों ने सेशन कोर्ट में यह प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके केस किसी दूसरी अदालत में भेजे जायें क्योंकि उन्हें उस अदालत की निष्पक्षता पर विश्वास न था जिसमें उनके केस चल रहे हैं। वह अदालत सरकारी प्रभाव में बताई गई थी। सेशन कोर्ट ने उनका प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया। हेतु यह दिया कि प्रार्थियों की शिकायत निराधार है और यदि उसमें कोई तथ्य भी हो तब भी सेशन कोर्ट उनके अभियोगों को अन्य कोर्ट में भेजने की स्थिति में नहीं है। ये केस स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री के० सी० ग्रोवर की अदालत में चल रहे हैं।

मास्टर तारासिंह ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा हिन्दी रक्षा समिति के साथ समझौतावार्त्ता न चलाने की श्री भार्गव जी को चेतावनी दी।

६ सितम्बर—चण्डीगढ़ हाई कोर्ट ने श्रीयुत मंगलसेन एम० एल० ए० श्री परमानन्द तुली, हुकमचन्द गोयल, श्री महाराज कृष्ण कंवल तथा श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती की जमानत स्वीकार कर ली। इन पर दफा ४९८ में केस चलाया गया है। परन्तु शर्त यह रखी गई है कि ये लोग हिन्दी रक्षा आंदोलन से सम्बद्ध किसी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग न लेने का आश्वासन दें।

आज चंडीगढ़ में ३४ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, और रोहतक में ५०। ये दो जत्थों में बंटे हुए थे। जिनमें से १२ गिरफ्तार हुए।

हिसार में स्वामी बेधड़क तथा एक अन्य हिन्दी नेता की निरोध अधिनियम की धारा ३ के अधीन गिरफ्तारी हुई।

धुरी, करनाल, सुनाम तथा मेला में हिन्दी समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हिन्दू व्यापारियों की हड़ताल रही। हिन्दी कवि श्री लक्ष्मीनारायण सुमन की धारा १४४ तोड़नेके कथित अपराध में अमृतसर में गिरफ्तारी हुई।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि पञ्जाब सरकार का वह आदेश जिसके द्वारा दैनिक प्रताप तथा दैनिक वीर अर्जुन के दिल्ली संस्करणों का पञ्जाब में प्रवेश निषिद्ध किया गया था अवैध था। परन्तु न्यायालय ने साथ ही यह निर्णय दिया है कि दोनों पत्रों के जलन्धर संस्करणों पर हिन्दी रक्षा आंदोलन से सम्बद्ध कोई भी लेख व समाचार अथवा अन्य सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाला राज्य सरकार का आदेश वैध है।

राजस्थान और बम्बई के ५५ सत्याग्रहियों के २ जत्थे आज आज प्रातः चंडीगढ़ जाते हुए अम्बाला में धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिये गये। दोनों जत्थे पृथक् २ बसों में जाने के लिये सवार हुए थे। राजस्थान के जत्थे का नेतृत्व आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री श्री भगवती प्रसाद जी और बम्बई के जत्थे का श्रीयुत धर्मप्रकाश बंगा कर रहे थे।

राजस्थान की आठ देवियों के जत्थे को जिसका नेतृत्व श्रीमती शान्तिदेवी जी कर रही थीं अम्बाला से बाहर गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने चंडीगढ़ जाते हुए यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर मास्टर तारा-

सिंह के बयान के सम्बन्ध में कहा कि समिति का द्वार समझौते के लिये खुला हुआ है। उन्होंने कहा तीसरा मोर्चा शीघ्र ही खुलने की आशा है। 'माडल टाउन के निवासियों' की ओर से श्री स्वामी जी को ११०० रुपयों की थैली भेंट की गई।

८ सितम्बर – आज चण्डीगढ़ में २० महिला सत्याग्रही गिरफ्तार हुई। ये महिलाएँ राजस्थान, मेरठ और गाजियाबाद से आई थीं उनका नेतृत्व श्री राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री भगवती प्रसाद जी की पत्नी कर रही थी।

श्री धर्म सिंह के नेतृत्व में ३१ सत्याग्रहियों का एक जत्था चण्डीगढ़ जाता हुआ करनाल रेल्वे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी १४४ धारा का उल्लंघन करने के अपराध में धारा १८८ के अधीन हुई है।

नवाशहर के एक जत्थे के २ सत्याग्रही अम्बाला शहर के बाहर धूल कोट के निकट गिरफ्तार किए गए जबकि ११ सत्याग्रही चण्डीगढ़ पहुंच गए।

आज मास्टर तारासिंह ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा भाषा समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्तावित समझौता वार्त्ता का घोर विरोध किया।

हिन्दी रक्षा समिति पञ्जाब के अध्यक्ष श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीयुत स्वामी अभेदानन्द जी महाराज ने संयुक्त वक्तव्य के द्वारा घोषणा की कि अब हिन्दी रक्षा आन्दोलन का संचालन सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्मित सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति ने अपने हाथ में ले लिया है। दोनों समितियों की ओर से समझौता वार्त्ता करने का अधिकार एक मात्र भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्रीयुत घनश्याम सिंह गुप्त को है।

आज आर्य जगत् में श्री महात्मा आनन्द भिक्षु जी का "स्वास्थ्यकामना दिवस" मनायाजाकर आमरण अनशन के परीक्षण में सफल निकल आने की प्रार्थना की गई। आर्य नरनारियों ने उपवास रखा और गवर्नमेन्ट को प्रेरणा की गई कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे उनके मूल्यवान जीवन की रक्षा हो जाय। श्री महात्मा जी ८ अगस्त से आर्य समाज चण्डीगढ़ में हुई पुलीस की नृशंसता के विरोध स्वरूप आमरण अनशन कर रहे हैं। इस समय वे अम्बाला जेल में हैं।

श्रीयुत घनश्याम सिंह जी गुप्त ने एक वक्तव्य में कहा कि हिन्दी रक्षा आँदोलन सिखों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने हिन्दी रक्षा आँदोलन के कार्यकर्त्ताओं और प्रेमियों को प्रेरणा की कि वे न तो ऐसी बात कहें वा करें; जिससे सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे ना ही सिखों के महान् गुरुओं की शान के विरुद्ध कोई बात कही जाय।

९ सितम्बर—शिरोमणि अकाली दल की अमृतसर में हुई कार्यकारिणी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह पञ्जाब में क्षेत्रीय समितियों की स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही करे। मास्टर तारा सिंह बैठक के अध्यक्ष थे। एक प्रस्ताव स्वीकृत करके कार्यकारिणी ने कहा है कि विलम्ब होने से समस्या और भी जटिल हो जायगी। इस विलम्ब से हिंदी आँदोलन को बल मिलेगा।

१०७वीं धारा तथा निवारकनिरोध अधिनियमके अन्तर्गत हिन्दी रक्षा समिति के ११ कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हुए।

करनाल में चौ० रतिराम तथा श्री अर्जुनदास को आज प्रातः निवारक निरोध अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत उनके घरों में गिरफ्तार कर लिया गया। करनाल जिले में इस धारा के अनुसार अब तक १७ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

पठानकोट में आर्य समाज के प्रधान श्री कृष्ण लाल गांधी तथा श्री छज्जू राम जी को गिरफ्तार किया गया।

गुरुदासपुर हिन्दी रक्षा समिति के प्रचार मंत्री श्री अमर नाथ परदेशी पठानकोट में गिरफ्तार

किए गए।

जालंधर में श्री खेरातीराम 'सनातनी' श्री रामलाल गुप्त (आर्य) तथा श्री ओ३म प्रकाश जी को निवारक निरोध अधिनियम के अनुसार गिरफ्तार किया गया। पुलीस ने हिन्दी रक्षा समिति से सम्बद्ध ३ और व्यक्तियों के मकानों पर भी छापे मारे परन्तु वे अपने मकानों पर न मिले।

प्रसिद्ध आर्य श्री दीवान अलखधारी ने मास्टर तारासिंह के उस वक्तव्य के सम्बन्ध में जिसमें उन्होंने पञ्जाब के भाषा विवाद के हल के लिए गोल मेज वार्त्ता की योजना की निंदा की है उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि अकाली नेता समस्या पर व्यवहारिक एवं तथ्य पूर्ण दृष्टि कोण अपनाएँ तथा समस्या को आपसी बातचीत से हल करें। यदि इस समस्या को ठीक ढंग से हल किया जाय तो यह हल हो सकती है।

आर्य समाज अमृतसर की ओर से प्रधानमंत्री केन्द्रीय गृह मंत्री, शिक्षा मन्त्री, पञ्जाब के राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा डा० भार्गव को तार दिये गए हैं कि जिला अमृतसर के एक कस्बा महता के हिन्दुओं को अकालियों की ओर से तरह २ की धमकियां दी जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुछ हिन्दु कस्बे को छोड़ गए हैं। इसकी सूचना सार्वदेशिक सभा के कार्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर उनकी रक्षा करने की मांग की गई है।

रोहतक की ५ अगस्त की घटना के सिलसिले में लाला शेरसिंह तथा मलिक शान्तिलाल के वारंट कटे हुए थे। ४ ता० को दोनों व्यक्ति श्री धर्मरत्न मजिस्ट्रेट महाना की अदालत में पेश किए गए। दोनों को ४-४ हजार रुपए की जमानत पर छोड़ा गया। रोहतक के श्री उत्तम चन्द शरर पटियाला जेल से जमानत पर रिहा होकर रोहतक पहुँच गए। उनके कथनानुसार पटियाला जेल में रोहतक के ३२ सत्याग्रही भेजे गए थे। जिन्हें सरकार ने सी० क्लास में रखा हुआ था। जब उन्हें छोड़ा जाता है तो सरकार उन्हें घर जाने के लिए रेल भाड़ा नहीं देती जिससे उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। हिन्दी रक्षा समिति के प्रवक्ता के अनुसार रोहतक की पुलीस हिन्दी आँदोलन को कुचलने के लिए निकृष्ट उपायों का प्रयोग कर रही हैं। जो जत्थे सत्याग्रह के लिए भेजे जाते हैं उनमें से कुछ को पकड़ते हैं कुछ को मार पीट कर छोड़ दिया जाता है। ४-९-५७ को एक जत्था ६० सत्याग्रहियों का ग्राम बलयाना तथा मालोट से मोटर में जा रहा था उसे बस से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलीस ने गांवों में धर पकड़ शुरू की हुई है। सिलाना गांव के चौ० मनफूल सिंह वकील ने सत्याग्रह किया था। पुलीस उनके गांव गई। वकील महोदय के पिता तथा अन्य कुटुम्बीजन तथा गांव के उनके हमदर्द लोग सब पकड़े जाकर रोहतक लाए गए।

फीरोजपुर सेन्ट्रल जेल में २४ अगस्त के लाठी प्रहार की जांच के सिलसिले में पञ्जाब हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस० बी० कपूर की अदालत में २० व्यक्तियों की गवाही ७-९-५७ को ली गई। सार्वदेशिक सभा की ओर से देहली के सुप्रसिद्ध फौजदारी वकील श्री तवकली, श्री बा० पूर्णचन्द्र एडवोकेट आगरा तथा श्री हर प्रसाद वकील सत्याग्रहियों की ओर से पैरवी कर रहे थे। सार्व० सभा की ओर से श्रीयुत प्रो० राम सिंह जी एम० ए० फीरोजपुर रह कर अपनी देख रेख में यह कार्य करा रहे हैं।

कम्यूनिस्ट नेता श्री ए० के० गोपालन ने पटियाला में पञ्जाब की जनता से अपील की कि हिंदी पञ्जाबी दोनों का आदर करें और भाषा विवाद को मैत्री पूर्वक हल करें। उन्होंने कहा कि वे इस समस्या के हल के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने के पक्ष में हैं। हिन्दी रक्षा आँदोलन वापस लिया जाना चाहिए और पारस्परिक वार्त्ता से यह झगड़ा

तय होना चाहिए।

हिसार में श्री अर्जुन देव तथा हिन्दी रक्षा समिति हिसार के मन्त्री श्री प्रकाश चन्द्र नजरबंदी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। श्री अर्जुन देव आज एक जत्था रोहतक ले जाने वाले थे।

अखिल भारतीय हिन्दू महा सभा ने प्रधान मंत्री श्री पं० नेहरू से आग्रह किया है कि पञ्जाब के भाषा विवाद के हल के लिए विविध दलों के नेताओं का एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाय। एक प्रस्ताव के द्वारा बहुअकबरपुर की घटना की अदालती जांच की मांग की गई।

श्री प्रबोधचन्द्र ने आज गुरुदास पुर में अपना ७ दिन का उपवास शुरू किया।

आर्य समाज की भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त ने नागपुर में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि यदि पञ्जाब सरकार जोर जबर्दस्ती की नीति में परिवर्तन करले तो राज्य सरकार की भाषा नीति के विरुद्ध सत्याग्रह वापस ले लिया जायगा।

रोहतक में श्री उत्तम प्रकाश तथा श्री लाला राम नरायण जी को निवारक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया।

९ सितम्बर। नगर में तनाव देखते हुए दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड विधान की धारा १४४ के अन्तर्गत आगामी सूचना प्रकाशित होने तक सभाओं, जलूसों तथा प्रदर्शनों आदि पर प्रतिबन्ध लगाया। सरकारी सूत्रों के अनुसार भोगल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थिति पर काबू पा लिया गया है परन्तु सावधानी के लिए इन क्षेत्रों में रात को ९ बजे से ५ बजे प्रातः तक पुनः करफ्यू लगा दिया गया है। ३० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। बाज़ार में सांकेतिक हड़ताल रही।

गुरुदासपुर के २०० से अधिक कांग्रेस जनों ने ९ ता० के प्रातः काल से श्री प्रबोधचन्द्र के निवास स्थान पर धरना आरम्भ किया जो उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि श्री प्रबोधचन्द्र जेल में हुए लाठी प्रहार के विरुद्ध अपने अनशन को समाप्त न करेंगे। अब तक अनशन भंग करवाने के सब प्रयास विफल हुये हैं।

डा० भार्गव ९-९-५७ को दिल्ली में भाषा समस्या को सुलझाने के सिलसिले में गृह मन्त्री पं० पन्त और शिक्षा मन्त्री मौलाना आज़ाद से मिले। ज्ञानी करतारसिंह भी पं० पंत से मिले बताए जाते हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने आज दिल्ली में पंजाब के कांग्रेसी संसत्सदस्यों की एक बैठक में विचार प्रकट किया कि पंजाब का भाषा आन्दोलन अब कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने एक अन्य स्थान पर कहा कि पंजाब के भाषा प्रश्न को हल करने की कोई भी योजना क्षेत्रीय फार्मूले के भीतर ही होनी चाहिए। यदि कोई परिवर्तन अभीष्ट हो तो उस पर सम्बद्ध पक्षों की सहमति अनिवार्य है। एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि वर्तमान भाषा सम्बन्धी व्यवस्था स्थायी नहीं है। उसे केवल सुविधा के लिए रखा जा रहा है। यदि सरकार के पास काफी धन और ट्रेंड शिक्षक हुए तो प्रत्येक छात्र को हिन्दी वा पंजाबी किसी भी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुकावट न होगी। श्री कैरों ने पं० नेहरू के इस सुझाव का समर्थन किया कि पंजाब के भाषा प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाय।

श्रीचन्द प्रधान हिन्दी रक्षा समिति और १५ अन्य हिन्दी समर्थकों ने जो नाभा के कारावास में हैं जेल के प्रबन्धकों को चेतावनी दी है कि यदि हमें राजनैतिक सुविधाएँ न दी गई तो हमें अनशन करना पड़ेगा।

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी ने एक प्रेस प्रतिनिधि

को बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगें स्वीकार करके हमसे समझौता नहीं करती तब तक सफलता पूर्वक सत्याग्रह चलाने की क्षमता आर्य्य समाज में है। आर्य्य समाज का मास्टर तारासिंह के साथ बातचीत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारा झगड़ा सरकार के साथ है अतः समझौते की वार्ता सरकार के सिवा अन्य किसी दल या व्यक्ति के साथ करने के लिये हम कदापि तय्यार नहीं हैं।

आज चंडीगढ़ में २० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दफा १८८ में १० सत्याग्रही चंडीगढ़ जाते हुए पकड़े गए।

आज भी पंजाब के विभिन्न नगरों में निवारक अधिनियम के आधीन हिन्दी रक्षा समिति के अधिकारियों और समर्थकों की गिरफ्तारी हुई— श्रीयुत गोपीचन्द भार्गव ने प्रेस प्रतिनिधि को बताया कि मैं समझौते का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि अकालियों और आर्य्यों को मान्य समस्या का हल निकल आयगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हिन्दी आन्दोलन के पुरस्कर्त्ताओं को आन्दोलन को स्थगित करने की प्रेरणा कर रहा हूँ जिससे अकालियों तथा अन्य सम्बद्ध दलों के साथ गोल मेज वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाय।

आज रोहतक में ८४ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया जिनमें से १६ दफा १४३ में गिरफ्तार हुए।

१० सितम्बर—आज करनाल में हिन्दी रक्षा सत्याग्रह का तीसरा केन्द्र खुल गया। वहां से ५ सत्याग्रहियों का एक जत्था १४४ दफा के अन्तर्गत लगे प्रतिबन्धों को तोड़कर सत्याग्रह करने गया। पुलिस ने उन्हें जिला अदालत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया।

आज डा० गोपीचन्द जी भार्गव से श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र जी ने भेंट की। भेंट में बन्दी सत्याग्रहियों की असुविधाओं, श्री आनन्द भिक्षु जी तथा श्री ब० बालकराम जी के अनशन और हिन्दी सत्याग्रह के सम्बन्ध में बातचीत हुई। डा० महोदय ने श्री नरेन्द्र को आश्वासन दिलाया कि वे स्वामी आनन्द भिक्षु के आमरण अनशन के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तथा सत्याग्रहियों की असुविधाओं को दूर करने का यत्न करेंगे।

हिसार की पुलिस ने हिन्दी रक्षा समिति के ११ कार्यकर्त्ताओं को सुरक्षा अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। ४ हिसार में ६ उकलाना में तथा १ करनाल में गिरफ्तार किये गये।

रोहतक के ८० नवयुवकों को जिन्हें वीर अर्जुन और प्रताप रखने पर विभिन्न दण्ड दिये गये थे आज रिहा कर दिया गया।

कल होशियारपुर के वाल्मीकि श्री संसारीलाल के नेतृत्व में २० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। पुलीस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जत्थे में १ हरिजन भी थे। इनके अतिरिक्त अन्य सत्याग्रही फीरोजपुर, पठानकोट, मलेरकोटला, सोनीपत, शाहदरा और बिहार के थे।

आज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से ११ सत्याग्रही ब्रह्मचारियों का जत्था सत्याग्रह करने के लिये चंडीगढ़ के लिये रवाना हो गया। गुरुकुल के अन्य जत्थे शीघ्र ही चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं।

पानीपत हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री रामगोपाल रईस और स्थानीय आर्यसमाज के मंत्री श्री योगेशचन्द्र जी ८-९-५७ को गिरफ्तार किये गये। वे नाभा जेल में रखे गये हैं।

श्री प्रबोधचन्द्र एम० एल० ए० ने आज देहली से यह आज्ञा मिलने पर कि फीरोजपुर जेल में सत्याग्रहियों से मिल सकते हैं अपना अनशन तोड़ दिया। श्री प्रबोधचन्द ने कहा कि वे शीघ्र ही फीरोजपुर जाकर सत्याग्रहियों से भेंट करेंगे और वहां से पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में मौलाना आजाद से भेंट करने दिल्ली जाऊंगा।

अमृतसर से अब तक लगभग ३०० व्यक्ति

गिरफ्तार किये गये हैं।

हिन्दी रक्षा समिति फीरोजपुर के मंत्री श्री हीरालाल गिरफ्तार किये गये। इन्हें जेल में सत्याग्रहियों से मिल कर उनकी असुविधाएं दूर करनेकी सरकारी आज्ञा थी।

११ सितम्बर—आज पञ्जाब राज्य में १०९ सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। केवल ४ व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया है जब कि शेष सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी दफा १४४ तोड़ कर गैर कानूनी सभा करने के आरोप में हुई है। करनाल में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में करनाल हिन्दी रक्षा आन्दोलन के अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल भी हैं।

रोहतक में आज ३० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। शेष गिरफ्तारी फीरोजपुर, पटियाला, यमुनानगर और हिसार जिलों में हुई।

हिन्दी रक्षा आन्दोलन के अन्तर्गत आज शाम ५ बजे तक करनाल में १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इन लोगों को १४४ धारा तोड़ कर गैर-कानूनी तौर पर इकट्ठे होने का आरोप लगा कर गिरफ्तार किया गया।

चण्डीगढ़ में श्री हरिदेव सहित २२ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

१० सितम्बर को प्रातः ३ और ४ बजे के मध्य जगाधरी में हिन्दी रक्षा समिति के ७ नेताओं को पुलिस ने उनके निवास स्थानों पर गिरफ्तार किया, बताया गया है कि पुलिस ने उन्हें कपड़े पहनने तक का समय नहीं दिया और उनमें से कुछ को तो बनियान और जांघिया में ही कोतवाली लाया गया। बाद में पुलिस ने २ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

आज प्रातः पुलिस ने रोहतक में श्री जगदीश मित्र के मकान पर छापा मार कर उन्हें नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। श्री जगदीश मित्र रोहतक के सत्याग्रह को बहुत दिनों से चला रहे थे। पुलीस ने प्रातः ही उनके मकान को चारों ओर से घेर लिया था।

चण्डीगढ़ में २१ महिलाओं के एक जत्थे ने सत्याग्रह किया जिसकी नेत्री श्रीमती सरस्वती देवी थी।

बहादुरगढ़ के निवासियों ने भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्यालय में लिखित रूप में यह शिकायत की कि पुलिस उनके गांवों में जा २ कर धमकाती है कि यदि इन लोगों ने हिन्दी आन्दोलन में भाग लिया तो उनको तंग किया जायगा। पुलिस लोगों को थाने में बुला कर तरह २ की धमकियां देती हैं।

अबोहर में १४४ धारा तोड़कर हिन्दी रक्षा समिति की ओर से एक जलूस निकाला गया जो बाद में गीता मन्दिर में जाकर एक सभा के रूप में परिणत हो गया। यह सभा श्री शादीराम एम० एल० ए० के नेतृत्व में चण्डीगढ़ जाने वाले ११ सत्याग्रहियों के स्वागत के लिए आयोजित की गई थी। बाद में इन सभी को धारा १४४ का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया।

लुधियाना में पंडित श्रीराम शर्मा वकील को नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया।

पंजाब पुलीस ने आर्यसमाज मन्दिर भिवानी में छापा मार कर हिन्दी रक्षा समिति के प्रमुख नेताओं आचार्य कृष्णजी, श्री पन्नालाल पीयूष राजस्थान, चौधरी देवव्रत, श्री रामदत्त गौतम तथा अन्य सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को शान्ति भंग करने के अपराध में गिरफ्तार किया। कुल २६ गिरफ्तारियां हुई। आचार्य कृष्ण २ दिन पूर्व दिल्ली से भिवानी गये थे।

आज रोहतक में १६ महिलाओं के एक जत्थे ने श्रीमती सुभद्रा देवी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया, पुलीस सभी को गिरफ्तार करके लारी में बिठा कर ले गई।

१० सहस्र की सभा में हिन्दी आन्दोलन के सिलसिले में २१ सत्याग्रहियों के जत्थे को गुज-

फरुखनगर में शानदार विदाई दी गई। इस जत्थे का नेतृत्व वैद्य शेरसिंह कर रहे हैं। इनमें ३ देवियां एक जिला कांग्रेस की प्रधाना श्रीमती सावित्री देवी और २ स्थानीय कालेज की प्राध्यापिकायें हैं। जत्थे के नेता वैद्य शेरसिंह १९१० से कांग्रेस में हैं और जब २ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया उन्होंने इसमें भाग लिया। नगर निवासियों ने जत्थे को २१०) की थैली भेंट की।

आज श्री धर्मरत्न मजिस्ट्रेट रोहतक की अदालत में डा० मंगलसेन और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री श्री जगदेव जी सिद्धान्ती आदि ६० सत्याग्रहियों के विरुद्ध मुकदमा पेश हुआ। अदालत ने १४ सितम्बर के लिये सुनवाई स्थगित कर दी।

करनाल में ६ हिन्दी रक्षा सत्याग्रहियों के गले में पुष्प मालाएं डाल कर जलूस निकाला और इस प्रकार धारा १४४ तोड़ दी। पुलीस भारी संख्या में तैनात थी फिर भी सत्याग्रही गिरफ्तार न किये जा सके। हिन्दी सत्याग्रही प्रदर्शन करने के बाद गलियों में चले जाते थे। प्रत्येक गली में दर्शक उपस्थित थे। जिन्होंने उनका अभिनन्दन किया और हिन्दी के समर्थन में नारे लगाये। यह क्रम निरन्तर ५ घंटेतक चलता रहा। पुलीस सत्याग्रहियों के पीछे दौड़ती थी परन्तु जब सत्याग्रही गलियों में छिप जाते थे तब पुलीस हट जाती थी। करनाल में आन्दोलन के इस मोड़ से जनता में बड़ा उत्साह है।

भटिंडा में कम्यूनिस्ट लीडर श्री ए० के० गोपालन ने मास्टर तारासिंह की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा समझौता बातचीत का मतलब प्रतिष्ठा की हानि नहीं होती। यदि हरियाना वासियों को पंजाबी पढ़ने के विकल्प का अधिकार दे दिया गया तो इससे पंजाबी की हानि न होगी। उन्होंने मदरास का उदाहरण दिया जहां माध्यमिक कक्षाओं में विकल्प अधिकार के होते हुए ८० प्रतिशत छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं।

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्यकर्त्ता प्रधान श्री पं० नरेन्द्र जी (हैदराबाद) ने पंजाब के मुख्य मन्त्री के उस भाषण पर आश्चर्य प्रकट किया जो उन्होंने १०-९-५७ को नई दिल्ली में संसत्सदस्यों की एक बैठक में दिया था। आर्य समाज ने कभी भी जन संघ के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

विविध राज्यों से चुनकर आए संसत्सदस्यों की एक बैठक में जिनकी अध्यक्षता श्री अलगूराय शास्त्री कर रहे थे पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने पंजाब की भाषा समस्या का स्पष्टीकरण किया। बैठक में लगभग ६० सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री रामधारीसिंह दिनकर आदि हिन्दी सेवियों ने भी भाग लिया। बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि संसद् सदस्य एक प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह बन्द करने का अनुरोध करें। यह भी विचार आया कि संसद् सदस्य दोनों पक्षों से अनुरोध करें कि वह सारा मामला श्री नेहरू पर छोड़ दें।

हिन्दी भाषा आन्दोलन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देते हुए मास्टर तारासिंह ने आज कहा कि मैं भी हिन्दुओं और सिखों में मेल चाहता हूँ किन्तु उस मेल की खातिर मैं अपने मजहब को कुर्बान नहीं कर सकता। हमने अपने मजहब की रक्षा के लिए ही पाकिस्तान छोड़ा। हम देश की रक्षा तक के लिए भी मजहब को तिलांजलि देने तक के लिए भी तय्यार नहीं हैं। मेरे लिए मजहब पहले और बाकी सब कुछ पीछे है।

आज रामा मन्डी के उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता म० ओ३म्प्रकाश आर्य मन्त्री आर्य समाज निवारक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर लिए गए। पुलीस २ दिन पूर्व उनके घर पर गिरफ्तारी के लिए गई थी परन्तु वे घर पर न थे। थानेदार

रामा ने दो व्यक्ति अपने साथ लेकर ओ३म्प्रकाश जी के घर की तलाशी ली। जब ओ३म्प्रकाश जी दो दिन बाद घर लौटे तो उन्होंने स्वयं पुलिस को सूचित कर दिया जिस पर पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तारी के समय लगभग १००० व्यक्ति उनके घर पहुंच गए थे जिन्होंने उन्हें जलूस के रूप में विदा किया।

१२ सितम्बर—रोहतक में आज बालीराम के नेतृत्व में ८० हिन्दी सत्याग्रहियों ने ३ जत्थों में सत्याग्रह किया। पुलिस ने ६१ को गिरफ्तार किया। १६ महिलाओं के एक जत्थे को पुलिस ने नहर के डाक बंगले के पास रोक लिया।

आज रात करनाल पुलिस ने नजर बन्दी कानून की धारा ३ के अन्तर्गत गुरुकुल घरौंडा के आचार्य ८५ वर्षीय ब्र० भीष्म को गिरफ्तार किया। उन्हें नाभा जेल भेजा गया है।

नारनौल (महेन्द्रगढ़) से २३ सत्याग्रहियों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। उसे वहीं डिपुटी कमिश्नर की आज्ञा से गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ की आर्य समाज के मन्त्री दीवान गिरधारीलाल तथा हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री भोलाराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

जींद में हिन्दी रक्षा समिति के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री गिरधारीलाल एक सत्याग्रही जत्थे को विदा करके अपने घर लौट रहे थे कि रात को १२ बजे पुलिस ने उन्हें मकान से गिरफ्तार कर लिया।

रोहतक के वयोवृद्ध आर्य नेता श्री मामचन्द अपनी जमानत रद्द कराके जेल चले गये। पुलिस ने श्री दीनानाथ साबुन वाले, श्री रामदत्तामल आर्य, श्री कर्मचन्द खोए वाले और मदनलाल कपड़े वाले को उनके घरों से गिरफ्तार किया।

कनानौर में भी पुलिस ने ११ सत्याग्रहियों के घरों पर छापा मार कर उन्हें गिरफ्तार किया।

ग्वालियर के ४ आर्य सत्याग्रही आज प्रातः अम्बाला की चुंगी पर गिरफ्तार कर लिए गए। ३ महिला सत्याग्रही भी गिरफ्तार हुई।

नाभा सेन्ट्रल जेल से बाबू दुनीचन्द एडवोकेट और उनका दल पेशी भुगतने के लिये संगरूर लाये गये तो सैकड़ों लोगों ने 'हिन्दी भाषा अमर रहे' 'देश का बच्चा २ होगा हिन्दी भाषा पर बलिदान' के नारे लगाते हुये उनका स्वागत किया अदालत के कहने पर सभी सत्याग्रहियों ने जमानत पर रिहा होने से इन्कार कर दिया।

भूतपूर्व पेप्सू के मन्त्री श्री अतरसिंह ने जिला रोहतक और उनके आस पास के क्षेत्रों में पुलिस की ज्यादतियों की अदालती जांच की मांग की। उन्होंने कहा हरयाणा के कुछ क्षेत्रों में आतंक का राज्य है परन्तु कांग्रेस का शासन मौन है श्री अतरसिंह ने जो कि पंजाब विधान सभा में संयुक्त समाजवादी लोकतन्त्रीय मोर्चे के नेता हैं कहा कि वह अकबरपुर और नया बाँस के लोगों पर पुलिस ने जो अत्याचार ढाये हैं उनका लोकतन्त्रीय सरकारों में कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। उन्होंने रोहतक के डिपुटी कमिश्नर श्री लालसिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के अत्याचारों पर पर्दा डालने के हेतु तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करने का यत्न किया। उन्होंने कहा जिला अधिकारियों ने आर्य सत्याग्रहियों से कई बहानों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लेकर यह प्रकट किया कि उन्होंने क्षमा मांगी है।

आज करनाल में ९ सत्याग्रहियों ने शहर के विभिन्न भागों में हिन्दी के समर्थन में नारे लगाये। पुलिस ने १४४ धारा तोड़ने के अपराध में उनको गिरफ्तार कर लिया। आज चन्डीगढ़ से करनाल को महिला पुलिस भेजी गई।

पंजाब के शिक्षा मन्त्री श्री अमरनाथ विद्यालंकार ने चण्डीगढ़ में घोषणा की कि पंजाब सरकार ने १ अक्तूबर ५७ से सरकारी स्कूलों में मुफ्त

प्राथमिक शिक्षा जारी करने का निर्णय किया है।

आज कुल ६६ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

१३ सितम्बर—आज पञ्जाब में अम्बाला के सिमाने पर चण्डीगढ़ जाते हुए ५ हिन्दी सत्याग्रही सिख भाई गिरफ्तार किए गए। इन ५ को मिला कर आज पञ्जाब में ८६ हिन्दी सत्याग्रही और समर्थक गिरफ्तार हुए। ये सिख बटाला से आए थे। इनके नाम ये हैं-सरदार अजीत सिंह, पोला-सिंह, विशन सिंह, मक्खन सिंह औरकुन्दनसिंह।

जगाधरी में ४ सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। इनके साथ सहस्रों दर्शक और समर्थक थे जिन्होंने नगर की सड़कों और बाज़ार में घूमकर प्रचार किया।

आज चण्डीगढ़ में २२ करनाल में ८ और रोहतक में ५० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। फाजिलका में ग्राम पंजकोसी के श्री हरिश्चन्द्र जी के नेतृत्व में १२ सत्याग्रहियों का जत्था १४४ धारा का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार हुआ।

अम्बाला सिटी हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान मास्टर चन्दगी राम जी ने एक प्रेस वक्तव्य में यह शिकायत की कि सार्वदेशिक भाषा स्वतन्त्र्य समिति की इस घोषणा के होते हुए भी कि चण्डीगढ़ और रोहतक के अतिरिक्त १४४ धारा लागू की जाय हमारे सत्याग्रही अम्बाला की पुलीस चौकी के पास तंग किए और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वैयक्तिक रूप में जाने वाले १-२ सत्याग्रही भी पुलीस चौकी पर रोक लिए जाते हैं यद्यपि १ व्यक्ति पर १४४ दफा लागू नहीं होती। श्री चन्दगीराम जी ने २ उदाहरण दिए हैं। समिति से सम्बद्ध १ व्यक्ति प्राइवेट काम के लिए चण्डीगढ़ जा रहा था वह पुलीस स्टेशन पर रोक लिया गया। श्री बालक राम ब्रह्मचारी का भाई श्री ब्रह्मचारी जी से मिलने अम्बाला सेन्ट्रल जेल में गया। जेल सुपरि० ने उसे चण्डीगढ़ से गृह मन्त्री की आज्ञा लेने के लिए कहा। वह चण्डीगढ़ जा रहा था। पुलीस ने उसे पकड़ कर रात के १० बजे तक हवालात में रखा यद्यपि उसके पास जेल सुपरि० का पत्र था और उसे चण्डीगढ़ जाने की आज्ञा थी। पुलीस सुपरि० से एक डेपुटेशन भी मिला।

११-९-५७ की रात्रि को 'वीर अर्जुन और प्रताप' की प्रतियां रखने के अपराध में गिरफ्तार हुए सत्याग्रहियों में से ४० सत्याग्रही अम्बाला सेन्ट्रल जेल से मुक्त किए गए।

पञ्जाब हिन्दी रक्षा समिति के प्रमुख कार्यकर्ता श्री पन्ना लाल और निर्मल चंद की ४ अन्य सत्याग्रहियों के साथ जमानतें स्वीकृत हुई थीं। परन्तु उन्होंने ऐडीशनल सेशन जज अम्बाला द्वारा लगाई गई इस शर्त पर कि वे जमानत के काल में हिन्दी आँदोलन से सम्बद्ध किसी प्रदर्शन में भाग न लेंगे जमानत पर छूटनेसे इन्कार कर दिया। अम्बाला छावनी की पुलीस ने उन्हें १८८ धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था।

पञ्जाब सचिवालय के मुख्य मन्त्री श्री नकुल सेन ने पञ्जाब में राष्ट्रपति के शासन की सम्भावना का निषेध किया।

सिवानी ग्राम के श्री चन्द्रभान एम० एल० ए० को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। श्री दीनदयाल और माया राम की भी गिरफ्तारी हुई।

टाइम्स आफ इन्डिया के चण्डीगढ़ स्थित संवाद दाता ने लिखा है कि लोगों का यह विश्वास है कि जब तक किसी भी स्तर पर हिन्दी और पञ्जाबी की पढ़ाई पर से अनिवार्यता हटाने और जिला स्तर वा उससे नीचे के सरकारी काम काज में हिन्दी का बहिष्कार न करनेका सुनिश्चित आश्वासन प्राप्त न होगा तब तक हिंदी रक्षा आँदोलन स्थगित न होगा। आर्य समाज ने अपना तीसरा केन्द्र करनाल में खोल दिया है और सरदार प्रताप सिंह कैरों का आँदोलन के मन्द पड़ जाने का दावा तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता है।

सरकारी सूचना (चण्डीगढ़ १३ सितम्बर) के अनुसार लगभग ४००० सत्याग्रही जेल में रखे गए

जिनमें से अब लगभग ३३०० जेलों में हैं। ८० व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबंद किये जा चुके हैं।

आज पं० अमर नाथ विद्यालंकार शिक्षा मंत्री पञ्जाब राज्य ने कांग्रेस हाई कमान और पञ्जाब गवर्नमेन्ट को समझौता वार्त्ता भग होने की पूरी रिपोर्ट भेज दी।

श्री ओ३म् प्रकाश भजनोपदेशक को जिसे समिति के अध्यक्ष श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने चण्डीगढ़ बुलाया था अम्बाला के पास पुलीस चौकी पर रोक लिया गया और निवारक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर लिया।

अत्यधिक वर्षा होते हुए भी एक विशाल सार्वजनिक सभा में श्रीयुत ला० राम गोपाल जी मन्त्री सार्वदेशिक सभा को अध्यक्षता में सत्याग्रहियों के एक जत्थे को शामली में विदाई दी गई और ५००) की थैली भेंट दी गई।

पञ्जाब के मुख्य मन्त्री श्री सरदार प्रताप सिंह जी कैरों हरयाना राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने सोनीपत गए। वहां काले झडों से उनका स्वागत किया गया। बैलों के सींगों तक पर भी काला कपड़ा लपेटा गया था। इस प्रदर्शन पर पुलीस ने लाठी चार्ज किया जिसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हो गए जिनमें से २ की हालत चिंताजनक बताई जाती है। लाठी चार्ज के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए नगर में पूर्ण हड़ताल रही और नगर के प्रत्येक क्षेत्र में काले झंडे लगाए गए। सभा प्रारम्भ होते ही पुलीस ने हिन्दी रक्षा समिति के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं को बुलाकर थाने में बिठा लिया था। सभा में बहुत गड़ बड़ रही।

१४ सितम्बर—पञ्जाब सरकार ने सत्याग्रही जत्थों को चण्डीगढ़ न पहुंचने देने के लिए सोनीपत से लेकर अम्बाला तक सारी सड़कों पर पुलीस का जाल बिछा दिया है जिससे वे रास्तों में ही सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लें।

रेलगाड़ियों में यात्रियों से पूछताछ की जाने लगी है और बसों में कण्डक्टरों और ड्राइवरों से पूछा जाता है कि गाड़ी में कोई सत्याग्रही तो नहीं है। यदि गाड़ी में कोई सत्याग्रही मिल जाता है तो वह गिरफ्तार कर लिया जाता है। परन्तु इन सब रुकावटों के होते हुए भी सत्याग्रही चण्डीगढ़ पहुंच रहे हैं।

१३-९-५७ को सोनीपत में पुलीस द्वारा आहत हुए हिन्दी रक्षा आन्दोलन के २ समर्थकों को आधी रात के समय होश तो आगया था परन्तु वे चलने फिरने में असमर्थ हैं। तीसरे घायल की दशा का पता नहीं क्योंकि उसे सोनीपत से १० मील दूर उसके घर पहुँचा दिया गया था। बहुत से प्रदर्शनकारी जिनमें अधिकतर बच्चे हैं और जिन्हें पुलीस पकड़ कर ले गई थी रात के ११ बजे जङ्गल से पैदल लौटे। ज्ञात हुआ है पुलीस ने मार्ग में इन्हें बहुत पीटा।

पञ्जाब प्रदेश कांग्रेस के महा मन्त्री सरदार दरबारा सिंह ने एक वक्तव्य में कहा कि समस्या के हल के लिए मैं किसी भी प्रयत्न का स्वागत करूंगा यह भी कहा कि मैं डा० भार्गव के प्रयत्नों की सफलता चाहता हूँ।

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के उप प्रधान श्री प्रो० रामसिंह जी ने पञ्जाब के दौरे से लौटने के पश्चात् एक वक्तव्य में कहा है कि पञ्जाब सरकार हिंदी आँदोलन को कुचलने के लिए ओछे हथियारों पर तुल चुकी है। पंजाब के सभी ग्रामों में पुलीस चौकियां खोल दी गई हैं विशेषतः हरियाना के छोटे २ ग्रामों में भी भारी संख्या में पुलीस बिठा दी गई है।

पता लगा है कि फीरोजपुर जेल के जिन १२ सत्याग्रहियों को जस्टिस कपूर के सामने अपना बयान देना था उन्हें फीरोजपुर जेल से अम्बाला जेल में भेज दिया गया है। फीरोजपुर के एक आर्यसमाजी नेता को जिन्हें गवाही देनी थी नजरबन्द कर दिया गया है।

आज संसद के १५० सदस्यों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके पंजाब में हिन्दी आन्दोलन चलाने वालों से अपील की है कि वे आन्दोलन को व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए बन्द कर दें। वक्तव्य में सुझाव दिया गया है कि भाषा विवाद का निर्णय एक मात्र प्रधान मन्त्री नेहरू पर छोड़ दिया जाय। अपील में पञ्जाब सरकार से भी कहा गया है कि वह हिन्दी सत्याग्रहियों को छोड़ दे तथा उन पर लगे प्रतिबन्धों को भी हटा ले।

डिप्टी कमिश्नर जालन्धर ने पञ्जाब के आचार्य रामदेव जी, श्री कृष्णलाल तथा श्री बलवीर शर्मा को अपराधी घोषित किया है। यदि उन्होंने २ सप्ताह के भीतर आत्म समर्पण नहीं किया तो उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी। इन तीनों सज्जनों की निरोधक अधिनियम के अधीन तलाश है।

अमृतसर के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री धर्म-पाल जी बी० ए०. निरोधक कानून के अधीन गिर-फ्तार कर लिये गये हैं।

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त नागपुर से आज वायुयान से दिल्ली लौटे। नागपुर में उनका सार्वजनिक अभिनन्दन हुआ और ३१००) की थैली हिन्दी आन्दोलन की सहायतार्थ भेंट की गई।

श्री देवीदास आर्य पत्रकार के नेतृत्व में १५ सितम्बर को चण्डीगढ़ जाने के लिये ३१ सत्या-ग्रहियों का गोविंदनगर कानपुर में डा० शिवदयाल के सभापतित्व में स्वागत समारोह हुआ। जत्थे को ४०१) की थैली भेंट की गई।

२१ प्रमुख सिख नेताओं ने जिनमें गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष सरदार बसन्तसिंह और सरदार गजराजसिंह सम्मिलित हैं सिखों से विशेषतः अकालियों से अपील की है कि वे हिन्दी रक्षा समिति और सरकार के झगड़े के बीच में न आयें।

१५ सितम्बर—आज १४४ धारा भंग करने के अपराध में पञ्जाब में ५३ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। इनमें से २३ फाजिलका में और २० अमृतसर में चंडीगढ़ जाते हुए रोके गये। फाजिलका का जत्था श्री भगवानदास के नेतृत्व में आ रहा था। इनकी गिरफ्तारी के समय हजारों दर्शक उपस्थित थे। अमृतसर के ६ सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व श्री सत्यपाल कर रहे थे। १९ सत्याग्रहियों का जत्था इसके पूर्व चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। इन १९ का नेतृत्व श्री त्रिलोकनाथ जी कर रहे थे। अमृतसर हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री विश्व-नाथ गिरफ्तार किए गए।

लुधियाना में हिन्दी रक्षा समिति के मन्त्री श्रीकृष्ण थापर की गिरफ्तारी हुई।

३४ हिन्दी साहित्यिकों ने हिन्दी रक्षा समिति के हाई कमान से अपील की कि वे सत्याग्रह वापस ले लें। इसी प्रकार लोक सभा के लगभग १५० सदस्यों ने संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त एक अपील में सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति को प्रेरणा की कि वे बिना शर्त आन्दोलन बन्द कर दें और यह झगड़ा निर्णयार्थ श्री पं० नेहरू के सुपुर्द कर दिया जाय। समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम-सिंह जी गुप्त ने इस अपील के उत्तर में एक वक्तव्य तैयार किया है।

हिन्दी रक्षा समिति ने राज्य के हिन्दुओं से अपील की कि पञ्जाब सरकार की दमन नीति के विरोध स्वरूप इस वर्ष दशहरा का पर्व न मनाया जाय।

मोगा में ५ सत्याग्रही चंडीगढ़ जाते हुए गिर-फ्तार किए गए।

घनघोर वर्षा में भी १४-९-५७ को १६ सत्या-ग्रहियों ने सत्याग्रह किया। रोहतक में ८ ने। रोह-तक में १२१ सत्याग्रहियों को ४ से ६ मास तक सपरिश्रम कारागार का दण्ड दिया गया।

रोहतक में दुर्गा भवन में एक सभा में आग

जेते जाते हुए १५ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। दयानन्द मठ के ६ पहरेदार सत्याग्रही भी गिरफ्तार कर लिए गये। इनके अतिरिक्त ४ सत्याग्रहियों को शौच क्रिया करते समय पुलीस बलात् उठा कर ले गई।

गुड़गांव हिन्दी रक्षा समिति के उपाध्यक्ष श्री गुमानीराम जी आर्य ने एक प्रेस वक्तव्य में मास्टर तारासिंह जी के उस वक्तव्य की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने पञ्जाब में हिन्दू सिखों के मध्य तनाव का उत्तरदायी आर्यसमाज को बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों वर्गों के सम्बन्ध सदा अच्छे रहे हैं। इनको बिगाड़ने का दायित्व स्वयं श्री मास्टर जी पर है।

आर्यसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता में हिन्दी रक्षा समिति की स्थापना की गई। सदस्यगण धन जन संग्रह के काम में जुट गये हैं।

पञ्जाब के २४ प्रमुख हिन्दुओं और सिखों ने जिनमें संसत्सदस्य और विधान सभाई भी सम्मिलित हैं पञ्जाब की जनता से अपील की है कि वे भाषा समस्या के बारे में अपने मतभेद भूल जांय और प्रेम तथा आदर के साथ पञ्जाबी और हिन्दी दोनों सीखें। अपील में हिन्दू सिख एकता पर भी बल दिया गया।

सहारनपुर स्थित पञ्जाब हिन्दी रक्षा समिति का पता आर्यसमाज खाला पार सहारनपुर है और टेलीफून नं० ४२५ है।

पुलीस ने पञ्जाब विधानसभा के सदस्य चौ० चन्द्रभान ओवरे वाले को ग्राम भिवानी में निवारक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। इससे पूर्व ग्राम चहड़कलां में १४ सत्याग्रहियों को पुलीस ने रात्र के समय इसी धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया।

१६ सितम्बर—श्रीयुत यज्ञदत्त, श्री रामधारी (रोहतक) श्री बलवीर सिंह (करनाल) तथा श्री जगदीश मित्र (करनाल) को पेढवाइजरी बोर्ड (पंजाब हाई कोर्ट) द्वारा उनके आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिये जाने के कारण पंजाब सरकार ने मुक्त करने की आज्ञा दे दी है। इन्हें नजरबंदी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था।

पंजाब के विविध भागों में आज ९६ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

हिन्दी रक्षा समिति अम्बाला के २ प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओं श्री चमनलाल और वेदप्रकाश को १४४ धारा तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किया।

कैनाल रैस्ट हाउस के पास रोहतक में २८ सत्याग्रही रोके गए और गिरफ्तार किये गये जिनमें से १३ छोड़ दिये। इसके अतिरिक्त ग्राम कलानौर में १७, मदीना से १४ तथा खड़ाकर से १५ सत्याग्रही सत्याग्रह के लिए जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गये।

वीर अर्जुन और प्रताप रखने के अपराध में गिरफ्तार हुए १७ व्यक्ति फीरोजपुर में मुक्त कर दिये गये।

चंडीगढ़ में १६ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

लुधियाना में श्री वेदप्रकाश जैन समेत हिन्दी रक्षा आन्दोलन के ६ समर्थक १४४ धारा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार हुए। आर्यसमाज मन्दिर दाल बाजार में आयोजित एक सार्वजनिक सभा की समाप्ति पर सत्याग्रहियों को स्टेशन तक छोड़ आने के लिए लोग जलूस के रूप में जा रहे थे। जब वे चौक खास मंडी में पहुंचे तो पुलीस ने उपर्युक्त ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

श्रीयुत यू० एल० पाटील और श्री वी० आर० आसार लोक सभा के जनसंघ के सदस्यों ने संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करके कहा है कि हिन्दी और पञ्जाबी दोनों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। पञ्जाब की बिगड़ती हुई स्थिति के सुधार के लिए दोनों महानुभावों ने केन्द्र को हस्ताक्षेप करने और शीघ्र से शीघ्र गोलमेज सम्मेलन बुलाने की प्रेरणा की है। उन्होंने यह शिकायत की कि केन्द्र ने

निष्पक्ष रुख नहीं अपनाया। वक्तव्य में पंजाब भर में १४४ धारा लगाने, बहु अकबरपुर और फीरोजपुर कांड की निन्दा की गई और मास्टर तारासिंह जी के रवैये पर दुःख प्रकट किया गया।

सिटी आर्यसमाज अम्बाला के प्रधान श्री वेणी प्रसाद गुप्त एडवोकेट ने प्रधान मन्त्री पं० नेहरू को एक तार भेज कर पार्लियामेण्टरी दल की बैठक में हिन्दी आंदोलन के विरुद्ध उनके कटाक्षों का प्रतिवाद किया। तार में यह कहा गया है कि प्रधानमन्त्री महोदय झूठे प्रचार पर कान न दें और स्वयं पंजाब का भ्रमण करके वस्तु स्थि ति को अपने नेत्रों से देखें। आर्यसमाज का आन्दोलन राजनैतिक नहीं अपितु विशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अराजनैतिक है।

आज दिल्ली से रोहतक और चण्डीगढ़ के लिए जत्थे रवाना हुए। इन जत्थों में ग्वालियर, अलीगढ़, कासगंज तथा नरेला के जत्थे सम्मिलित हैं। कासगंज के जत्थे का नेतृत्व श्रीमती माता जगधात्री शर्मा कर रही हैं। नरेला का २१ सत्याग्रहियों का जत्था है। आर्यसमाज मन्दिर गोविन्द भवन देहली में पं० वाचस्पति शास्त्री की अध्यक्षता में इसका स्वागत हुआ। यह जत्था रोहतक गया। इसमें एक मुसलमान भी है। देश के सभी प्रान्तों से बहुसंख्या में जत्थे आ रहे हैं।

जनसंघी नेता राणा सुखबीरसिंह ने एक वक्तव्य में रहस्योद्घाटन किया है कि अब रोहतक के कलिंजे गाँव पर पुलीस की कृपा हुई है जहां लोगों को बुरी तरह डराया धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया तो उनका भी वही हाल होगा जो बहु अकबरपुर के गांव वालों का हुआ है।

पता लगा है कि रोहतक, करनाल और अम्बाला की जेलें सत्याग्रहियों से भर चुकी हैं और अब इन ३ नगरों में जो सत्याग्रही गिरफ्तार किये जाते हैं उन्हें गत कुछ दिनों से कपूरथला जेल में लाया जा रहा है। अब कपूरथला जेल भी भर गई है। अब विविध जेलों में सत्याग्रहियों की अदला बदली होने लगी है। अधिकांश नजरबन्द पटियाला, नाभा, फरीदकोट और धर्मशाला की जेलों में रखे गये।

१७ सितम्बर—जालन्धर पुलीस ने एक मजिस्ट्रेट की अदालत से हिन्दी रक्षा आन्दोलन के तीसरे डिक्टेटर आचार्य रामदेव जी की जायदाद कुर्क करने के वारंट प्राप्त किये तथा आर्यसमाज मन्दिर में छापा मार कर आचार्य जी का बिस्तर कुछ किताबें तथा बर्तन उठाकर ले गई।

अपने दैनिक 'प्रभात' में 'मेरी 'डिक्टेटरशिप' शीर्षक एक लेख में मास्टर तारासिंह ने लिखा कि पंजाब के हिन्दुओं का मुझ पर विश्वास नहीं है।

हिन्दी रक्षा समिति दिल्ली के कार्यालय में एक देवी ने हिन्दी आन्दोलन के लिये अपनी सोने की चूड़ियाँ दान में भेजी हैं परन्तु पत्र में अपना नाम नहीं दिया।

नरेला का दूसरा जत्था चौ० लायकराम बजीतपुरी लाठ जयनारायण आजाद, श्री देवीसिंह बांकानेर के नेतृत्व में चण्डीगढ़ के लिए रवाना हुआ।

तलवंडी (पंजाब) में आयोजित ग्रामीण सम्मेलन में भाषण करते हुए पंजाब राज्य के मन्त्री श्री राड़ेवाला ने हिन्दू सिख एकता पर बल दिया। सम्मेलन में १० हजार से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे।

आगरा आर्यसमाज का दूसरा जत्था १५ सितम्बर को चण्डीगढ़ के लिये रवाना हो गया।

अमृतसर में सत्याग्रह का तीसरा केन्द्र नियमित रूप से खुला ज्ञानचन्द रंगवाला के नेतृत्व में १९ सत्याग्रहियों ने १४४ धारा तोड़ी जिनमें से १२ गिरफ्तार कर लिए गये।

आज समस्त पञ्जाब में ६० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। रोहतक में १७ सत्याग्रही और चण्डीगढ़ में १० गिरफ्तार हुए।

१८ सितम्बर। आज रात श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त प्रधान सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति श्रीयुत डा० गोपीचन्द जी भार्गव के निमन्त्रण पर वार्त्ता के लिए चण्डीगढ़ के लिए रवाना हुए।

पटियाला और नाभा जेल के ११ नजर बन्द सत्याग्रही पंजाब हाई कोर्ट के ऐडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये चण्डीगढ़ लाये गये। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री ला० जगतनारायण लाल एम. एल. ए. (२) चौ० धर्मसिंह राठी एम. एल. ए. (३) श्री ला० लाजपतराय एम. एल. ए. (४) श्री प्रिंसिपल भगवान दास (५) श्री डा० लालचन्द (६) चौ० रामसिंह जी (७) ला० जगराम जी (८) दीवान रामशरणदास जी (९) श्रीमती विमलादेवी कोहली (१०) डा० भगवन्त राय (११) चौ० रामसिंह।

ये सब जास्टिस खोसला के समक्ष प्रस्तुत हुये। इन्होंने जो आवेदन पत्र दिया था बोर्ड ने उसका अध्ययन किया।

१४४ धारा का उलंघन करने के अपराध में आज पंजाब में ९३ गिरफ्तारियां हुई।

चण्डीगढ़ में १६ और रोहतक में १६ गिरफ्तार हुये। रोहतक में ५ छोड़ दिये गये और ११ हिरासत में ले लिये गये।

आर्यसमाज पंजाबो मुहल्ला अम्बाला छावनी में हुई मीटिंग के बाद हिन्दी आन्दोलन के ६ प्रसिद्ध समर्थक धारा १८८ के आधीन गिरफ्तार किये गये। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री मदनलाल (२) श्री जयभगवान (३) शंकरलाल जी शास्त्री (४) देवीचन्द जी (५) दयाल चन्द जी (६) कृष्णदेव जी।

आज अमृतसर में २८ व्यक्ति जिनमें ११ सत्याग्रहियों का एक जत्था जिसका नेतृत्व श्री बरकत राम महाजन कर रहे थे १८८ धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

अमृतसर के बाबा कर्मचन्द साहनी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने को श्री बी० डी० थापर डेप्यूट मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया। वे जेल भेज दिये गये। गिरफ्तारी से पूर्व बाबा महोदय ने सुरक्षा आधार पर अपनी गिरफ्तारी के विरोधस्वरूप आमरण अनशन की घोषणा की।

श्री ज्ञानी पिंडीदास ने जो २ दिन के पैरोल पर जमानत पर छूटे थे, अपनी जमानत सूख करा दी और नाभा जेल में भेजे जाने के लिए अपने को पुलिस के हवाले कर दिया।

श्री म० कृष्ण जी वीरेन्द्र जी तथा श्री आनन्द स्वामी जी जेल के इन्स्पेक्टर जनरल के आवश्यक आर्डर पर धर्म शाला जेल से पटियाला जेल में लाये गये। उन्हें १९ को चण्डीगढ़ में एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश होना है।

पं० आशुराम आर्य्य पुरोहित अम्बाला शहर में धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार किये गये। वे एक हिन्दी भाषा के दैनिक पत्र के सम्वाददाता भी हैं और गाड़े की आज्ञा से समाचार लेने पुलिस स्टेशन आये थे।

आज प्रातः दिल्ली का रेल्वे स्टेशन उस समय 'हिन्दी भाषा अमर रहे' 'पंजाब की भाषा हिन्दी है' के नारों से गूंज उठा जब पंजाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भाग लेने के लिये गुजरात, इन्दौर एवं हैदराबाद के १०० सत्याग्रहियों का दिल्ली की जनता ने भव्य स्वागत किया। गुजरात से आने वाला यह प्रथम जत्था था और बम्बई तथा इन्दौर से आने वाला दूसरा तथा तीसरा जत्था था। साहिबाबाद, दौलतपुर का एक जत्था श्री मूलचन्द के नेतृत्व में रोहतक के लिये रवाना हुआ। इस जत्थे में दिल्ली प्रदेश कम्यूनिस्ट दल के सक्रिय सदस्य सुभाषचन्द्र तथा चौ० स्वरूपसिंह भी है। उपर्युक्त जत्थों का दीवानहाल आर्यसमाज में स्वागत किया गया। गुजरात के जत्थे में एक मुसलमान भी है जिसका नाम अब्दुल मजीद है। जत्थों को ३॥ हजार की थैली भेंट की गई। इस अवसर पर एक सोने की चूड़ी जो एक महिला ने गुप्त दान में दी थी २०० में नीलाम की गई।

रोहतक के दयानन्द मठ पर पुलिस ने प्रातः ५ बजे आज तीसरी बार छापा मारा और लायकराम बाजीतपुरी, चौ० देवकराम प्रधान आर्य समाज टिटोली तथा ३ अन्यो को गिरफ्तार किया।

कहा जाता है संसत्सदस्य श्री प्रतापसिंह दौलताना ने १७-९-५७ को रोहतक जेल में जाकर बन्दी सत्याग्रहियों को क्षमा याचना करने के लिये बहकाया परन्तु पूरी तरह फटकार पाकर वापस लौटे बहु अकबरपुर के ४० अभियुक्तों को आज जमानत पर छोड़े जाने की आज्ञा हुई परन्तु उन्होंने जमानत पर छूटने से इन्कार कर दिया।

फीरोजपुर जेल में श्री जस्टिस ऐस० वी० कपूर की अदालत में हिन्दी सत्याग्रही गवाहों की गवाही हुई। इससे पूर्व जेल के ३८ गवाहों की गवाही हो चुकी है। समिति के पहले ८ सत्याग्रही कैदियों के नाम इस प्रकार हैं जिनकी गवाही हुई।

१—श्री डा० बलदेव प्रकाश एम० एल० ए०, श्री जगत् बन्धु स्वामी सत्यानन्द, श्री राजेन्द्र सूद, श्री स्वामी शिवानन्द, श्री वैद्य ओ३म् प्रकाश। समिति की ओर से श्री बी० बी० तवकली, श्री बा० पूर्णचन्द्र ऐडवोकेट, श्री भगवानदास सौंधी श्री सेठ राम गुप्त ऐडवोकेट पेश हुये।

१९ सितम्बर। हिन्दी रक्षा आन्दोलन के तीसरे डिक्टेटर श्री आचार्य रामदेव जी ने एक वक्तव्य प्रचारित करके कहा है कि सरकार हिन्दी रक्षा समिति की न्याय पूर्ण और उचित मांगों को स्वीकार न करके आन्दोलन को बदनाम करने की असफल चेष्टा कर रही है। उन्होंने हिन्दी आन्दोलन को विशुद्ध अहिंसात्मक बनाये रखने पर बल दिया है।

श्री म० कृष्ण जी, श्री वीरेन्द्र जी तथा श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी को पटियाला जेल भेजा गया है ताकि वे चण्डीगढ़ में ऐडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश हो सकें।

१७-९-५७ को ग्वालियर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए, श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त ने कहा कि देश और राष्ट्र की सेवा के लिये आर्य समाज बलिदान करने के लिये तय्यार है। आर्य समाज को मान और शान की तनिक चिन्ता नहीं है। आर्य समाज पर शासन चाहे कितना ही अत्याचार करे पर यह आन्दोलन तब-तक समाप्त न होगा जब तक यह समस्या सुलझेगी नहीं। मध्य भारतीय हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री डा० महावीरसिंह जी ने सभा के अन्त में कहा कि ग्वालियर की जनता इस आन्दोलन में पूर्ण सहयोग देने के लिये सदैव तत्पर हैं।

श्री गुप्त जी ने एक प्रेस सम्मेलन में ग्वालियर में कहा कि पुराने द्विभाषी मध्य प्रदेश और आज के द्विभाषी बम्बई राज्य में भाषा सम्बन्धी जो व्यवस्था थी और है वही आज के द्विभाषी पंजाब राज्य में समझौते के रूप में हो तो मुझे संतोष होगा।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने आज दो बार पंजाब के जेल तथा नियोजन मन्त्री डा० गोपीचन्द भार्गव से चण्डीगढ़ में उनकी कोठी पर भेंट की। यह भेंट डा० भार्गव के निमंत्रण पर ही हुई। डा० भार्गव ने दिल्ली टेलीफोन करके श्री गुप्तजी को वार्त्ता के लिये आमन्त्रित किया था।

चण्डीगढ़ में ट्रिब्यून के प्रतिनिधि के साथ हुई भेंट में एक प्रश्न के उत्तर में गुप्त जी ने कहा कि हिन्दी आन्दोलन से पंजाब का विभाजन हो जायगा जो ऐसा कहते हैं वे आर्य समाज को डराने का यत्न करते हैं परन्तु आर्य समाज इससे डरेगा नहीं। ऐसा कहने वाले अपने सामने कठिनाईयों का पर्वत खड़ा कर रहे हैं।

२० सत्याग्रही अमृतसर में गिरफ्तार किये गये। इनमें से ६ फगवाड़ा के थे जिनके नेता श्री तिलकराज थे, ६ लुधियाने के (नेता वंशीलाल) थे। इनमें ८ अंधे भी थे। ६ सत्याग्रही करनाल में गिरफ्तार हुए।

२० सितम्बर—आज करनाल केन्द्र का कार्य नियमित रूप से आरम्भ हुआ। पुलीस ने १४४धारा

तोड़ने पर ९ सत्याग्रहियों के एक जत्थे को गिरफ्तार किया ।

रोहतक में २४ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। आज श्री परमानन्द बाबा के नेतृत्व में ८ सत्याग्रहियों का एक जत्था करनाल के लिए रवाना हुआ। जत्थे को आशीर्वाद देकर जलूस के रूप में विदा किया गया।

विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि अस्वस्थता के कारण पञ्जाब सरकार म० कृष्ण जी को मुक्त करने पर विचार कर रही है।

पञ्जाब की भाषा समस्या के हल के लिए श्री भार्गव से जो मैत्री पूर्ण वार्त्ता हो रही है वह आज कुछ और आगे बढ़ी जबकि भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त पटियाला महाराज से मोती बाग महल में दोपहर बाद उनसे मिले श्री गुप्त इसके बाद सेन्ट्रल जेल में श्री म० कृष्ण, महात्मा आनन्द स्वामी जी, श्री वीरेन्द्र जी, श्री ला० जगत नारायण जी, श्री पं० श्रीराम जी आदि से मिले तथा उन्हें चण्डीगढ़ में हुई वार्त्ता से अवगत कराया। श्री गुप्त जी ने बताया कि श्री महाशय जी तथा समिति के नेताओं से मुझे पूर्ण स्वतन्त्ता से बातें करने का अवसर दिया गया तथा सी० आई० डी० विभाग के कर्मचारी उस वार्त्ता को नहीं सुन सके। श्री गुप्त जी पहले नेता हैं जिन्हें सरकार ने इस प्रकार वार्त्ता करने की छूट दी है।

लुधियाना में १४४ धारा का उल्लंघन करने के कारण पुलीस ने हिन्दी रक्षा समिति के ६ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया।

श्री धनराज थापर के नेतृत्व में चण्डीगढ़ जाने के लिए स्टेशन पर आया हुआ सत्याग्रहियों का १ जत्था लुधियाना गिरफ्तार किया। हिन्दी रक्षा समिति के मन्त्री श्री देवेन्द्र कुमार जैन गिरफ्तार हुए।

रोहतक में दयानन्द मठ पर पुलीस ने घेरा डाला हुआ है। मठ में रहने वालों को जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी हैं परेशान किया जा रहा है। वहां से भीतर भोजन नहीं जाने दिया जाता। हवन कुंड पर जूता सहित चढ़कर उसे भ्रष्ट किया जा रहा है। सार्व० भाषा स्वातन्त्र्य समिति के कार्यकर्त्ता प्रधान श्री पं० नरेन्द्र जी ने केन्द्रीय गृह मन्त्री, पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा जेल मंत्री का विशेष तारों के द्वारा इस स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करके उसे ठीक करने की प्रेरणा की।

आज पञ्जाब में ७८ सत्याग्रही १४४ धारा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किए गए।

१६ अमृतसर, ९ करनाल, २२ चंडीगढ़, ३१ रोहतक। रोहतक में १९ छोड़ दिए गए। श्री डा० हरि प्रकाश जी जो अम्बाला छावनी की हिंदी रक्षा समिति के प्रधान मन्त्री हैं, धारा ३ के अधीन नजर बंद किया गया। डा० महोदय स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री थे। हिन्दी आँदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था।

मुजफ्फर नगर में एक विशाल जलूस निकला जिसमें २० सहस्र लोगों ने भाग लिया। तत्पश्चात् एक विशाल सभा हुई जिसमें ५० हजार नर-नारी उपस्थित थे। सभा में हुतात्मा सुमेरसिंह के पिता भी थे। सभा में सार्वदेशिक सभा के महा मन्त्री श्री ला० राम गोपाल जी तथा पञ्जाब के विद्वान महोपदेशक श्री पं० शिव कुमार जी शास्त्री के भाषण हुए जिन्होंने पुराने कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री पं० शेर सिंह काश्यप के जत्थे को विदाई दी।

इलाहाबाद के हिंदी प्रेमियों ने प्रति सप्ताह १ जत्था चण्डीगढ़ भेजने का निश्चय किया है।

इलाहाबाद, कानपुर, गूना कौसीकलां तथा राजस्थान के जत्थे सत्याग्रह में जाने के लिए देहली आए।

# फिरोजपुर जेल में बर्बरता का भीषण नंगा नृत्य

## पंजाब में बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की दया पर

### श्री नेहरू की हिन्दू विरोधी नीति का भण्डाफोड़

(श्री अलगूराय शास्त्री की रिपोर्ट)

नई दिल्ली, २६ सितम्बर। फिरोजपुर जेल में २४ अगस्त को निरीह हिंदी सत्याग्रहियों पर जो निर्दयतापूर्ण और निर्मम लाठी चार्ज हुआ उसकी जांच के लिए संसदीय कांग्रेस दल के महा मन्त्री श्री अलगूराय जी शास्त्री २७ अगस्त को फिरोजपुर पहुंचे थे। उन्होंने लौट कर प्रधान मन्त्री को जो रोमांचकारी प्रतिवेदन दिया वह नीचे दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि किस प्रकार नेहरू जी की नीति हिंदुओं के लिए घातक है और किस प्रकार उनकी हिन्दू विरोधी नीति का दुरुपयोग करके पंजाब सरकार के अधिकारी हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे हैं।

श्री शास्त्री ने नेहरू जी से बार-बार अनुरोध किया कि वह स्वयं फिरोजपुर जेल में जाकर पीड़ितों को ढाढस दें परन्तु ओमान में अरब मुसलमानों पर बम वर्षा से दुखी होने वाले नेहरू का दिल सुमेरसिंह की हत्या और सत्याग्रह की चीत्कारों पर न पसीजा।

श्री शास्त्री जी ने नेहरू जी को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह नीचे दिया जा रहा है।

पूज्य पंडित जी,

वन्दे।

मैं आपको यह लिखकर कष्ट दे रहा हूँ। २४-८-१९५७ को फिरोजपुर केन्द्रीय कारावास में जो दुर्घटना हुई उसके रोमांचकारी समाचार मेरे पास सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से पहुंचे। मैंने घटनास्थल पर जाने की स्वीकृति उन्हें दे दी। तदनुसार मैं २७-८-५७को वहां रहा और कल प्रातः यहां आया हूँ।

इस यात्रा में फिरोजपुर के वातावरण को देखा और उसका जो प्रभाव मेरे मन पर है, आपकी सेवा में वह रखना चाहता हूँ।—

(१) हिन्दी सत्याग्रहियों को सिख रीजन की जेलों में एकत्रित रखना बुद्धिमता नहीं है। जेल के कैदियों में जो अधिकांश सिख हैं इन हिंदी वालों के लिए भारी घृणा है। इससे कहीं भी, किसी समय भी संघर्ष की आग भड़क सकती है। दोष इन अपराधियों का होगा, बदनाम सरकार होगी और कांग्रेस संगठन।

(२) फिरोजपुर में जिस निर्दयता, निष्ठुरता, निर्ममता से हिन्दी सत्याग्रहियों को जेल के कैदियों की लाठियों से पिटवा कर उनकी हड्डियां तुड़वायी गई हैं, उसे देखकर आप तो अवश्य ही विचलित हो उठेंगे। विश्वास कीजिए, मैंने कल्पना भी न की थी कि यह दृश्य देखूंगा। बूढ़े सन्यासी, बूढ़े लोग, बच्चे और कुछ हट्टे कट्टे भी जो सब ३१२ हैं, इस प्रकार मारे गये हैं कि यदि उस प्रकार भैंसा गाड़ी हांकने वाला, कूड़ा ले जाने वाला भंगी शहर में अपने भैंसे को पीटता दिखाई पड़े तो उसका चालान पुलीस क्रूएल्टी टु एनीमल एक्ट में किए बिना नहीं रह सकती। पंडित जी. मेरी आंखों में से आंसू ही बहते रहे जब तक मैं उन सत्याग्रही बन्दियों में घूमता रहा।

(३) सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बताया कि कोई भी तनाव किसी प्रकार का घटना से पूर्व उन्हें ज्ञात न था। ५७४ सत्याग्रहियों में से ३१२ को इस प्रकार पीटकर उनकी हड्डियों को तोड़ देना १०-१५ मिनट के समय में एक आश्चर्य ही लगता है। जेल के पुराने अपराधियों की सहायता से यह सब हुआ

उस दिन डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर थे। उस दिन जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट छुट्टी पर थे। घटना घट जाने के बाद एलार्म के परिणाम स्वरूप सब बाद में आये और जो कुछ हो गया था, उसकी रोमांचकारिता पर बहुत खिन्न हुए।

(४) जेल में एक अपराध के लिए जो लोग बंद हैं उन्हें इस प्रकार पीटा जाय, यह बर्बरता का एक भीषण नंगा नृत्य है। इस आंदोलन में साम्प्रदायिक रंग आ जाने के कारण तथा वैसे भी भाषा के प्रश्न को लेकर एक विवाद खड़ा कर देने वालों के सम्बन्ध में आपके मन में जो खेद और क्षोभ है, उसे सब जानते हैं।

आपके शब्दों का आदर इस सत्याग्रह के संचालकों ने नहीं किया, यह भी सबको विदित है और इस कारण इन लोगों पर कुछ ज्यादती की जाय तो उससे कुछ हानि सम्भव नहीं है। यह भावना भी कुछ सरकारी क्षेत्रों में कार्य करती है। साम्प्रदायिकता के नाम पर अहिन्दू खूब लाभ उठाते हैं। हिन्दू की वाणी बन्द है। वह खुले तो आपकी फटकार पड़ने का भय रहता है।

(५) आज पंजाब में हिन्दुओं की दुर्गति हो रही है। भारी अल्पसंख्यकों की दया पर बहुसंख्यकों को छोड़ दिया गया है। सिख-हिंदू तनाव बढ़ता जारहा है। इस तनावका परिणामहै फिरोजपुर केन्द्रीय कारावास में हिंदू सत्याग्रहियों का इस प्रकार दुश्चरित्र दण्डित अपराधी सिखों के द्वारा पिटवाया जाना। सिख सत्याग्रही भी पीटे गये, इसलिए कि वह हिन्दी वालों का साथ दे रहे हैं। "पढ़ो हिन्दी, पढ़ो हिन्दी" कह कर सत्याग्रहियों को पीटा गया।

(६) आपकी सर्वोच्च सत्ता में बन्दी निरीह पिटें इससे आपका यश और तप क्षीण होता है—तब समस्त राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति घटती है। पंडित जी! जेल देखिये अवश्य जाइये—स्वयं जाइये, कांग्रेस तथा कांग्रेसी सरकारों की मर्यादा और यश की रक्षा कीजिये, पीटे गये सत्याग्रहियों की क्षतिपूर्ति का आदेश कीजिए। आपका जाना उनके आंसू पोंछ देगा। बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा अनाचार। विश्वास करें, कुछ जेल अधिकारियों को मुअत्तल कर देने तथा जूडीशियल इन्क्वायरी बैठा देने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, परन्तु आपको स्वयं इस नृशंसता को देख लेना चाहिए। न जा सके तो पंत जी को भेजिए, गुरुमुखसिंह मुसाफिर को स्वयं जाना चाहिए।

(७) संक्षेप में मेरी सम्मति यह है:—

(१) फिरोजपुर सत्याग्रही कैम्प जेल हिन्दी क्षेत्र में हटाया जाय, (२) कोई हिन्दी सत्याग्रही सिख रीजन के जेल में न रखा जाय, (३) २४-८-५७ को फिरोजपुर केन्द्रीय कारावास के कैम्प जेल में पीटे गये हिंदी सत्याग्रहियों की क्षति-पूर्ति की जाय। (४) आप स्वयं उक्त जेल का निरीक्षण करें! (५) आक्रमणकारी एवं आक्रमण कराने वाले लोगों को कठोर दण्ड दिया जाय।

यदि आप चाहेंगे तो आपकी सेवा में उपस्थित होकर जुबानी भी जो कुछ पूछेंगे बताऊंगा—परन्तु आपका बहुमूल्य समय मुलाकात में लेना तभी ठीक समझता हूँ जब आप बुलाकर पूछना चाहें, नहीं तो लिख कर अपने विचार आपकी सेवा में भेज देना ही मुझे उपयुक्त प्रतीत होता है। उक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों की ओर से दिया गया विवरण में आपकी सेवा में भेज रहा हूँ।

धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ।

आपका सर्वथा विश्वसनीय

अलगूराय शास्त्री

पुनश्च: स्वामी परमानन्द को जेल से हटा दिया जाय'

# पंजाब की भाषा समस्या और आर्यसमाज

[ श्रीयुत घनश्याम सिंह जी गुप्त ]

## आर्य समाज

आर्यसमाज का उद्देश्य क्या है इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है क्योंकि आर्यसमाज की प्रगतियां निरन्तर खुली पुस्तक के समान देश वासियों के सामने रही हैं । आर्यसमाज एक धार्मिक संस्था है जो लोकोपकार समाज-सुधार और शिक्षा प्रसार का भी कार्य करता है । यह राजनैतिक संस्था नहीं है, और न इसकी कोई राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा ही है । इसने कभी भी अपने लिए राजनैतिक अधिकारों वा सुविधाओं की मांग नहीं की और न अब करता है ।

परन्तु यह मानना होगा कि आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षिदयानन्द ने और उनके पश्चात् आर्य समाज ने किसी भी स्वराज्य आन्दोलन की सफलता के लिए अपेक्षित भूमि लगभग पूर्णरूप से तैयार कर दी थी । उदाहरणार्थ आर्यसमाज ने अस्पृश्यता और जात पांत के निवारण के लिए संघर्ष किया और राष्ट्रीय तथा स्त्री शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया । आर्यसमाज ने सहस्रों वार अपने मंच से इस बात की शिक्षा दी कि विदेशीय शासन चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वराज्य का विकल्प नहीं हो सकता चाहे वह बुरा ही क्यों न हो । आर्यसमाज ने यह सब कुछ कांग्रेस के जन्म से पूर्व ही कर दिया था ।

## आर्य समाज और हिन्दी

जिस प्रकार आर्यसमाज ने अन्य क्षेत्रों में जनता को मार्ग दिखाया है उसी प्रकार आर्य समाज ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति के लिए भी जनता का मार्ग प्रदर्शन किया है । महर्षि दयानन्द जन्म से गुजराती थे फिर भी उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ की रचना हिन्दी भाषा में की ।

महर्षि दयानन्द ही पहले महानुभाव थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि हिन्दी ही देश की राष्ट्र भाषा बनने योग्य है । उन्होंने हिन्दी को आर्य भाषा की संज्ञा प्रदान की । आर्य समाजके सदस्य के लिए हिन्दी न केवल राष्ट्र-भाषा ही है अपितु संस्कृत के बाद दूसरे नम्बर पर उसके धर्म और संस्कृति की भाषा भी है ।

## पंजाब में भाषा की स्थिति

विभाजन से पूर्व पंजाब में शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उर्दू और अंग्रेजी का प्राधान्य था । उससमय भी आर्यसमाज ने हिंदी को अपनाकर अपनी विविध मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी को प्रविष्ट किया । इसके अतिरिक्त आर्यसमाज ने अनेक गुरुकुल स्थापित किये जिनमें कालेजविभाग तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहा यद्यपि ऐसा करने से वे सरकारी मान्यता और सहायता से वंचित रहे । आज हम उन कठिनाइयों तथा त्याग का अनुमान सुगमता से नहीं लगा सकते जिनमें से हिन्दी के पक्ष का पोषण करने के लिये आर्यसमाज को गुजरना पड़ा था । इसके

पश्चात् अन्य हिंदुओंकी कतिपयशिक्षा संस्थाओं ने आर्यसमाज द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया। इस प्रकार पंजाब प्रान्त के शैक्षणिक जीवन में हिन्दी को सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ।

हिंदी की लिपि निरन्तर देवनागरी रही जब कि पंजाबी भाषा गुरुमुखी, फारसी और हिंदी इन तीन लिपियों में लिखी जाती थी। पंजाब विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में जिनमें बुद्धिमान्, विद्वान् और ज्ञानी परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं, ये तीनों लिपियां मान्य रहीं।

पंजाबीकी तुलना में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में हिंदी की सापेक्ष मांग और लोकप्रियता निम्नांकित आंकड़ोंसे सुस्पष्ट है:—

जालंधर डिवीजन में ९७·२ प्रतिशत लोगों की बोलचालकी भाषा पंजाबी है परन्तु १९५० से १९५५ तक ५ वर्ष में विश्व विद्यालय पंजाब की हिंदी एवं पंजाबी भाषा की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः ६२·२ और ३७.८ रहा।

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि १९५१ से १९५५ तक पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले १०३७५८ छात्रों में से जिन्हें इतिहास और भूगोल के पर्चे हिंदी या पंजाबी किसी एक भाषा में हल करने की छूट प्राप्त थी ७३·५ ने हिंदी को और केवल २६·५ ने पंजाबी को चुना।

## हिंदी और पंजाबी बोलचाल तथा लिखने पढ़ने की भाषा

बोलचाल और लिखने पढ़ने की भाषाओं के रूप में हिंदी और पंजाबी के सम्बन्ध में जनता में बहुत भ्रम फैला हुआ है। बहुत से समझदार लोगों के हृदयों पर भी यह भ्रम छाया हुआ है। साधारणतया वे प्रश्न करते हैं 'जब बंगाल में बंगाली और गुजरातमें गुजराती प्रचलित है तब पंजाबमें पंजाबी क्योंन प्रचलित हो? मैं इस स्थिति को स्पष्ट किये देता हूं।

पंजाब की भाषा समस्या की बंगाल में बंगाली और गुजरात में गुजराती के साथ तुलना नहीं की जा सकती। देहली या उसके आस पास हिंदी और उर्दू की स्थिति से हिंदी और पंजाबी की स्थिति कुछ मिलती-जुलती है, देहली तथा उसके आस पास के लोगों की घरों, बाजारों और सड़कों की बोल चाल की भाषा एक जैसी है। परन्तु जब हम बोलचाल की भाषा के क्षेत्र से निकल कर लिखित भाषा के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं तो भेद प्रारम्भ हो जाता है और ज्यों २ हम आगे बढ़ते हैं त्यों २ कोण की दो भुजाओं के समान यह भेद बढ़ता जाता है। उस क्षेत्र में देहली के सामान्य हिंदू की भाषा हिन्दी और मुसलमान की भाषा उर्दू हो जाती है। अतः हिंदू अपने बच्चों को हिंदी के स्कूल में और मुसलमान उर्दू के स्कूल में भेजेगा यद्यपि दोनों की बोलचाल की भाषा एक ही है। बाजार में, सड़क पर और घर में दोनों की बोलचाल की भाषा में कोई खास भेद नहीं होता परन्तु यह भेद स्कूल की प्राइमरी कक्षा से ही स्पष्ट होकर बढ़ता रहता है।

हिन्दी स्कूल में भूगोल के प्रारंभिक पाठ में दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होंगे जबकि उर्दू स्कूल में शुमाल,जनूब, मशरिक, और मग़रिब होंगे। ज्यामितिमें हिन्दी स्कूल में कोण और उर्दू में ज़ाविया, हिन्दी में द्वीप और उर्दू में जज़ीरा, हिन्दी में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज और उर्दू में 'मुसल्लस मसावी

उस साकीन कायमुज्जाविया' कहलायेंगे। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, बंगाल और गुजरात में बोलचाल और साहित्य की भाषा में कोई अन्तर नहीं है अतः वहां बोल-चाल और लिखने पढ़ने की भाषामें संघर्ष की समस्या उत्पन्न नहीं होती। परन्तु पंजाब में यह बात नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बोल-चाल की भाषा जिले २ में बदल जाती है। यह भी उल्लेखनीय बात है कि पंजाबी क्षेत्र में यद्यपि सब की बोलचाल की भाषा पंजाबी है परन्तु लिखने में गैर सिख हिन्दुओं के द्वारा इस भाषा में विचार व्यक्त नहीं किये जाते यहां तक कि सार्वजनिक सभाओं में भी पंजाबी भाषा का प्रयोग नहीं होता।

एक और महत्वपूर्ण बात विचारणीय है। पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र में जिसको हरियाना कहते हैं और जिसमें रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव और अम्बाला के जिले हैं ५ प्रतिशतक से अधिक लोग बोलचाल में भी पंजाबी भाषा का प्रयोग नहीं करते। शेष ९५ प्रतिशतक हिन्दी बोली बोलते हैं।

## सच्चर ज्ञानी फार्मूला

सच्चर ज्ञानी फार्मूला जो साधारणतया 'सच्चर फार्मूला' कहलाता है परिशिष्ट ( अ ) में दिया गया है। इस फार्मूले का सबसे अधिक आपत्ति जनक भाग वह है जो हरियाना तथा हिन्दी क्षेत्र के अन्य भागों के सभी विद्यार्थियों के लिये गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी के अध्ययन को अनिवार्य ठहराता है। अन्य भी कई आपत्ति जनक बातें हैं परन्तु मैं इस छोटे से ट्रैक्ट में विस्तार के भय से उनका उल्लेख न करूंगा। इस फार्मूले की उत्पत्ति का इतिहास काला है। मेरी सूचना यह है कि कांग्रेस असम्बली पार्टी में श्री भीमसेन सच्चर और श्री गोपीचन्द भार्गव के मध्य संघर्ष था और दोनों की शक्ति लगभग बराबर थी। ज्ञानी करतारसिंह के हाथ में तराजू थी। दोनों (श्री भीमसेन सच्चर तथा श्री गोपीचन्द भार्गव) ने उन पर डोरे डाले। ज्ञानी करतारसिंह जी ने अपना काम बड़ी चालाकी से निकाल और दोनों से अलग २ मिलकर तथा अपनी सहायता का विश्वास देकर दोनों को सच्चर फार्मूले को स्वीकार करने के लिये राजी कर लिया। सत्य यह है कि यद्यपि इस फार्मूले का नाम सच्चर फार्मूला है तथापि ज्ञानी करतारसिंह जी इसके जन्मदाता हैं।

पंजाब विशेषतः हरयाना के हिन्दुओं ने इस फार्मूले को कभी नहीं माना। इसके विरोध में समाचार पत्रों में लेख छपे, विरोध सभाएं हुई और हजारों लोगों के हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र भेजे गये। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं कारणों से यह फार्मूला न तो विधान सभा में लाया गया और न कांग्रेस विधान सभायी दल के समक्ष ही रखा गया। इस फार्मूले पर पंजाब के मन्त्री मण्डल में भी विचार नहीं हुआ। इस प्रकार यह न्यूनाधिक रूप में प्रशासनिक योजना थी जिसे लागू करने के लिये इधर उधर से प्रयत्न किये जाते रहे।

२९ अगस्त १९५५ को पंजाब के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्रीयुत भीमसेन सच्चर ने पंजाब की भाषा समस्या और सच्चर फार्मूले के

सम्बन्ध में चण्डीगढ़ सचिवालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया था :—

"वे ( राज्य सरकार ) विविध क्षेत्रों से सूचनाएं एकत्र करने में लगे हैं और ज्यों ही पूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जायेंगी वे विधान सभा के सामने एक बिल प्रस्तुत करेंगे।

"इस समय तक उन्होंने ( राज्य सरकार ने ) इन विषयों में कोई निश्चय नहो किया है क्योंकि इस विषय में अभी तक कई बातें विचारणीय हैं।

'न्यायालयों की भाषा के प्रश्न का निर्णय हाईकोर्ट के परामर्श से होना है।

"कौंसिल और विधान सभा के अध्यक्षों के परामर्श से विधान सभा की भाषा नियत की जानी है। सचिवालयों और विभागों के अध्यक्षों के कार्यालयों में किस भाषा में काम हुआ करेगा इसका भी अन्तिम निर्णय होना है।"

"वे (राज्य सरकार) समस्या की गहरी छानबीन कर रहे हैं और अन्त में उन्हें आवश्यक बिलों को पास कराने के लिये विधान सभा मे जाना होगा।"

'इस प्रश्न का निर्णय भाषा आयोग भी करेगा और विधान सभा को आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार करने की छूट होगी।"

भाषा का प्रश्न विधान सभा के सामने कब रखा जायगा इस विषय में सच्चर महोदय निश्चित समय का संकेत न कर सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सच्चर फार्मूले की कोई कानूनी या वैधानिक स्थिति नहीं है।

**पेप्सू व्यवस्था**

इस व्यवस्था के द्वारा संभवतः उन कुछ वस्तुओं को बनाये रखा गया है जो पेप्सू के पुराने शासन में प्रचलित थीं। इस व्यवस्था की एक अत्यन्त आपत्ति जनक बात यह है कि इसमें बच्चे के माता पिता या अभिभावक को प्राइमरी विभाग में भी उसकी शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार नहीं है। पेप्सू के बहुत बड़े भाग में बच्चे को अपनी शिक्षा पंजाबी में प्रारम्भ करनी होती है चाहे उसके माता पिता की इच्छा हिन्दी पढ़ाने की ही हो, और चाहे स्कूल में उनकी संख्या पर्याप्त भी हो ( अर्थात् क्लास में १० और स्कूल में ४० से अधिक हो )।

संक्षेप में वहां हिन्दी पर बहुत बड़ा प्रतिबन्ध है।

**दो क्षेत्र—हिन्दी और पंजाबी**

पुनर्निमित पंजाब द्विभाषी राज्य है जिसकी भाषाएं हिन्दी और पंजाबी नियत की गई है। द्विभाषी राज्य से क्या अभिप्राय है और उसकी पूर्ति के लिये क्या शर्तें हैं उसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के ७२ वें पैरे में जिससे अच्छा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कहा गया है :—

"जिस राज्य में समस्त आबादी का ७० प्रतिशत वा उससे अधिक भाग एक भाषा भाषी हो केवल वह राज्य ही एक भाषा भाषी राज्य स्वीकार किया जाना चाहिये, और जिस राज्य में समस्त आबादी का ३० प्रतिशत वा उससे अधिक भाग अल्प संख्यकों का हो वह द्विभाषी माना जाना चाहिये।।"

पुनर्निमित पंजाब में हिन्दी और पंजाबी भाषा भाषी समुदायों का प्रतिशत क्रमशः

६६ और ३४ है। इस पुनर्निर्माण के कारण पंजाब द्विभाषी राज्य उद्घोषित किया गया है "संविधान संशोधन ऐक्ट "सं० ७" द्वारा संशोधित संविधान की धारा ३७१ के अधीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार पंजाब के २ क्षेत्र अभी कुछ दिन हुये निर्धारित हुये हैं। पंजाबी क्षेत्र मे होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फीरोजपुर, अमृतसर, गुरुदासपुर, पटियाला, भटिंडा, कपूरथला और संगरूर तथा अम्बाला जिलों के कुछ भाग रखे हुये हैं। हिन्दी क्षेत्र में शिमला, कांगड़ा, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल. महेन्द्रगढ़, कोहिस्तान और अम्बाला तथा संगरूर जिलों के कुछ भाग सम्मिलित किये गये हैं। इन दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

## पंजाब की जनसंख्या के आंकड़े

### हिन्दी क्षेत्र

| | जिला | कुल जनसंख्या | भाषा हिन्दी समुदाय की जनसंख्या | पंजाबी भाषा समुदाय की जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| १. | शिमला | ४६१५० | ३८७३३ | ७४१७ |
| २. | कांगड़ा | ९२६४७७ | ९०८०७६ | १८४०१ |
| ३. | हिसार | १०४५६४५ | ९६५२५१ | ८०३९४ |
| ४. | रोहतक | ११२२०४६ | १११४१३९ | ७६०७ |
| ५. | गुड़गांव | ९६७६६४ | ९६१३५४ | ६३१० |
| ६. | करनाल | १०७९३७९ | ९८२९२१ | ९३४५८ |
| ७. | महेन्द्रगढ़ | ४४३०७४ | ४४०४५६ | २६१५ |
| ८. | कोहिस्तान | १४७४०३ | १३४१९७ | १३२०६ |
| ९. | अम्बाला की तीन तहसीलें | २६७८४७<br>२१०३७२<br>१२२९०६ | ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए | |
| १०. | संगरूर की दो तहसीलें | १६९६४४<br>१६९९८५ | " | " |

### पंजाबी क्षेत्र

| | जिला | जनसंख्या | भाषा हिन्दी भाषी वर्ग की संख्या | पंजाबी भाषा भाषी वर्ग की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १. | होशियारपुर | १०८५६२४ | ८०१३०४ | २८४३२० |
| २. | जालंधर | १००८७६६ | ४३९२७९ | ५६९४८७ |
| ३. | लुधियाना | ८०६७७९ | ३०९३६० | ४९७४११ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४. फीरोजपुर | १३०८२३७ | ५२८२१३ | ७८००२४ |
| ५. अमृतसर | १२७०३२० | ३७३०११ | ८९७३०९ |
| ६. गुरुदासपुर | ७६१७८२ | ४०७१०१ | ३५४६८१ |
| ७. पटियाला | ५२४२६६ | २७७३३४ | २४६९३५ |
| ८. फ़तेहगढ़ साहब | २३७३९७ | ८२६८३ | १५४७१४ |
| ९. भटिंडा | ६६६८०६ | १४५७६४ | ५२१०४५ |
| १०. कपूरथला | २९५०७१ | १०७५०३ | १८७५६८ |
| ११. अम्बाला की २ तहसीलें | | | |
| (१) रोपड़ | १३९२०२ | आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। | |
| (२) खरड़ (भाग) | १७३४०७ | | |
| १२. संगरूर | | | |
| (१) करनाल | ५३६७२८ | १५५९१७ | ३८०८११ |
| (२) संगरूर | १२७२११ | आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। | |
| (३) सुनाम | १७६०९४ | | |

पिछले पैरों में दिए हुए कारणोंसे मैं सिख आबादी को पंजाबी भाषा भाषी और गैरसिख हिन्दू आबादीको हिन्दी भाषा भाषी मानता हूं।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी क्षेत्रमें ९६ प्रतिशत लोग हिन्दी और ४ प्रतिशत से कम पंजाबी भाषा भाषी वर्ग में आते हैं जबकि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा भाषी वर्ग की संख्या ५५ प्रतिशत के लगभग और हिन्दी भाषा भाषी वर्ग की ४४ प्रतिशत के लगभग हैं।

यह भी उल्लेखनीय बात है कि हिंदी क्षेत्र में एक भी जिला नहीं है जहां पंजाबी भाषा भाषी लोगों की संख्या विशेष उल्लेखनीय हो। विपरीत इसके पंजाबी क्षेत्रमें भटिण्डा को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों की संख्या ३०प्रतिशतसे अधिक है। होशियार-पुर जिले में तो कुल आबादी का ७२ प्रतिशत से अधिक भाग हिंदी भाषा भाषी है।

इस प्रकार हिंदी क्षेत्र को विशुद्ध एक भाषा भाषी कह सकते हैं। परन्तु पंजाबी क्षेत्र को ऐसा नहीं कह सकते। यह क्षेत्र निश्चित रूप से द्विभाषी क्षेत्र है। जनसंख्या पर आधारित क्षेत्रों के निर्माण के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है।

**क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा**

क्षेत्रीय योजना के सम्बन्ध में सुविज्ञ लोगों के मन में भी कुछ भ्रांति व्याप्त है। (देखें परिशिष्ट ब) इस योजना की रूप रेखा ३ अप्रैल १९५६ को लोकसभा के पटल पर रखी गई थी और यह केवल एकमात्र रूपरेखा ही थी। जब कोई वस्तु सदन के पटल पर रखी जाती है तो स्वभावतः सदस्यगण उसको अंकित करके बहस में उसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए 'भूमि सुधार' वा 'स्वामित्व

अधिकार उन्मूलन' के बिलों पर किसान संघ वा स्वामित्व अधिकार संघ अपनी आलोचनाएं भेजें और वे प्रवर समिति को दी जायें या सदन के पटल पर रख दी जांय तो बहस के समय सदस्य गण उनका उल्लेख कर सकते हैं और प्रायः उल्लेख करते भी हैं। परन्तु इस प्रकार के उल्लेख से उन आलोचनाओं को कानूनी वा संवैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। क्षेत्रीय योजना की रूप रेखा के सम्बन्ध में ठीक यही हुआ है। जब मैं ने कुछ लोगों को, जिन्हे सुविज्ञ समझा जाता है, यह कहते सुना कि क्षेत्रीय योजना लोकसभा द्वारा स्वीकृत है तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने लोक सभा की बहस ( परिशिष्ट स ) को पढ़ा। पढ़ने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में क्षेत्रीय योजना न केवल लोक सभा द्वारा पास ही नहीं हुई,अपितु इस योजना को संविधान बिल(नौवां संशोधन) में सम्मिलित करने विषयक श्री ठाकुरदास भार्गव और सरदार बहादुरसिंह के प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिये गये। अतः इस क्षेत्रीय योजना को कानूनी वा वैधानिक रूप कदापि प्राप्त नहीं है।

परन्तु आर्यसमाज का सत्याग्रह इस सम्पूर्ण योजना के विरुद्ध नहीं है। आर्यसमाज का आन्दोलन तो इस योजना की दो विशेष कंडिकाओं तक ही सीमित है जो सच्चर फार्मूले को नवजीवन प्रदान करना चाहती है। आपत्तिजनक धाराएं ६ और १० हैं जो इस प्रकार हैं :—

(६) वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला लागू रहेगा और उस क्षेत्र में, जो वर्तमान पेप्सू राज्य है, वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि बाद में पारस्परिक समझौते से उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा वह बदल नहीं दी जाती।

(१०) जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।

लोक सभा, राज्य सभा या पंजाब की विधान सभा में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय योजना की इस रूप रेखा को वैधानिक स्थिति प्राप्त हुई हो। संविधान की धारा ३७१ के अनुसार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। धारा ३७१ इस प्रकार है :—

"इस संविधान में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए भी, राष्ट्रपति अपने आदेश से आन्ध्रप्रदेश वा पंजाब राज्य के लिये विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के संगठन और कार्यक्रम की, गवर्नमेंट की कार्य व्यवस्था के नियमों में सुधारों की, राज्य की विधानसभा की कार्य प्रणाली की, और क्षेत्रीय कमेटियों के सम्यक् संचालन के लिए गवर्नर की विशेष उत्तरदायिता की, व्यवस्था कर सकते हैं।"

इस प्रकार हमने सच्चर फार्मूला, पेप्सू व्यवस्था और क्षेत्रीय योजना की वास्तविक स्थिति जान ली है। अभी कुछ दिन हुए राष्ट्रपति ने अपने आदेश से पंजाब को २ क्षेत्रों में विभाजित किया है जिनका ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। राष्ट्रपति महोदय संविधान की धारा के अनुसार अपनी आज्ञा से आगे जो करने की कृपा कर सकते हैं वह यह है कि वे 'राज्य की विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के संगठन और कार्यों की भी व्यवस्था कर दें। राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार जो कार्य सर्वोत्तम सूझ पड़े उसके करने में वे पूर्णतः स्वतन्त्र हैं। मुझे आशा है कि हिंदी

आंदोलन, क्षेत्रीय योजना विषयक जनता की भावनाओं की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करने का काम कर सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि कानून और संविधान की दृष्टि से क्षेत्रीय योजना का कोई अस्तित्व नही है।

उसका अस्तित्व एक मात्र प्रारूप वा रूप रेखा ही है, परन्तु जिस क्षण राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश से उस प्रारूप की किसी कंडिका को समाविष्ट कर देंगे उसी क्षण उसे कानूनी स्थिति प्राप्त हो जायगी। तब उसके संशोधन में अधिक कठिनाई होगी। वर्तमान में तो वस्तुतः कोई वस्तु है नहीं। यदि और जब हमारी आवाज राष्ट्रपति तक पहुँचेगी तो वे आज्ञा देते समय लोगों की भावनाओंको अनुभव करके उनका समुचित ध्यान रक्खेंगे। अत एव हमारा आन्दोलन उचित समय पर प्रारम्भ हुआ है और इसको प्रारम्भ करने का ठीक समय यही था। हमारे आन्दोलन को असामयिक बताने वाले लोग बड़ी भूल करते हैं। यदि हम राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे दिये जाने के बाद आन्दोलन प्रारम्भ करते तो हम बहुत पिछड़ जाते।

**क्षेत्रीय योजना की कंडिका ९ और १०**

आर्यसमाज का आन्दोलन क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा के भाषा सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध हैं। जिसका उल्लेख कंडिका ९ और १० में है। हवाले की सुविधा के लिये कंडिका सं० १० पुनः उद्धृत की जाती है :—

"जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।"

कंडिका ९ के द्वारा सच्चर फार्मूले को नवजीवन देना सोचा गया है। साथ ही पेप्सू व्यवस्था को स्थिर रूप दिया जारहा है। धारा १० में यह बात मानी नहीं गई है कि पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे हिंदी और पंजाबी दोनों का प्राधान्य है। पंजाबी क्षेत्र के विविध जिलों में हिंदी और पंजाबी की तुलनात्मक स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाले आंकड़ों से जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है स्पष्ट है कि प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों की संख्या ३० प्रतिशत से अधिक है। जालन्धर और लुधियाने के जिलों में यह संख्या ३० प्रतिशत से कुछ ही कम है। गुरुदासपुर और पटियाला मे ५० प्रतिशत से अधिक है। होशियारपुर में तो ७२ प्रतिशतकसे भी अधिक बढ़जाती है। अब हिंदी को लें। उस क्षेत्र में एक भी जिला ऐसा नही है जहां पंजाबी भाषा भाषी प्रजा की आबादी ८ प्रतिशत से अधिक हो।

अतः पंजाबी क्षेत्र में हिंदी की तुलना हिंदी क्षेत्र में पंजाबी के साथ नही की जा सकती। यह स्पष्टतः आवश्यक है कि पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे पंजाबी और हिंदी दोनों ही सरकारी भाषाएं स्वीकृत होनी चाहिएं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी की दोहरी स्थिति है। एक क्षेत्रीय भाषा की और दूसरी राष्ट्रभाषा की।

## सच्चर फार्मूला, कांग्रेस, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा निर्मित सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

क्षेत्रीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में सच्चर फार्मूले को नवजीवन प्रदान करने वाली वह धारा जिसकी ओर सर्वसामान्य जनता का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूँ

अधिकार उन्मूलन' के बिलों पर किसान संघ वा स्वामित्व अधिकार संघ अपनी आलोचनाएं भेजें और वे प्रवर समिति को दी जायें या सदन के पटल पर रख दी जांय तो बहस के समय सदस्य गण उनका उल्लेख कर सकते हैं और प्रायः उल्लेख करते भी हैं । परन्तु इस प्रकार के उल्लेख से उन आलोचनाओं को कानूनी वा संवैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती । क्षेत्रीय योजना की रूप रेखा के सम्बन्ध में ठीक यही हुआ है । जब मैं ने कुछ लोगों को, जिन्हें सुविज्ञ समझा जाता है, यह कहते सुना कि क्षेत्रीय योजना लोकसभा द्वारा स्वीकृत है तो मुझे आश्चर्य हुआ । मैंने लोक सभा की बहस ( परिशिष्ट स ) को पढ़ा । पढ़ने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में क्षेत्रीय योजना न केवल लोक सभा द्वारा पास ही नहीं हुई,अपितु इस योजना को संविधान बिल(नौवां संशोधन) में सम्मिलित करने विषयक श्री ठाकुरदास भार्गव और सरदार बहादुरसिंह के प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिये गये । अतः इस क्षेत्रीय योजना को कानूनी वा वैधानिक रूप कदापि प्राप्त नहीं है ।

परन्तु आर्यसमाज का सत्याग्रह इस सम्पूर्ण योजना के विरुद्ध नहीं है । आर्यसमाज का आन्दोलन तो इस योजना की दो विशेष कंडिकाओं तक ही सीमित है जो सच्चर फार्मूले को नवजीवन प्रदान करना चाहती है । आपत्तिजनक धाराएं ९ और १० हैं जो इस प्रकार हैं :—

(९) वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला लागू रहेगा और उस क्षेत्र में, जो वर्तमान पेप्सू राज्य है, वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि बाद में पारस्परिक समझौते से उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा वह बदल नहीं दी जाती ।

(१०) जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी ।

लोक सभा, राज्य सभा या पंजाब की विधान सभा में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय योजना की इस रूप रेखा को वैधानिक स्थिति प्राप्त हुई हो । संविधान की धारा ३७१ के अनुसार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वे जो चाहें कर सकते हैं । धारा ३७१ इस प्रकार है :—

"इस संविधान में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए भी, राष्ट्रपति अपने आदेश से आन्ध्रप्रदेश वा पंजाब राज्य के लिये विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के संगठन और कार्यक्रम की, गवर्नमेंट की कार्य व्यवस्था के नियमों में सुधारों की, राज्य की विधानसभा की कार्य प्रणाली की, और क्षेत्रीय कमेटियों के सम्यक् संचालन के लिए गवर्नर की विशेष उत्तरदायिता की, व्यवस्था कर सकते हैं ।"

इस प्रकार हमने सच्चर फार्मूला, पेप्सू व्यवस्था और क्षेत्रीय योजना की वास्तविक स्थिति जान ली हैं । अभी कुछ दिन हुए राष्ट्रपति ने अपने आदेश से पंजाब को २ क्षेत्रों में विभाजित किया है जिनका ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है । राष्ट्रपति महोदय संविधान की धारा के अनुसार अपनी आज्ञा से आगे जो करने की कृपा कर सकते हैं वह यह है कि वे 'राज्य की विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के संगठन और कार्यों की भी व्यवस्था कर दें । राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार जो कार्य सर्वोत्तम सूझ पड़े उसके करने में वे पूर्णतः स्वतन्त्र हैं । मुझे आशा है कि हिंदी

आंदोलन, क्षेत्रीय योजना विषयक जनता की भावनाओं की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करने का काम कर सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि कानून और संविधान की दृष्टि से क्षेत्रीय योजना का कोई अस्तित्व नहीं है।

उसका अस्तित्व एक मात्र प्रारूप वा रूप रेखा ही है, परन्तु जिस क्षण राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश से उस प्रारूप की किसी कंडिका को समाविष्ट कर देंगे उसी क्षण उसे कानूनी स्थिति प्राप्त हो जायगी। तब उसके संशोधन में अधिक कठिनाई होगी। वर्तमान में तो वस्तुतः कोई वस्तु है नहीं। यदि और जब हमारी आवाज राष्ट्रपति तक पहुँचेगी तो वे आज्ञा देते समय लोगों की भावनाओंको अनुभव करके उनका समुचित ध्यान रक्खेंगे। अत एव हमारा आन्दोलन उचित समय पर प्रारम्भ हुआ है और इसको प्रारम्भ करने का ठीक समय यही था। हमारे आन्दोलन को असामयिक बताने वाले लोग बड़ी भूल करते हैं। यदि हम राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे दिये जाने के बाद आन्दोलन प्रारम्भ करते तो हम बहुत पिछड़ जाते।

**क्षेत्रीय योजना की कंडिका ६ और १०**

आर्यसमाज का आन्दोलन क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा के भाषा सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध है। जिसका उल्लेख कंडिका ६ और १० में है। हवाले की सुविधा के लिये कंडिका सं० १० पुनः उद्धृत की जाती है :—

"जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।"

कंडिका ६ के द्वारा सच्चर फार्मूले को नवजीवन देना सोचा गया है। साथ ही पेप्सू व्यवस्था को स्थिर रूप दिया जारहा है। धारा १० में यह बात मानी नहीं गई है कि पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे हिंदी और पंजाबी दोनों का प्राधान्य है। पंजाबी क्षेत्र के विविध जिलों में हिंदी और पंजाबी की तुलनात्मक स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाले आंकड़ों से जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है स्पष्ट है कि प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों की संख्या ३० प्रतिशत से अधिक है। जालन्धर और लुधियाने के जिलों में यह संख्या ३० प्रतिशत से कुछ ही कम है। गुरुदासपुर और पटियाला में ५० प्रतिशत से अधिक है। होशियारपुर में तो ७२ प्रतिशतकसे भी अधिक बढ़जाती है। अब हिंदी को लें। उस क्षेत्र में एक भी जिला ऐसा नही है जहां पंजाबी भाषा भाषी प्रजा की आबादी ८ प्रतिशत से अधिक हो।

अतः पंजाबी क्षेत्र में हिंदी की तुलना हिदी क्षेत्र में पंजाबी के साथ नहीं की जा सकती। यह स्पष्टतः आवश्यक है कि पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे पंजाबी और हिंदी दोनो ही सरकारी भाषाएं स्वीकृत होनी चाहिएं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी की दोहरी स्थिति है। एक क्षेत्रीय भाषा की और दूसरी राष्ट्रभाषा की।

## सच्चर फार्मूला, कांग्रेस, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा निर्मित सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

क्षेत्रीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में सच्चर फार्मूले को नवजीवन प्रदान करने वाली वह धारा जिसकी ओर सर्वसामान्य जनता का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूँ

और जो एक क्षेत्र के प्रत्येक विद्यार्थी को न केवल अपने क्षेत्र की ही अपितु दूसरे क्षेत्र की भाषा को भी पढ़ने के लिये विवश करती है, असंगत और अनर्गल है। यह कांग्रेसकी उद्घोषित नीति के विरुद्ध है, जिसका निरूपण कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के ५ अगस्त १९४९ के निश्चय में हुआ था। यह अगस्त ४९ में हुई प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेंस के निश्चय, १९४९ में पास हुए सेंट्रल एडवाइज़री शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के भी विरुद्ध है। प्रासंगिक अवतरण नीचे दिये जाते हैं :—

### कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी का निश्चय

"प्राइमरी स्तर पर बच्चे की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होगी और इसका निश्चय बच्चे के माता पिता या अभिभावक की इच्छा पर निर्भर होगा। साधारणतः यह माध्यम क्षेत्र या प्रान्त की भाषा होगी। परन्तु अन्य स्थलो पर भी विशेषतः सीमा (पट्टी) के क्षेत्रो में और बड़े २ शहरो में जहा भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषा में शिक्षा देनेवाले स्कूल या अन्य प्राइमरी स्कूलों में सेक्शन खोल दिये जायेंगे। यदि उस भाषा में शिक्षण की मांग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उचित हो उदाहरणार्थ १५। परन्तु इस प्रकार के स्कूलों और सेक्शनों में भी अल्पसख्यको की भाषा बोलने वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था मिडिल स्तर से होगी।"

### प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों की कान्फ्रेंस का निश्चय

(द) माध्यम के रूप में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय होगा।

### सेन्ट्रल एडवाइज़री शिक्षा बोर्ड का निश्चय

'जूनियर बेसिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और जहां मातृ भाषा क्षेत्रीय या राज्य भाषा से भिन्न हो वहां मातृ भाषा में बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये.........यह क्षेत्रीय या राज्य भाषा जहां मातृभाषा से भिन्न हो, वहां तीसरी श्रेणी से पहले और जूनियर बेसिक स्तर की समाप्ति के बाद प्रारम्भ न होनी चाहिये।'

इन सब के अनुसार माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई अनिवार्य हो सकती है दूसरे क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा की नहीं। इस सिद्धान्त को भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है। आश्चर्य है कि यह व्यापक नियम पंजाब में ही क्यों तोड़ा गया है और प्रत्येक बच्चे के लिये न केवल क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई ही अनिवार्य की गई है, प्रत्युत अक्षेत्रीय भाषा की भी। इस नियम भंग का कारण शैक्षणिक नहीं है। यह राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक बताया जाता है।

### हमारी प्रमुख मांगें

(अ) शिक्षा संस्थाओं में बच्चे की शिक्षा का माध्यम पूर्णतः माता पिता की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

वस्तुतः इसके लिए किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस बात से निषेध नहो किया जा सकता कि बच्चे की शिक्षा किस भाषा में हो इसका अन्तिम निर्णय बच्चे के माता पिता के द्वारा ही होना चाहिए।

(ब) किसी भी स्तर पर दोनों क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी भाषा के द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने की बाध्यता न होनी चाहिये।

संक्षेप में प्रत्येक भाषा को सीखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हिन्दी या पंजाबी पढ़ने की बाध्यता न होनी चाहिए। बाध्यता से केवल वमनस्य उत्पन्न

होता है। इससे सद्भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि आप स्वतन्त्रता देंगे तो अपनी मर्जी से पढ़ने की अधिक संभावना होगी।

(स) शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए।

यह स्वाभाविक ही है और सरकार की अखिल भारतीय नीति के अनुकूल है। यह ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में हिन्दी न केवल राष्ट्रभाषा ही अपितु क्षेत्रीय भाषा भी है।

(द) जिला स्तर तक सरकारी रिकार्ड दोनों लिपियों में रखा जाना चाहिए।

ऐसा करने में कोई कठिनाई न होगी और यह व्यवस्था सम्बद्ध जनों के लिए सुविधा जनक होगी। थोड़े से अतिरिक्त व्यय पर ध्यान न देना चाहिए।

(र) समस्त नए पंजाब के लिए भाषा की एक ही योजना होनी चाहिए।

पंजाब के मुख्य मन्त्री और भारत के प्रधान मन्त्री दोनों ने ही इस माग को युक्तियुक्त माना है। इसका अभिप्राय यह है कि पेप्सू में भी जो अब पंजाब में मिल गया है पंजाब जैसी भाषानीति व्यवहृत होनी चाहिए। निस्सन्देह इसके सुधार में कुछ समय लगेगा, परन्तु यह कार्य्य समझौता करने वाले दलों की सनक पर न छोड़ा जाना चाहिए।

## आर्य समाज मैदान में कैसे आया ?

हम पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि आर्यसमाज जैसी धार्मिक संस्था का इस विवाद में पड़ना उचित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आर्यसमाज की स्थिति का स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। निस्सन्देह आर्यसमाज धार्मिक संस्था है जो देश और विदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोकोपकारक कार्य करता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आर्य समाज ने क्षेत्रीय योजना वा अन्य किसी फार्मूले वा व्यवस्था को नहीं छुआ है। यदि उसका कोई अंश छुआ है तो वह अंश भाषा के प्रश्न से सम्बद्ध है। यद्यपि उन फार्मूलों और व्यवस्थाओं में ऐसी बहुतसी चीजें हैं जिन पर उचित रीति से आपत्ति हो सकती है, परन्तु यह कार्य राजनैतिक संस्थाओं वा उन संस्थाओं का हो सकता है जो प्रचलित विवादास्पद राजनीति में भाग लेती है।

समस्त धार्मिक संस्थाओं के लिए भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ करता है क्योंकि इसका समाज के सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुँचाये बिना अरबी को और हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना संस्कृत को नही छू सकते। संसार जानता है कि यहूदियों ने जब एक छोटे से प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त की, तो उन्होंने यहूदी भाषा को अपनाया और उसमें जीवन शक्ति फूंकी जो लगभग मर चुकी थी। आर्यसमाज की हिन्दी सम्बन्धी भावनाओं पर इस पुस्तिका के प्रारंभ में प्रकाश डाला जा चुका है।

आर्य समाज अन्य कारणों से भी पंजाब में हिन्दी के लिए संघर्ष कर रहा है। पंजाब में आर्य समाज की सैकड़ों शिक्षा संस्थाएँ हैं जिनमें हिन्दी को मुख्य स्थान प्राप्त है और ब्रिटिशकाल में भी, जब अंग्रेजी और उर्दू की तूती बोलती थी, हिन्दी को सम्मानित स्थान प्राप्त था। पंजाब से बाहर के लोगों को इस बात का ज्ञान न होगा कि पंजाब की आधी से अधिक शिक्षा संस्थाओं का संचालन आर्यसमाज के द्वारा होता है। अवश्य कुछ स्कूलों और

कालिजों को सनातन धर्म सभा और अन्य हिंदू संस्थाएं भी चला रही हैं। जब हम विद्यार्थियों की संख्या को लेते हैं तो यह अनुपात बहुत बढ़ जाता है। अतः हिंदू जाति के प्रगतिशील और सुधारवादी समाज के रूप में उन प्रयत्नों सेलोहा लेना आर्य समाज का कर्त्तव्य है जिनका हिंदी की स्थिति पर दुष्प्रभाव पडता हो। इतना ही नहीं उसका ऐसा करना युक्तियुक्त भी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्य समाज ने दो कारणों से इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है और वे कारण है सांस्कृतिक और शैक्षणिक।

## हमारी कार्य प्रणाली

ऐसे बहुत से व्यक्ति है जिन्हें सम्भवतः यह विदित नही है कि आर्य समाज ने अंतिम अस्त्र के रूप में सत्याग्रह का आश्रय लिया है और ऐसा करने पर भी मैं जनता को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैं और मेरे अंतरंग मित्र इस बात का पूरा २ यत्न कर रहे हैं कि यह सत्याग्रह उसी सीमा में रहे जो गवर्नमेंट पर केस का औचित्य और भावनाओं की उग्रता अंकित करने के लिए अनिवार्य हो और यह किसी दशा में भी इस सीमा से आगे न बढ़े। हमारी निरंतर यह भावना रही है कि गवर्नमेंट हमारी अपनी है और हमें उस सीमा से आगे उसे परेशान नहीं करना है जो हमारे उद्देश्य के लिए आवश्यक है। ऐसे अवसर भी आते हैं जब मनुष्य को न केवल अपनी सरकार और अपने बन्धु बांधवों के विरुद्ध ही एवं आत्मशुद्धि के लिए अपने विरुद्ध भी सत्यागृह करना पड़ जाता है। अतः जनता यह अनुभव करेगी कि उत्तेजनाओं और अत्याचारों के होते हुए भी हम अधिक से अधिक युक्ति-युक्त, संयत और नियमित रहे हैं, जितना परिस्थितियों में मानवों के लिए संभव होता है। मैं उचित रीति से इस बात पर अभिमान कर सकता हूं कि आर्य समाज का सत्यागृह उतना ही पवित्र और अहिंसात्मक रहा है जितना स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़ा गया हमारा कोई सत्यागृह रहा है। शराब बंदी, नमक सत्यागृह, जंगल सत्यागृह इत्यादि जैसे हमारे सत्यागृह संग्रामों में सर्वसामान्य जनता ने जो कुछ किया उसका मुझे पता है। मैं तो सर्वसामान्य जनता की ही चर्चा कर रहा हूं।

जनता को यह पता है कि आर्य समाज ने सत्यागृह का आश्रय उस समय तक नहीं लिया जब तक उसने प्रत्येक सम्भव वैध उपाय करके न देख लिया। पंजाब सरकार की भाषा-नीति का विरोध करने के लिए अमृतसर में अप्रैल ५६ में प्रमुख २ आर्यजनों का एक सम्मेलन हुआ। जुलाई ५६ में जालंधर में पंजाब राज्य की भाषा नीति पर विचार करके, अपना केस उसके समक्ष रखने के लिए पंजाब के आर्य समाजों के प्रतिनिधियों का एक विशेष सम्मेलन हुआ। ९ सितम्बर १९५६ कोअम्बाला में सर्वदल सम्मेलन हुआ, जहां उपस्थित प्रतिनिधियों के सत्याग्रह करने के प्रबल अनुरोध के होते हुए भी, सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजने का निश्चय हुआ। इस दिशा में अन्य भी अनेक यत्न हुए, परन्तु उनका कोई परिणाम न निकला। ४ मई १९५७ को प्रधान मंत्री से एक शिष्ट मंडल ने भेंट की। पुनः २० मई ५७ को पंजाब के मुख्य मंत्री से आर्यसमाज के एक शिष्टमंडल की भेंट हुई, परन्तु निष्फल। हिंदी प्रेमी जनता के और विशेषकर आर्यसमाज वालों

के विशेष आग्रह को देखते हुए सत्यागृह उसी समय प्रारंभ हो गया होता, परंतु आर्य प्रतिनिधिसभा पंजाब और हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने सत्यागृह न करके सद्भावना का मार्ग चुना और वे आर्य समाज के सुप्रसिद्ध सम्मानित ५ संन्यासियों के साथ सद्भावना यात्रा पर चंडीगढ़ गए। ३० मई को उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री से भेंट करके अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कहा। परंतु उस भेंट का भी कोई परिणाम न निकला। आर्यसमाज के नेताओं ने एक वर्ष तक पंजाब राज्य और केन्द्रीयसरकार के उच्चाधिकारियों के दरवाजों को खटखटाया। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, परंतु किया कुछ नहीं। कुछ ने आर्य समाज के शिष्टमंडलों के साथ बड़ा उदासीन व्यवहार किया। कुछ ने तो उन्हें मास्टर तारासिंह का दरवाजा दिखाया। अपनी उचित एवं न्यायसंगत मांगों के समाधान के लिए किए गए इन असफल प्रयत्नों के बाद आर्यसमाज ने सत्यागृह का आश्रय लिया, इस आशा और भावना के साथ कि उनकी तपस्या, त्याग तथा बलिदान से राज्याधिकारियों की आंखें खुलेंगी और उनका हृदय द्रवित होगा।

## हमारा सत्याग्रह

जून ५७ के प्रारंभ में पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। सत्याग्रह की विधि सरल थी। सत्याग्रही सचिवालय को जाने वाली सड़क पर जलूस बनाकर जाया करते थे और गिरफ्तारी केलिए सचिवालय के द्वारके सामने बैठ जाया करते थे। पंजाब सरकार ने जो ढंग अपनाया वह यह था कि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने के स्थान पर पुलिस उन्हें बलात् घसीटती, प्रायः मारती पीटती और पुलिसलारियों में धकेल देती थी। सत्याग्रही मीलों दूर जंगल में छोड़ दिये जाते थे। संन्यासी एवं महिला सत्याग्रहियों के साथ भी यही व्यवहार किया जाता था। सैंकड़ों सत्याग्रही पुलिस की इस बर्बरता के शिकार हुए और उनको भयंकर चोटें आईं। इस सम्बन्ध में हुई अनेक जघन्य घटनाओं का मैं विस्तृत वर्णन करना नहीं चाहता।

श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के पत्र के उत्तर में श्री जवाहरलाल जी ने एक पत्र भेजा था। यद्यपि उस में हमारी मांगों की स्वीकृति की दिशा में कोई तत्त्व की बात न थी, तथापि उनकी भाषा से हमें आशा की झलक दीख पड़ी थी। अतः आर्यसमाज ने सत्याग्रह को तीव्र न करने का निश्चय किया, यद्यपि रोहतक में दूसरा केन्द्र खोलने का प्रबल आग्रह किया जा रहा था। परन्तु पं० जी के विदेश से लौटने के बाद भी पं० जी के पत्र का कोई सुपरिणाम न निकला और उनके दूसरे पत्र से तो हमारी समस्त आशाएं मिट्टी में मिल गईं। अतःअपने लोगों को रोहतक में सत्याग्रह करने से रोकने का कोई कारण न रह जाने के कारण वहां केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी गई। वहां ता० ३० जुलाई५७ से सत्याग्रह का श्रीगणेश हुआ। इसके बाद की अत्याचार और नृशंसता की कहानी बड़ी लम्बी और दुखद है। इन अत्याचारों में राज्य सरकार ने सभ्यता और कानून को उठाकर एकओर रख दिया था। इसीप्रकार की घटनाओं की खबर प्रायः प्रतिदिन आती थी

जिनमें से बहुतसी का लोगों को पता नहीं चला, परन्तु रोहतक से ७ मील दूर बहुअकबरपुर की घटना किसी भी सभ्य सरकार के लिये अपितु अर्द्ध सभ्य सरकार के लिए भी कलंक का टीका है।

## बहुअकबरपुर की घटनाएं

१४-८-५७ को रोहतक में बहुत से सत्याग्रही पुलिसलारी में भरे गए। उनमें से तीन लारियां हिसार के लिये रवाना हुई। हिसार जाने वाली सड़क पर रोहतक से ७ मील दूर बहुअकबरपुर नामक एक ग्राम है। दो लारियां बिना किसी घटना के गांव में से गुजर गई। गांव वालों ने तीसरी लारी रोक ली। इसका कारण जैसा कि उन्होंने मुझे बताया यह था कि रात हो गयी थी और वे लोग सत्याग्रहियों के खाने पीने का प्रबंध करना चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि उन्हें पुलिस दूर जंगल में भूखा प्यासा छोड़ देगी। क्योंकि वह ऐसा करती आई थी। लारी के रुक जाने पर, सत्याग्रहियों ने गांव वालों को कहा कि गिरफ्तार होने के बाद उनका चालान हो गया है और वे जंगल में छोड़े जाने के लिये नहीं ले जाये जा रहे हैं। इस पर गांव वालों ने लारी जाने दी। दूसरे दिन अर्थात् १५ अगस्त को पुलिस बहुसंख्या में गांव में पहुँची और गांव को घेरकर जवान, बूढ़ा, बच्चा और स्त्री या पुरुष जो उनके हाथ आया उसे पीटने लगी। पुलीस ने उनका सामान भी छीना। तहसील हांसी के एक दूसरे गांव का एक व्यक्ति छोटू राम रोहतक में अपनी पत्नी को डाक्टर को दिखाकर लौटा था। पुलिस ने उसे भी बुरी तरह पीटा। उसकी जेब में जो कुछ था वह निकाल लिया गया यहां तक की दवाईका नुस्खा भी न छोड़ा गया। जब उसने बड़े पुलिस अफसर से अनुनय विनय की, तो नुस्खा तो वापिस कर दिया गया परन्तु अन्य वस्तुएं न लौटाई गईं, जिनमें करंसी नोट भी थे। पुलिस दीपू के घर में घुस गई जहां उस समय उसकी पत्नी और फूलवती नामक पन्द्रह वर्षीय जवान लड़की थी। जिन्होंने भय के मारे एक कमरे मे घुसकर भीतर से जंजीर लगाने की चेष्टा की। पुलिस के सिपाही ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और इस झगड़े में लड़की की एक बाँह उतर गई। जब मैं १७-८-५७ को उस ग्राम में गया तो मैंने उस लड़की के कन्धे पर पट्टी बँधी हुई देखी। पुलिस ने १५-८-५७ को जो कुछ किया, उससे उनका क्रोध शान्त न हुआ। अतः १६ अगस्त को भी पुनः वही सब कुछ किया गया। मैंने रघुवीर का घर देखा जिसमें पुलिस बलात् घुस गयी थी। उसकी चीजें बाहर फेंक दी थी औरजिसमें से कुछ टूट फूट गई थीं। पालने में लेटे हुए शिशु को भी नहीं छोड़ा गया था। इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग स्वीकार नही की गई। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबरभाई को इस घटना का हाल सुनाया था। संभवतः उनकी प्रेरणा पर कुछ कांग्रेसी मित्र अर्थात् श्री पं० मौलिचन्द शर्मा और पं० अलगूराय जी शास्त्री ग्राम में गए थे और उन्होंने घटना की जांच की थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या दोनों को ही अपनी रिपोर्ट दी होगी। परन्तु वे रिपोर्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुई हैं।

## फिरोजपुर जेल कांड

यतः जस्टिस ऐस० वी० कपूर द्वारा इस कांड की जांच हो रही है अतः मैं फिरोजपुर जेल के भीतर घटित इस दुर्घटना की हृदय-विदारक बातों का वर्णन करना उचित नहा समझता। वहां लगभग ५५० सत्याग्रही रखे गए हैं। जनता की सूचना के लिए मैं वह जानकारी दूंगा जो २८-८-५७ को जेल में जाने पर मुझे प्राप्त हो सकी हैं। जख्मी हुए सत्याग्रहियों की संख्या ३१२ है। १ की मृत्यु हो गई। २ जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे थे और बाद में खतरे से बाहर बताए गए थे। ३६ को भयंकर चोटें आई थी, यद्यपि २७२ को भयंकर चोटें नही लगी थीं तथापि उनमें से अधिकांश काफी चोटों से पीड़ित थे। ७३ अस्पताल में भरती किए गये, जिसमें संभवतः अन्यों के लिये स्थान न रह गया था। जेल में मेरे साथ पं० अलगूराय शास्त्री भी गए थे। मुझे जो अनुभव हुआ उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। जब पं० अलगूराय जी घायलों को देख रहे थे, और उनकी कष्ट कहानी सुन रहे थे तब मैंने उन्हें कई बार रोते हुए देखा। हमने बैरकों के भीतर तथा अन्य स्थानों पर खून के धब्बे पड़े देखे। मेरा विश्वास है कि श्री शास्त्रीजी ने समस्त घटना की रिपोर्ट कांग्रेस हाई कमान को भेज दी होगी। जांच के कारण मेरा मुंह बंद है। परन्तु जब समस्त घटना जनता के समक्ष आयगी तो भारतके हिंदी प्रेमियों की आत्माएं कांप जायेंगी।

२८ अगस्त १९५७ को मैंने आर्य समाज की ओर से घोषणा की थी कि आर्यसमाज श्री जस्टिस एस० वी० कपूर द्वारा जांच में पूर्ण योग देगा, जिसकी नियुक्ति की सरकार की ओर से उस समय घोषणा हुई थी। परन्तु जांच द्वारा निर्णीतव्य विषयों के सम्बंध मे, जिन की घोषणा मैंने ३०-८-५७ को पढ़ी थी, मुझे एक बात कहनी है। निर्णीतव्य विपयों की घोषणा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है।

... निम्नलिखित के विषय में जाच की जायेगी

(१) २४ अगस्त १९५७ को फिरोजपुर जेल में लाठी प्रहार किन कारणों से हुआ ?

(२) सरकारी कर्मचारियो ने कैदियों को हटाने और उन्हे काबू मे लाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया वह अत्यधिक थी या नहीं ?

(३) यदि थी तो सम्बद्ध कर्मचारियों की उसके लिए कितनी जिम्मेदारी थी ?

यह सरकारी घोषणा ३०-८-५७ के प्रातः समाचार पत्रों में छपी। मुझे जांच के क्षेत्र के सम्बंध में बड़ा संदेह है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध और मुख्य ऐडवोकेट श्रीयुत ऐन० सी० चटर्जी से परामर्श किया। उनकी सम्मति भी यही थी कि जाच का दूसरा विषय आपत्तिजनक है। इसके पहले ही यही मान लिया गया प्रतीत होता है कि कैदी काबू से बाहर थे। अधिकारियों का बल प्रयोग करना युक्तियुक्त था और निर्णीतव्य विषय केवल यह था कि शक्ति का प्रयोग सीमा से अधिक किया गया था वा नहीं। अतः श्रीयुत चटर्जी ने सुझाव दिया कि निर्णीतव्य विषय निम्नप्रकार के शब्दों में अंकित होने चाहिए थे।

(अ) फिरोजपुर जेल में २४ अगस्त के लाठी प्रहार के कारण क्या थे ?

(ब) इस प्रकार के लाठी प्रहार की आवश्यकता थी या नहीं ?

(स) यदि थी तो सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त शक्ति सीमा से अधिक थी या नहीं ?

(द) यदि अधिक थी तो सम्बद्ध अधिकारियों की जिम्मेदारी का निश्चय होना चाहिए था।

मैंने केन्द्रीय और पंजाब सरकार को निर्णीतव्य विषयों में सुधार करने के लिए लिखा है जिससे जनता के समक्ष पूर्ण सत्य आ जाय। हमारा पक्ष यह है कि आक्रमण की ज़रा भी आवश्यकता न थी। इसकी योजना पहले से बन गई थी और यह योजना हमारे सत्याग्रहियों के निर्मम एवं अवैध दमन की सरकारी नीति की शृंखला की एक कड़ी थी।

हम इस आशा के साथ जांच के साथ सहयोग कर रहे हैं कि यह जांच सर्वाङ्ग पूर्ण होगी, माननीय न्यायाधीश के हाथ पूर्ण सत्य को जानने में स्वतन्त्र होंगे, और जज महोदय को कोई भी बात पूर्व से निश्चित और स्वीकृत मान लेने के लिए न कहा जायगा जैसा कि निर्णीतव्य विषयों की घोषणा से प्रकट होता है।

मुझे यह भी आशा है कि श्री सुमेरसिंह की मृत्यु से लेकर उनके दाह कर्म तक का समस्त मामला भी माननीय न्यायाधीश की जांच परिधि के भीतर होगा।

**भाषा आयोग की रिपोर्ट**

हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भारत की भाषा समस्या के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए संविधान की धारा सं० ३४४ के अनुसार एक आयोग की नियुक्ति की थी जिसका नाम 'सरकारी भाषा आयोग' रखा गया था। इस आयोग के अध्यक्ष श्री बी. जी. खेर जैसे प्रख्यात और सम्मानित महानुभाव थे और इसके सदस्य भारत के चुने हुए प्रसिद्ध विद्वान् थे। आर्य समाज की मांगों के साथ आयोग के सुझावों और सिफ़ारिशों की सादृश्यता दिखाने के उद्देश्य से, कतिपय सुझाव नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

> 'हमारी सम्मति में देश भर में स्कूल स्तर पर हिन्दीकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। और इस प्रकार की कार्यवाही के लिए युक्तियां प्रबल और सुनिश्चित हैं।
>
> हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को एक दूसरीभारतीय भाषा (संभवतः दक्षिण भारतीय भाषा) अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए हमने इस सुझाव पर विचार किया और यह अस्वीकृत हुआ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट के, विख्यात एवं विद्वान् सदस्यों का यह मत है कि हिन्दी सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और हिन्दी वालों को अन्य भारतीय भाषा पढ़ने के लिए बाध्यता न होनी चाहिए। हमारी मांग तो इससे भी कम है। हमारी मांग यह है कि हिन्दी या पंजाबी की पढ़ाई में बाध्यता न होनी चाहिए। हम विद्यार्थी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। वह अपनी इच्छासे चाहे हिन्दी पढ़े या पंजाबी।

> इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए राज्य भाषा (हिन्दी) के साथ २ अन्य भारतीय भाषाओं

के लिखने में स्वेच्छया देवनागरी लिपि को अपनाने की भी हम सिफ़ारिश करेंगे।

आर्यसमाज भी ठीक यही चाहता है अर्थात् पंजाबी भाषा को हिन्दी वा गुरुमुखी में लिखने की स्वतंत्रता।

## कतिपय आरोपों का समाधान

हम पर साम्प्रदायिकता का दोषारोपण किया जाता है। हमने अनेक बार इस आरोप का खंडन किया है। हमारा यह दावा है कि हमारी मांगों में या हमारे आंदोलन में साम्प्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं है, हम कोई सुविधा नहीं चाहतेहैं। यदि हम या हमारी मांगें साम्प्रदायिक कही जा सकती है तो उसी तराजू में तोले जाने पर भाषा आयोग के देशभक्त सदस्य दुगने साम्प्रदायिक सिद्ध होंगे। और उनकी कोटि में रखे जाने में हमें दुःख न होगा।

## राजनैतिक

हम पर दूसरा आरोप लगाया जाता है कि हमारा आंदोलन राजनैतिक है। इससे भी हमने अनेक बार इन्कार किया। आर्यसमाज ने कभी भी राजनैतिक अधिकारों वा प्राधिकारों की मांग नहीं की हैं और न वह अब ऐसी मांग करता है। इसे किसी राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी है। वह तो एक मात्र यही चाहता है कि पंजाब में भाषा समस्या का समाधान न्यायपूर्वक हो जाय। इसका अन्य किसी विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाथ कंगन को आर्सी क्या? आर्य समाज की उचित मांग स्वीकार कर ली जाय ऐसा होते ही सत्याग्रह बंद हो जायगा।

## हमारा किसी समुदाय या भाषा के साथ कोई झगड़ा नहीं

हमारे मन में किसी भाषा,लिपि या वर्ग के प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं है। आर्यसमाज अन्य भाषाओं या लिपियों का आदर करता है और उनकी उन्नति के मार्ग में रोड़ा नहीं बनना चाहता है। पंजाबी और गुरुमुखी के विषय में यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है, गुरुओं ने और उनके अनुयायियों ने भारतीय इतिहास के संकट काल में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये महान् त्याग और बलिदान किया था। अतः उनके प्रति हमारी आदर भावना के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता। मैं अपने सिख भाइयों को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा आन्दोलन न तो सिख-विरोधी है और न पंजाबी-विरोधी ही। क्या मैं उन्हें याद दिला सकता हूँ कि पंजाब में आर्य समाज आन्दोलन का नेतृत्व कुछ सिख भाइयों ने भी किया है और आर्यसमाज अपने भजनों और प्रवचनों में सिख गुरुओं के गुणगान करता रहा है। सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखने में आर्यसमाज किसी से पीछे नहीं है।

यह आधुनिक इतिहास की बात है कि आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह ने सिख मत सहित समस्त धर्मों को हैदराबाद राज्य के अत्याचारपूर्ण बन्धन से मुक्त किया था। निजाम सरकार के धर्म विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण न तो मन्दिर और गुरुद्वारे बन सकते थे और न उनकी मरम्मत ही हो सकती थी। हमारे सत्याग्रह के फलस्वरूप न केवल मन्दिरों से ही अपितु गुरु- द्वारों

पर से भी प्रतिबन्ध उठ गये थे। क्या यह बात भुलाई जा सकती है कि 'गुरु के बाग के मोर्चे में आर्यसमाज के नेता पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने भाग लिया और वे जेल गये थे। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री रायबहादुर बदरीदास जी ने सिखों की ओर से एकमात्र प्रेमभाव से लाहौर हाईकोर्ट में प्रसिद्ध शहीदगंज केस लड़ा और विजय प्राप्त की। आर्यसमाज ने आड़े समय में सदैव सिखों का साथ दिया है।

## हमारा झगड़ा सरकार के साथ है

मैंने ऊपर इस बात की चर्चा की है कि सिखों के साथ आर्य- समाज का कोई झगड़ा नहीं है। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा झगड़ा किसके साथ है ? हमारा झगड़ा सरकार के साथ है। झगड़े में दूसरा पक्ष सिख भाई कदापि नहीं हैं। सरकार के साथ भी हमारा झगड़ा उसकी पंजाब में भाषा-नीति तक ही सीमित है।

सिखों के साथ आर्य समाज का झगड़ा बताना सर्वसाधारण जनता में भ्रम और भ्रान्ति व्याप्त करना है। जाने में वा अनजाने में इस भ्रम के उत्पन्न कर दिये जाने के कारण ही सिखों और अन्य हिंदुओं के सम्बन्ध खराब बनते जा रहे हैं, जिसकी उत्तरदायिता आर्य-समाज वा उसके आन्दोलन पर नहीं डाली जा सकती। इसकी उत्तरदायिता उन लोगों पर है जो समय बेसमय हमारे आन्दोलन को साम्प्रदायिक कह कर उसके सम्बन्ध में भ्रांति फैलाते हैं और इस प्रकार देश द्रोहिणी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं।

## आर्यसमाज के पूर्व के २ सत्याग्रह और कांग्रेस

स्वतन्त्रता प्राप्त करने और प्रतिबन्धों की जंजीर तोड़ने के लिए आर्यसमाज को बहुत से युद्ध करने पड़े हैं। मैं उनमें से केवल अन्तिम दो की चर्चा करूंगा जिनकी मुझे पूर्ण जानकारी है और जिनका संचालन न्यूनाधिक रूप में मेरे द्वारा हुआ है। एक सत्याग्रह तत्कालीन हिज एक्जाल्टेड हाईनेस निजाम की सरकार के विरुद्ध हैदराबाद में और दूसरा मुस्लिम लीगी सरकार के विरुद्ध सिंध में हुआ था। हैदराबाद का धर्म युद्ध धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये फर्वरी १६३६ से अगस्त १६३६ तक चला। वहां हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे। सिंध में सत्यार्थ-प्रकाश का एक समुल्लास और इस प्रकार उस समुल्लास सहित समस्त सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह सत्याग्रह कुछ समय तक चला। मैं इन पंक्तियों के द्वारा इन दोनों सत्याग्रहों के प्रति कांग्रेस के रुख पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अतः मैं इन आंदोलनों के अन्य अंगों को न छुऊंगा, सिवाय इसके कि जब मेरे उद्देश्य के लिये उनको छूना आवश्यक होगा।

प्रायः सब लोगों को पता है कि इन दोनों अवसरों पर कांग्रेस मुख्यतया उसके उच्चतम नेता प्रारम्भ में आर्यसमाज के आन्दोलन के विरुद्ध थे।

## हैदराबाद सत्याग्रह

शोलापुर में २५ से २७ दिसम्बर १६३८ तक आर्य महासम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसमें आर्यसमाज की मांगें निश्चित की गई।

इसमें यह भी निश्चय हुआ कि यदि निज़ाम सरकार उन मांगों को स्वीकार न करे तो सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया जाय। अन्त में आर्यसमाज को सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ा।

उसी समय हैदराबाद की स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद में नागरिक स्वतन्त्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया। हिंदू महासभा ने भी धार्मिक स्वतंत्रता के लिये अपना सत्याग्रह प्रारम्भ किया। इस पर कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह बंद कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने चाहा कि आर्यसमाज भी अपना सत्याग्रह बंद कर दे। उन्होंने निजी रूप में और सार्वजनिक रूप में दोनों प्रकार से अपने विचार प्रकट किये। आर्यसमाज का अपने पक्ष के औचित्य में पूर्ण विश्वास था। अतः आर्यसमाज के लिए अपने सत्याग्रह को बंद करना सम्भव न था क्योंकि आर्यसमाज ने शांतिपूर्वक विचार के पश्चात् जान-बूझ कर अपना सत्याग्रह प्रारम्भ किया था। परन्तु हम महात्मा गांधी की सम्मति को बदलवा कर उनके आशीर्वाद और कांग्रेस के महारथियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। मेरा विश्वास था कि यदि हम बापू को अपने पक्ष के औचित्य और शांत सत्याग्रह करने में आर्यसमाज की क्षमता के सम्बन्ध में निश्चिन्त कर दें, तो उनकी इस सम्मति के होते हुए भी कि आर्यसमाज का सत्याग्रह बंद होना चाहिए और आर्यसमाज के आंदोलन के बहुत से निंदकों द्वारा उनके कान भरे जाने का प्रयत्न होते हुए भी हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। मैं और स्व० ला० देशबन्धु जी गुप्त, जो मेरे न केवल परममित्र ही थे अपितु मेरे छोटे भाई के समान भी थे, इस काम में जुट गये। बापू को आश्वासित करने में हमें समय न लगा। इसके पश्चात्महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई से हमारे आंदोलन को सहायता प्रदान की। फिर कांग्रेस के अन्य महारथियों से भी हमें सहायता मिली।

## सिन्ध सत्याग्रह

कांग्रेस के नेता प्रारम्भ में हमारे सिन्ध सत्याग्रह के भी विरुद्ध थे। इस बात को दिखाने के लिये मैं एक घटना का वर्णन किये देता हूँ। सिन्ध गवर्नमेण्ट द्वारा सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद स्व० भाई परमानन्द जी ने केन्द्रीय असेम्बली में एक काम रोको प्रस्ताव रखा। भारत सरकार के ला मेम्बर (विधि मन्त्री) सर फ्रांसिस म्यूडी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुस्लिमलीग वालों ने भी इसका विरोध किया जो उनके स्वभाव और मनोवृत्ति के बिल्कुल अनुकूल था। कांग्रेस असेम्बली पार्टी से यह आशा थी कि वे इस प्रस्ताव का पक्ष करते। कम से कम इतना तो करते कि सिन्ध सरकार की उस कार्यवाही का विरोध करते कि जिससे सत्यार्थप्रकाशपर प्रतिबन्ध लगाया था। परन्तु कांग्रेस असेम्बली पार्टी की ओर से सिन्ध सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा गया। हम आर्यों ने इसे बुरा अनुभव किया और वैयक्तिक रूपसे मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं सीधा वर्धा गया और सेवाग्राम में बापू के चरणों में बैठकर मैंने पूरी कहानी कह सुनाई। थोड़ी सी बातचीत के बाद जिसका उल्लेख करनेकी यहां आवश्यकता

नहीं है। बापू ने पूछा 'तुम क्या चाहते हो?' मैंने कहा 'मैं आर्यसमाज के पक्ष के समर्थन में और सिन्ध सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाश पर लगाये प्रतिबन्ध के खंडन में आपका एक प्रेस वक्तव्य चाहता हूँ' मुझे उनका वक्तव्य प्राप्त हो गया। इसके बाद मैं कांग्रेस के अन्य बड़े २ नेताओं से मिला और उनका समर्थन भी मिल गया। हमें पं० जवाहरलाल जी का भी समर्थन प्राप्त हो गया था।

### महात्मा गांधी के प्रति कृतज्ञता

दोनों अवसरों पर आड़े समय में प्राप्त अमूल्य सेवाओं के लिये आर्य जगत् और मैं वैयक्तिक रूप से महात्मा गांधी के कृतज्ञ हैं। हम अन्य नेताओं के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने दोनों अवसरों पर हमें अपनी सहायता प्रदान की।

### महात्मा जी की अनुपस्थिति

हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमें आशीर्वाद देनेकेलिये महात्मा गांधी आज हमारे मध्य में नहीं हैं। यदि आज महात्मा जी हमारे मध्य होते तो हम अपने पक्ष का औचित्य उन पर प्रतिपादित कर देते और निश्चय ही हमें उनका समर्थन प्राप्त हुआ होता।

कांग्रेस के अन्य महान् नेताओं के हाथ में शासन की बागडोर है और वे इस झगड़े में एक पक्ष हैं। अतः उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस मामले में निष्पक्ष होंगे।

मैं कांग्रेस के अन्य आदरणीय नेताओं से, जो शासन में नहीं हैं, अपील के रूप में एकशब्द कहूँगा। मैं उनसे प्रार्थनाकरता हूँ कि वे शासन से ऊपर उठें और आर्यसमाज के मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल करें। मुझे निश्चय है कि यदि वे ऐसा करेंगे तो वे एक चतुर वकील के सदृश अपनी आसामीके केस को अस्वीकार करके इस मामले को सद्भाव से तय करा देंगे।

### अपील

मैं देश के समस्त विचारशील जनों से भी अपील करूंगा कि वे इस समस्त मामले को ठीक रूप में समझने का कष्ट करें।

**घनश्यामसिंह गुप्त**
प्रधान
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति
दिल्ली (सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा)
६-६-१९५७ (इण्टर नेशनल एर्यन लीग, दिल्ली)

## परिशिष्ट (अ)

### पूर्वी पंजाब में भाषा के प्रश्न से सम्बद्ध प्रस्तावों का अन्तिम प्रारूप

(सच्चर फार्मूला)

१—पूर्वीय पंजाब में दो भाषायें पंजाबी और हिन्दी बोली जाती हैं।

पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र में पंजाबी क्षेत्रीय भाषा होगी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी। प्रान्तीय शासन विशेषज्ञोंके परामर्शके अनुसार क्षेत्रोंका निर्धारण करेगा।

पंजाबी का अर्थ गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी होगा और हिन्दी का अर्थ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

२—पंजाबी भाषा क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगी और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक

तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी और कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल की श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थाएं भी सामने आयेंगी जबकि विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभावक उसे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें, इस आधार पर कि हिन्दी उसकी मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किये बिना प्राइमरी की श्रेणियों मे हिन्दी में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० अथवा प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की श्रेणियोंमें विद्यार्थियों केलिए शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा, परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी श्रेणी से और लड़कियों के स्कूलों में छठी श्रेणी से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जायगी। माध्यमिक श्रेणियों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगा, यदि गवर्नमेण्ट, म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों का ⅓ भाग हिन्दी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेण्ट सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाले स्कूलों मे भी हिन्दी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल के ⅓ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और यदि क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुविधायें न होंगी। ⅓ की शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषाके माध्यम से पढ़ना सुगम बनाने के लिए हिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने की छूट दे दी जायगी, परन्तु माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

३—हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक तक पंजाबी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायगी, कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल की श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थाएं भी सामने आयेंगी जब कि विद्यार्थी के माता पिता वा अभिभावक उसको पंजाबी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें इस आधारपर कि पंजाबी उसकी मातृभाषा है और क्षेत्रीय भाषा नही है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किये बिना प्राइमरी की श्रेणियों में पंजाबी भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० और प्रत्येक श्रेणीमें १० से कम न होनी चाहिये। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी को श्रेणियों में विद्यार्थियों केलिये शिक्षाका माध्यम पंजाबी भाषा होगी, परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी श्रेणी से और लडकियों के स्कूलों में छठी श्रेणी से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी। माध्यमिक श्रेणियों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम पंजाबी रहेगा, यदि गवर्नमेण्ट, म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल के समस्त विद्यार्थियों का ⅓ भाग पंजाबी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेण्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी पंजाबी के माध्यम का प्रबन्ध

करेगी यदि स्कूल के ⅓ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और उस क्षेत्रमें पंजाबी के शिक्षण की पर्याप्त सुविधा न होगी की⅓। शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा का पढ़ना गसुमबनाने के लिये पंजाबी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर पंजाबी भाषा में लिखने की छूट दे दी जायगी परन्तु माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

४—क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षण की मांग से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों के सुधारके लिये गवर्नमेण्ट अन्य आवश्यक निर्देश प्रचारित कर सकती है।

५—सरकार द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता प्राप्त न करने वाले स्कूल में शिक्षा के माध्यम का उसकी प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी। किसी दूसरी भाषा में शिक्षा के माध्यम की व्यवस्था करना उनके लिएअनिवार्य न होगा परन्तु अवस्थानुसार दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी या हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

३—वर्तमान में अंग्रेजी और उर्दू शासन और न्यायालय की भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती रहेगी और इण्डियन नेशनल कांग्रेस की वर्किङ्ग कमेटी की ५-८-१९४९ की बैठक में पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों के प्रकाश में क्रमशः इन भाषाओं का स्थान हिन्दी और पंजाबी लेती रहेगी।

( निश्चय की कापी संलग्न है )

७—ये प्रस्ताव उन विद्यार्थियों पर लागू न होंगे जिनकी मातृ भाषा न तो पंजाबी है और न हिन्दी। इस प्रकार के विद्यार्थियों की मातृ भाषा में शिक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध किया जायगा,यदि किसी स्थान पर इस प्रकार का प्रबन्ध सम्भव बनाने के लिये उनकी संख्या पर्याप्त हो।

ह० भीमसेन सच्चर
ह० गोपीचन्द भार्गव
नई दिल्ली ह० उज्जवल सिंह
१–१०–१९४९ ह० करतार सिंह

## ( परिशिष्ट ब )

## पंजाब राज्य की रीजनल (क्षेत्रीय) कमेटियों की योजना की रूपरेखा

(लोक सभा की मेज पर ३-४-५६ को रखी गयी।)

(१) पुनःसंगठित समस्त पंजाब राज्य के लिए एक ही विधान सभा होगी जो समस्द राज्य के लिए एक मात्र विधान निर्मातृ संस्था होगी। राज्य का एक गवर्नर होगा जिसकी सहायता के लिए समस्त प्रशासन क्षेत्र के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की एक कौंसिल होगी।

(२) कतिपय सुनिश्चित मामलों में सरकारी कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिये राज्य २ क्षेत्रों में विभाजित होगा जिनके नाम पंजाबी भाषा भाषी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र होंगे।

(३) प्रत्येक क्षेत्र के लिये राज्य की विधान सभा की एक क्षेत्रीय समिति होगी जो प्रत्येक क्षेत्र के विधान सभा के सदस्यों से बनेगी और जिस में उस क्षेत्र के राज्य मंत्रि-

मण्डल के मंत्री भी सम्मिलित होंगे परन्तु मुख्य मन्त्री उसमेंसम्मिलित न होगा।

४—सुनिश्चित मामलों से सम्बद्ध विधेयक क्षेत्रीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ करेंगे। यदि क्षेत्रिय समितियां सुनिश्चित मामलों पर कोई कानून बनवाना चाहेंगी अथवा सामान्य नीति के सम्बन्ध में, जिनमें साधारण व्यय के अतिरिक्त अन्य आर्थिक दायित्व सन्निहित न होगा, अपना सुझाव देना चाहेंगी तो वे प्रस्तावों के रूप में अपना मन्तव्य राज्य सरकार को भेज सकेंगी।

(५) साधारणतःक्षेत्रीय समितियों के परामर्श को राज्य सरकारऔर राज्य विधान सभा स्वीकार करेगी। मत भेद होने की अवस्था मे मामला निर्णय के लिये गवर्नर के समक्ष रखा जाया करेगा, जिसका निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

(६) क्षेत्रीय समितियों के आधीन निम्नलिखित मामले रहेंगे:—

१—विकास सम्बन्धी और आर्थिक आयोजन, जो राज्य की विधान सभा द्वारा निश्चित नीति और विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत होंगी।

२—स्थानीय स्वशासन, अर्थात् म्यूनिसिपल कार्पोरेशन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जिला बोर्ड और स्वायत्त शासन वा पंचायतों के सहित ग्राम प्रशासन के निमित्त बनी हुई अन्य स्थानीय सरकारी संस्थाएं।

३—सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, स्थानीय हस्पताल और दवाईखाने।

४—प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा।

५—खेती।

६—गृह उद्योग तथा छोटे छोटे उद्योग।

७—पशु रक्षा तथा वंश सुधार, पशु रोग निवारण, प्रशिक्षण और व्यवस्था।

८—कांजीहौज़ और पशुओं से खेती आदि की रक्षा।

९—जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा।

१०—मछली पालन।

११—सराय और सरायों के संचालक।

१२—बाजार और मेले।

१३—कोआपरेटिव सोसाइटीज़।

१४—धर्मार्थ दान, धर्मार्थ संस्थाएं, लोकोपकारी एवं धार्मिक अनुदान एवं संस्थाएं।

(७) समुचित केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जायेगा कि वे उपर्युक्त कार्यों को क्रियात्मक रूप देने के लिए क्षेत्रीय समितियों का निर्माण करे सरकारी कार्यों के संचालनार्थ नियमों और विधान सभा की कार्यविधि का रूप निश्चित करें। इन नियमों की कार्य विधि तथा क्षेत्रीय समितियों के समुचित संचालन के निमित्त की गई व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन न हो सकेगा।

(८) प्रस्तावित पंजाब राज्य में हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों कानिरूपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध हितों का परामर्श से होगा।

(९) वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला व्यवहार में आता रहेगा और पेप्सू राज्य के वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था

तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा बाद में वह पारस्परिक समझौते से बदली नहीं जाती।

(१०) प्रत्येक क्षेत्र की जिलास्तर और उससे नीचे की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।

(११) राज्य द्विभाषी होगा जो गुरुमुखी लिपिमें पंजाबी को और देवनागरी लिपि में हिन्दी को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता देगा।

(१२) पंजाब राज्य पंजाबी और हिन्दी भाषाओं की उन्नति लिये २ पृथक विभागों की स्थापना करेगा।

(१३) अल्प संख्यकों के भाषा सम्बन्धी हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी लागू होंगे।

(१४) केन्द्रीय शासन समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की अपनी नीति के अनुसार पंजाबी भाषा की उन्नति को प्रोत्साहित करेगा।

## ( परिशिष्ट स )

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है

पं० ठाकुरदास भार्गव ने जिस संशोधन का प्रस्ताव किया है और जो संशोधनों की सूची सं० ६ में ५८ वीं संख्या का है वह ८ वीं धारा के बाद ८ अ के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाये:—

"वर्त्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्रों में और वर्त्तमान पेप्सू राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला लागू रहेगा। वर्त्तमान प्रबन्ध जारी रहेंगे, जब तक कि ये बाद में समझौते से बदले नही जाते।"

यह संशोधन अस्वीकार किया गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है

पृ० १८,

३१ वी पंक्ति के बाद जोड़ा जाय

## पंजाब राज्य की क्षेत्रीय समितियों की योजना की रूप रेखा

(१) पुनः संगठित समस्त पंजाब राज्य के लिए एक ही विधान् सभा होगी जो समस्त राज्य के लिए एक मात्र विधान निर्मातृ संस्था होगी। राज्य का एक गवर्नर होगा जिसकी सहायता के लिए समस्त प्रशासन क्षेत्र के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायीमंत्रियों की एक कौंसिल होगी।

(२) कतिपय सुनिश्चित मामलों मे सरकारी कार्य के उचित सुविधाजनक संचालन के लिए, राज्य २ क्षेत्रों में विभाजित होगा जिनके नाम पंजाबी भाषा भाषी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र होंगे।

(३) प्रत्येक क्षेत्र के लिये राज्य की विधान सभा की एक क्षेत्रीय समिति होगी जो प्रत्येक क्षेत्र के विधान सभा के सदस्यों से बनेगी और जिसमें उस क्षेत्र के राज्य मन्त्रिमण्डल के मन्त्री भी सम्मिलित होंगे परन्तु मुख्य मन्त्री उसमें सम्मिलित न होगा।

(४) सुनिश्चित मामलों से सम्बद्ध विधेयक क्षेत्रीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ करेंगे। यदि क्षेत्रीय समितियां सुनिश्चित मामलों में कोई कानून बनवाना चाहेंगी अथवा सामान्य नीति के संबन्धमें, जिनमें साधारण व्यय के

अतिरिक्त अन्य आर्थिक दायित्व सम्मिलित न होगा, अपना सुझाव देना चाहेंगी तो वे प्रस्तावों के रूप मे अपना मन्तव्य राज्य सरकार को भेज सकेंगी।

(५) साधारणतः क्षेत्रीय समितियों के परामर्श को राज्य सरकार और राज्य विधान सभा स्वीकार करेगी। मतभेद होने की अवस्था मे मामला निर्णय के लिये गवर्नर के समक्ष रखा जाया करेगा। जिसका निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

(६) क्षेत्रीय समितियों के आधीन निम्नलिखित मामले रहेंगे :—

१—विकास सम्बन्धी और आर्थिक आयोजन जो राज्य की विधान सभा द्वारा निश्चित नीति और विकास योजनाओं के ढाचे के अन्तर्गत होगी।

२—स्थानीय स्वशासन, अर्थात् म्युनिसिपल, कार्पोरेशन, इम्प्रूवमेन्ट टस्ट, जिला बोर्ड और स्वायत्त शासनात्मक पचायतों के सहित ग्राम प्रशासन के निमित्त बनी हुई अन्य स्थानीय सरकारी सस्थाए।

३—सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, स्थानीय हस्पताल और दवाईखाने।

४—प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा।

५—खेती।

६—गृह उद्योग तथा छोटे छोटे उद्योग।

७—पशु रक्षा तथा वशसुधार, पशु रोग निवारण, प्रशिक्षण और व्यवस्था।

८—काजीहौज और पशुओं से खेती आदि की रक्षा।

९—जगली जानवरो और पक्षियों की रक्षा।

१०—मछली पालन।

११—सराय और सरायों के सचालक।

१२—बाजार और मेले।

१३—कोआपरेटिव सोसायटीज।

१४—धर्मार्थ दान, धर्मार्थ सस्थाए, लोकोपकारी एव धार्मिक अनुदान एव सस्थाए।

(७) समुचित केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जायगा कि वे उपर्युक्त कार्यों को क्रियात्मक रूप देने केलिये क्षेत्रीय समितियों का निर्माण करें, सरकारी कार्यों के सचालनार्थ नियमो और विधान सभा की कार्यविधि का रूप निश्चित करे। इन नियमों की कार्य विधि तथा क्षेत्रीय समितियों के समुचित सचालन के निमित्त की गई व्यवस्था मे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन न हो सकेगा।

(८) प्रस्तावित पजाब राज्य मे हिन्दी और पजाबी क्षेत्रों का निरूपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध हितों के परामर्श से होगा।

(९) प्रत्येक क्षेत्रकी सरकारी भाषा जिला स्तर तथा उससे नीचे क्षेत्रीय भाषा होगी।

(१०) राज्य द्विभाषी होगा और गुरुमुखी मे लिखित पजाबी और देवनागरी मे लिखित हिन्दी को राज्य की सरकारी भाषा स्वीकार करेगा।

(११) पजाब गवर्नमेन्ट पजाबी और हिन्दी की उन्नति के लिये २ पृथक सरकारी विभाग खोलेगी।

अध्यक्ष महोदय

(१२) अल्प सख्यकों के भाषा सबन्धी

हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी लागू होंगे ।

(१३) हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के लिये विशेष संरक्षण ।

(अ) पंजाब राज्य का यह विशेष दायित्व होगा कि वह हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र का विकास करे और ५ वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उन्नति की दृष्टि से पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र जैसा उन्नत कर दे ।

इसके लिये वह ( राज्य ) हिन्दी क्षेत्र को सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय विकासों तथा विधान सभा के प्रतिनिधित्व में विशेष स्थान दे, अधिक पानी और बिजली दे,गृह तथा अन्यान्य उद्योगों की व्यवस्था के लिये अधिक धन देने की व्यवस्था करे, यातायात की सुविधाये बढ़ाने के लिये विशेष सहायता प्रदान करे और समस्त प्रकार की शिक्षा के प्रसार के लिये जिसमें प्रशिक्षण भी संमिलित हो, पूर्ण अवसर प्रदान करे ।

(ब) उपर्युक्त विशेष दायित्वों के अच्छी तरह पूरा करने के लिये तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की व्यवस्थार्थ एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति की जाय जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग का एक सदस्य इस बोर्ड के प्रधान के रूप में रहे, दूसरा सदस्य राज्य का मुख्य मन्त्री हो, तीसरा सदस्य हिन्दी क्षेत्र का एक मन्त्री हो ।

(१४) हिन्दी और पंजाबी दोनों क्षेत्रों के लिये पृथक २ विकास बोर्डों की स्थापना की जायगी और प्रत्येक बोर्ड की रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायगी ।

(क) हिन्दी भाषी क्षेत्र के विशेष विकास के लिये नियत विशेषफण्ड के अतिरिक्त दोनों क्षेत्रों की उन्नति के लिये नियत राशि में से बाराबर २ राशि दोनों क्षेत्रों को प्रति वर्ष पृथक २ दी जायगी ।

यह प्रस्ताव अस्वीकार हुआ ।

॥ ओ३म् ॥

# स्थूलाक्षरीय सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण

विरजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक महाविद्वान स्वर्गीय स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी ने सत्यार्थ प्रकाश पर अद्भुत टिप्पणी लिखी है। उस टिप्पणी सहित सत्यार्थ प्रकाश का यह स्थूलाक्षरीय संस्करण अभी प्रेस में ही था कि श्री स्वामी जी महाराज का देहान्त हो गया। उनके महाप्रयाण के छः मास पश्चात् ३६ पाउण्ड के २२×२९/४ आकार के लगभग ७०० पृष्ठों का सुन्दर सजिल्द यह संस्करण जब आर्य जनता के सामने आया तो उस पर खोजपूर्ण टिप्पणियां एवं पृष्ठों की रंगीन बोर्डर के साथ सुन्दर छपाई और सुदृढ जिल्द को देखकर सबने इसे बहुत ही पसन्द किया जो कोई भी इसे देखता है लेने केलिये आग्रह करता है और निषेधात्मक उत्तर सुनकर निराश हो जाता है। चारों ओर से हमारे पास आर्य पुरुषों के अनुरोध भारी संख्या में पहुँच रहे हैं कि इसका द्वितीय संस्करण छपाया जाय। यह तो निर्विवाद ही कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ की एक प्रति प्रत्येक आर्य के घर में अवश्य होनी चाहिये, साथ ही बहुत से आर्य पुरुषों की यह सम्मति है कि विवाह आदि शुभावसरों पर यह ग्रन्थ उपहार में दिये जाने के योग्य है।

इस आग्रह के वशीभूत होकर संस्थान ने इस अमूल्य ग्रन्थ का पुनः सम्पादन करवा कर द्वितीय संस्करण छपवाने का निश्चय किया है। अतः आर्य बन्धुओं से अनुरोध है कि वे इस पवित्र कार्य में संस्थान को सहयोग दें और अधिक से अधिक संख्या में स्वयं ग्राहक बनें एवं अपने इष्ट मित्रों को बनायें।

पहिले संस्करण का अग्रिम मूल्य १५) रु० रखा गया था और वह सारे का सारा छपने से पूर्व ही बिक चुका था। कागज छपाई और जिल्द पर ही प्रति पुस्तक १५) रु० से अधिक व्यय हुआ है और इसका घाटा दानी महानुभावों के साहाय्य से पूरा किया गया है। इस समय कीमतें और भी बढ़ रही हैं। इस कारण द्वितीय संस्करण का मूल्य २०) रु प्रति पुस्तक रखा जा रहा है। प्रयत्न किया जा रहा है कि यह संस्करण पहिले से भी बढ़िया हो।

जो भाई चाहें २०) रु० भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित करालें ताकि बाद में निराश न होना पड़े।

सब धन नीचे लिखे पते पर भेजने की कृपा करें। डाक व्यय पृथक्।

निवेदकः—

**स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती**

अध्यक्ष विरजानन्द वैदिक संस्थान

संन्यास आश्रम, गाजियाबाद (मेरठ)

## आवश्यक सूचना

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा देहली ६ के नाम में भेजे जाने वाले समस्त मनीआर्डरों की कूपन पर भेजने वाले को अपना पूरा पता स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में लिखना चाहिए जिससे कार्य्यालय को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा

देहली—६

# आर्य समाज का इतिहास

## ( प्रथम भाग ) सचित्र

इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत आर्य समाज के इतिहास का प्रथम भाग छप कर बिकने लगा है। इतिहास की भूमिका आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान तथा पंजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोकुलचन्द जी नारंग, एम० ए० पी० एच० डी० ने लिखी है। ग्रन्थ सजिल्द है जिसमें $\frac{20 \times 30}{8}$ आकार के ३६४ पृष्ठ हैं। आकार प्रकार कागज व छपाई उत्कृष्ट है। स्थान २ पर १२ लाइन ब्लाक दिये गये हैं।

महर्षि की जन्म तिथि, आर्य समाज स्थापना तिथि, महर्षि की मृत्यु कैसे हुई इत्यादि विवादास्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप से मूल्यवान सामग्री दी गई है।

प्रारम्भ से सन १९०० ई० तक के इतिहास में आर्य समाज की स्थापना से पहले की धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आर्य समाज की स्थापना, प्रचार युग, अन्य मतों से संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है। शैली बड़ी रोचक और चित्ताकर्षक है।

सम्पूर्ण इतिहास ३ भागों में छपेगा। दूसरा भाग प्रेस में दे दिया गया है और तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है।

इस ग्रन्थ की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इसकी ५००० प्रतियां छपाने में तथा चित्रादि के देने में सभा का बहुत व्यय हुआ है। इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक है जिससे कि वह दूसरे भाग की छपाई में काम आ सके।

सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आर्य समाजों, आर्य नर नारियों के सहयोग के भरोसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूर्त्यर्थ किया है। अतः प्रत्येक आर्य समाज और आर्य नर नारी को इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये।

प्रत्येक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज तथा आर्य संस्था के पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से यह ग्रन्थ रहना चाहिये। यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है अपितु एक स्थायी रूप से रहने वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं आने वाली सन्तति को भी लाभ उठाने का अवसर मिल सके।

प्रथमभाग का मूल्य ४) कर दिया गया है। एक प्रति का डाक व्यय रजिस्ट्री डाकसे १=)अतिरिक्त होता है। कम से कम ५ प्रतियां एक साथ मंगाने पर २० प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। पुस्तकों का आर्डर भेजते समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।

कृपया आर्डर भेजने में शीघ्रता करें। प्राप्ति स्थान —

**सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,**
**श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्ली-६**

चतुरसेन गुप्त द्वारा सार्वदेशिक प्रेस, पाटौदी हाउस, दरियागंज दिल्ली—७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली-से प्रकाशित।